द्वितीय वार्षिक रिपोर्ट
2013–14

birac
Ignite Innovate Incubate

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद

(भारत सरकार का उपक्रम)

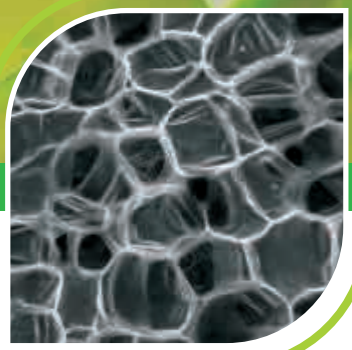

द्वितीय वार्षिक रिपोर्ट 2013–14

birac
Ignite Innovate Incubate

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद

(भारत सरकार का उपक्रम)

बाइरैक के बारे में

ध्यान

वहनीय उत्पाद विकास के लिए बायोटेक नवीनतम ईकोप्रणाली को सशक्त तथा सक्षम बनाना

संकल्पना

समाज के विशालतम वर्ग की जरूरतों को पूरा करने के लिए वहनीय उत्पादों के निर्माण हेतु भारतीय बायोटेक उद्योग विशेषकर लघु एवं मध्यम उद्योगें की सामरिक अनुसंधान तथा नवाचार क्षमताओं को प्रोत्साहित, पोषित तथा प्रवर्धित करना

मुख्य कार्यनीतियां

- अनुसंधान के सभी स्थानों में तीव्र नवीनता एवं उद्यमशीलता
- प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों वहनीय नवाचार को प्रोत्साहन देना
- शुरूआती और छोटे तथा मध्यम उद्यमों पर उच्च फोकस
- क्षमता में बढ़ोतरी हेतु साझेदारों के माध्यम से अनुदान
- साझेदारों के माध्यम से नवीनता के प्रसार को बढ़ाना
- खोज के व्यवसायीकरण सक्षम बननाना
- भारतीय उद्यमों के वैश्विक प्रतियोगितात्मकता को सुनिश्चित करना

बाइरैक की मूल मान्यताएं

- ईमानदारी
- पारदर्शिता
- दल कार्य
- उत्कृष्टता
- वचनबद्धता

बाइरैक, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा स्थापित धारा 25, ''अलाभकारी कंपनी'' है (अब कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत धारा 8 कंपनी) जो उभरते हुए बायोटेक उद्योगों को सहायता प्रदान करने वाली एक अंतरापृष्ठ एजेंसी है। एक अनुसूची 'बी' सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, बाइरैक को वरिष्ठ व्यावसायिकों, शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं तथा उद्योगपतियों को लेकर बनाए गए स्वतंत्र निदेशक मंडल द्वारा मार्गदर्शन दिया जाता है। बाइरैक अपने अधिदेश के विभिन्न आयामों को पूरा करने के लिए मुख्यतः तीन दिशाओं में प्रचालन करता है। निवेश योजनाओं में खोज से लेकर संकल्पना प्रमाण और आरंभिक तथा विलंबित चरण के विकास से सत्यापन और उन्नयन तक, पूर्व वाणिज्यीकरण के पहले तक उत्पाद विकास मूल्य श्रृंखला के सभी चरणों के लिए आरंभ होने वाली कंपनियों, छोटे तथा मध्यम उद्यमों और बायोटेक कंपनियों को वित्तीय सहायता दिया जाता है। इसमें विशेष उत्पाद मिशन भी हैं। दूसरा क्षेत्र उद्यमशीलता विकास है, जो न केवल निधिकरण समर्थन पर केन्द्रित है, बल्कि सही मूल संरचना को उपलब्ध कराने, प्रौद्योगिकी अंतरण और लाइसेंसिंग हेतु मेंटरिंग और अन्य नेटवर्क कार्यों, बौद्धिक संपत्ति और व्यापार मेंटरिंग सहित विनियामक मार्गदर्शन भी निहित है। अंत में बाइरैक सामरिक भागीदार समूह के साथ सभी भागीदारों को लेकर कार्य करता है – राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, जिसमें केन्द्र और राज्य दोनों स्तरों के सरकारी विभाग, उद्योग संगठन, अंतरराष्ट्रीय द्विपार्श्वीय एजेंसियां, स्वयंसेवी संगठन और नैगम क्षेत्र शक्ति तथा विशेषज्ञता को विस्तारित करने और संसाधनों की उगाही तथा गतिविधियों के विस्तार क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं।

कुछ मुख्य घटक हैं :

वहनीय उत्पादों के लिए निवेश

बिग : बायोटेक्नोलॉजी इगनिशन ग्रांट (बिग) अनुसंधान संस्थानों, शिक्षा जगत तथा आरंभ होने वाली कंपनियों के वैज्ञानिक उद्यमियों हेतु उपलब्ध है। यह बहुत आरंभिक चरण पर अनुदान देकर खोज और आविष्कार के बीच के अंतराल को पाटने में सहायता देकर इसके वाणिज्यीकरण को प्रोत्साहन देने हेतु डिजाइन की गई है। बिग नवाचारी पांच बिग भागीदारों (सी–कैम्प बैंगलोर, आईकेपी हैदराबाद, एफआईटीटी, आईआईटी दिल्ली, एनसीएल संयुक्त केन्द्र पुणे और केआईआईटी – टीबीआई भुवनेश्वर) से मेंटरिंग और नेटवर्किंग सहायता प्राप्त करते हैं।

एसबीआईआरआई : स्माल बिज़नेस इनोवेशन रिसर्च इनीशिएटिव (एसबीआईआरआई) छोटे और मध्यम उद्यमों द्वारा जोखिम लेने की क्षमता की सुविधा हेतु जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगामी अनुसंधान और विकास पर केन्द्रित आरंभिक चरण नवाचार को सहायता देने हेतु अपने प्रकार का प्रथम पीपीपी प्रयास है।

बीआईपीपी : बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री पार्टनरशिप प्रोग्राम (बीआईपीपी) बायोटेक उद्योग में आरंभिक से बाद के चरण तक नवाचार अनुसंधान में उच्च जोखिम खोज को समर्थन प्रदान करने और / या नई स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के वाणिज्यीकरण में तेजी लाने हेतु बनाया गया है। यह एक भागीदारी योजना है जो 50 : 50 लागत बांटने का मॉडल है।

सीआरएसएस : संविदा अनुसंधान और सेवा योजना (सीआरएस) देश भर में उद्योग द्वारा सत्यापन और रूपांतरण के माध्यम से अग्रणी अनुसंधान प्राप्तियों को लेने के लिए शैक्षिक संस्थानों को समर्थन दिया जाता है। इसमें अनुदान के रूप में निधिकरण शैक्षिक तथा औद्योगिक भागीदारों को दिया जाता है। उद्योग सत्यापन भागीदार के रूप में अपनी भूमिका निभाता है तथा संविदात्मक आधार पर संलग्न होता है, जबकि आईपी अधिकार केवल शैक्षिक भागीदार के पास रहता है।

स्पर्श : वहनीय उत्पादों तथा सामाजिक स्वास्थ्य हेतु संगत सामाजिक नवाचार कार्यक्रम में समाज के कल्याण हेतु सामाजिक नवाचार और जैव प्रौद्योगिकी को संभावित महत्वपूर्ण सामाजिक प्रभाव सहित वहनीय उत्पाद विकास के प्रति आधुनिकतम नवाचारों की पहचान और सहायता को शामिल किया गया है। स्पर्श में खोज से पीओसी, बाद के चरण तक सत्यापन के लिए प्रभाव निधिकरण और अध्येतावृत्तियों के रूप में सहायता दी जाती है।

इंक्यूबेशन

बीआईएसएस : यह युवा उद्यमियों और आरंभ होने वाली कंपनियों के लिए बायो इंक्यूबेटरों की स्थापना पर केन्द्रित बायो इंक्यूबेटर समर्थन कार्यक्रम है। जैव प्रौद्योगिकी में प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता को प्रोत्साहन देने के लिए बाइरैक ने मौजूदा बायो इंक्यूबेटरों को मजबूत बनाने और उनके उन्नयन की तथा नए विश्व स्तरीय बायो इंक्यूबेटरों की स्थापना के लिए एक योजना आरंभ की है। ये बायो इंक्यूबेटर आरंभ होने वाली कंपनियों को इंक्यूबेशन स्थान तथा अन्य आवश्यक सेवाएं उनकी आरंभिक वृद्धि हेतु प्रदान करते हें।

यूआईसी : यूनिवर्सिटी इनोवेशन क्लस्टर प्रयास (यूआईसी) एक पूर्व इंक्यूबेशन केन्द्र है जो विश्वविद्यालयों पर केन्द्रित है, जहां जैव प्रौद्योगिकी सहयोग और नवाचार के लिए प्रेरक परिवेश मौजूद है तथा जहां उद्योग सहित सभी पणधारियों को आपस में सहक्रिया के लिए एक साथ लाया जा सकता है। यूआईसी प्रयास में विश्वविद्यालयों में एक उद्यमशीलता संस्कृति बनाने और छात्रों को उनके नवीन विचारों को संकल्पना प्रमाण तक ले जाने में सहायता दी जाती है। यह अपने अध्येताओं को नवाचार अध्येतावृत्ति तथा नवाचार अनुदान प्रदान करता है।

अंतरराष्ट्रीय भागीदार

डीबीटी – बीएमजीएफ : बाइरैक विश्व के सर्वाधिक महत्वपूर्ण वैश्विक स्वास्थ्य और विकास मुद्दों में से कुछ को सुलझाने के लिए सहयोगात्मक वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी अनुसंधान को समर्थन देने के लिए डीबीटी – बिल एण्ड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन सहयोग की परियोजना प्रबंधन इकाई का प्रचालन करता है। ऐसे दो महाचुनौती प्रयासों को समर्थन दिया गया है।

वेलकम ट्रस्ट : बाइरैक वेलकम ट्रस्ट भारत के लिए वहनीय लागतों पर सुरक्षित और प्रभावी और स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों की प्रदायगी के लिए ट्रांसलेशनल अनुसंधान परियोजनाओं के निधिकरण पर लक्षित ट्रांसलेशनल चिकित्सा में संयुक्त आमंत्रण है, जो ''संक्रामक रोगों के लिए नैदानिकी'' की वर्तमान विषयवस्तु के तहत है।

इंडो – सीईएफआईपीआरए : बाइरैक ने फ्रांस दूतावास, भारत और इंडो फ्रैंच सेंटर, नई दिल्ली के साथ शिक्षा जगत और उद्योग को शामिल करते हुए नवाचारी अनुसंधान हेतु भारत और फ्रांस दोनों में संयुक्त अनुसंधान एवं विकास आमंत्रण के प्रचालन हेतु एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

विषयवस्तु

1.	सूचना	1
2.	अध्यक्ष का संदेश	2
3.	प्रबंध निदेशक का संदेश	3
4.	निदेशक मंडल	4-6
5.	कॉर्पोरेट सूचना	7
6.	निदेशक की रिपोर्ट	10-12
7.	प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण	14-36
8.	लिपिकीय लेखा रिपोर्ट	37-40
9.	कार्पोरेट शासन पर रिपोर्ट	42-45
10.	कार्पोरेट पर सीजी प्रमाणपत्र	46
11.	लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	48-49
12.	तुलन पत्र	50
13.	आय और व्यय लेखा	51
14.	समय सूची	52-65
15.	नियंत्रक एवं महालेखाकार (सी एडं एजी) की टिप्पणियां	66
16.	प्रॉक्सी एवं उपस्थिति पत्र	69

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बाइरैक)
सीआईएनः U73100DL2012NPL233152
पंजी. कार्यालयः प्रथम तल, एमटीएनएल भवन, 9, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
वेबसाइटः www.birac.nic.in, ई–मेलः birac.dbt@nic.in, दूरभाषः +91–11–24389600

सूचना

सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित कार्यों को पूरा करने के लिए द्वितीय वार्षिक आम सभा निम्नानुसार होगी

दिन एवं तिथि : **मंगलवार, 30 सितम्बर 2014**
समय : **प्रातः 10.00 बजे**
स्थान : **प्रथम तल, एमटीएनएल भवन, 9, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003**

साधारण कार्य

1. 31 मार्च, 2014 को कंपनी के लेखा परीक्षित तुलना पत्र सहित निदेशकों एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) व (7) के संदर्भ भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियों को प्राप्त करना, विचार करना और अपनाना।
2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 सहित धारा 139(5) के प्रावधानों के संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों की परिलब्धि नियत करने के लिए निदेशक मंडल को अधिकृत करना और इसे संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के साथ पारित करना, साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प

   संकल्प किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों की परिलब्धि पर निर्णय लेने तथा नियत करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को अधिकृत किया गया, जो कि बोर्ड के विचार के अनुकूल है।

बैठक की सूचना पर टिप्पणियां

1. उपस्थित एवं वोट देने के पात्र सदस्य अपने बदले उपस्थित होने एवं वोट देने के लिए एक या अधिक प्रतिनिधियों को नियुक्त कर सकते हैं। प्रतिनिधियों को बैठक की तय समय से कम से कम 48 घंटे पूर्व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
2. कंपनी के केवल मूल सदस्य, जिनके नाम सही तरीके से भरी हुई एवं हस्ताक्षरित वैध उपस्थिति पर्चियों में दर्ज है के अनुरूप सदस्यों के रजिस्टर में शामिल हैं, उन्हें बैठक में भाग लेने की अनुमति होगी। कंपनी को बैठक में गैर सदस्यों के भाग लेने को प्रतिबंधित करने के लिए अनिवार्य पाए गए सभी कदम उठाने का अधिकार है।
3. सूचना में संदर्भित सभी दस्तावेज कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में निरीक्षण के लिए सुबह 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक सभी कार्य दिवसों पर वार्षिक सभा की तिथि तक तथा बैठक में भी उपलब्ध है।
4. कंपनी के लेखा और प्रचालनों पर किसी भी पूछताछ, अगर कोई है, को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिन्हें बैठक के दस दिन पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भेजा जाए, ताकि तत्काल सूचना उपलब्ध कराई जा सके।
5. सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी को अपने पते में बदलाव, अगर कोई है, तो जानकारी दें।

पंजीकृत कार्यालय
प्रथम तल, एमटीएनएल भवन, 9, सीजोओ कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

बोर्ड की ओर से आदेश
कविता अनंदानी
कंपनी सचिव

दिनांकः 9 सितम्बर, 2014
स्थान : नई दिल्ली

अध्यक्ष का संदेश

मुझे बाइरैक की दूसरी वार्षिक रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत करते हुए बहुत खुशी है।

भारत अपने इतिहास के एक असाधारण चरण से गुजर रहा है, जिसमें स्वतंत्रता के समय अनुभव की गई चुनौतियां सामने हैं। आज 1947 के समान ज्ञान और विज्ञान को समाज तथा आर्थिक बदलाव के एक घटक के रूप में उपयोग करने के नवीकृत प्रयास किए गए हैं। एक परिप्रेक्ष्य में भारत में ढेरों समस्याएं हैं। स्वास्थ्य, कृषि, पोषण, स्वच्छता, ऊर्जा, मूल संरचना, विनिर्माण, पारिस्थितिक प्रणाली ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं, जिन पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। एक अन्य परिप्रेक्ष्य में पिछले 6 दशकों से विज्ञान और प्रौद्योगिकी में निरंतर निवेश किए गए हैं, जिनसे चुनौतियों की जटिलताओं को संबोधित किया गया है। इस संदर्भ में मुख्य प्रश्न यह है कि बाइरैक इसे जितने सरल रूप में लेता है, इसका उत्तर उतना ही जटिल है : बाइरैक अपने मध्यम संसाधनों से बायोटेक उद्योग तथा उद्यमशीलता को सामाजिक और आर्थिक रूपांतरण में किस प्रकार उत्प्रेरित कर सकता है? इस प्रश्न के उत्तर का सामना हम बाइरैक में लगातार करते हैं।

हमारे उद्यमों की आधारशिला विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सर्वोत्तम समझ और उपयोग में निहित है। इन आधारशिलाओं से हम भारत और पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों, उद्यमियों, उद्योग तथा विज्ञान एजेंसियों तक पहुंचते हैं। बाइरैक की संरचना और इसकी स्थिति तथा विशिष्ट अधिदेश को सार्वजनिक उपयोग के लिए ज्ञान को जोड़ना है। केवल दो वर्षों में हमने बहुत कुछ सीखा है, किन्तु हमारे पास जटिल समस्याओं से निपटने के लिए एक अलौकिक क्षमता है। यह हमारे भागीदारों के आरंभिक पोषण से ही आई है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय और हमारे असाधारण राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोगी इसके भागीदार हैं।

हमारी त्वरित वृद्धि के कारण बाइरैक ने अनेक जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में नवाचार को उत्प्रेरित करने के अनेक कार्य किए हैं। भारत में तात्कालिक समस्याओं की संख्या बहुत अधिक है। एक ओर बाइरैक के लिए इन समस्याओं के किसी भाग को उपेक्षित करना कठिन होगा और दूसरी ओर वर्तमान में इन सभी के साथ निपटने के लिए इसके पास साधन नहीं है। जब हम दूसरे वर्ष में पहुंच गए हैं तो हमें भागीदारी के माध्यम से इन पहेलियों को सुलझाने की आशा है। हम अपने भागीदारों के साथ प्रतिबद्धता को साझा करते हैं, जिससे हमें यह विश्वास होता है कि हम भारत और ग्रह के भविष्य के लिए इस दृश्य को सुंदर बना सकेंगे।

मैं हमारे समुदाय तथा भागीदारों के साथ मिलकर आने वाले वर्षों में वे सभी कार्य करने के लिए बाइरैक की वचनबद्धता को पुनः दोहराता हूं और बाइरैक के सभी कर्मचारियों को उनके असाधारण उत्साह तथा प्रेरणा के लिए बधाई देता हूं।

यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि बाइरैक ने वह स्थान पा लिया है जो इसे पहले नहीं मिला था और इसका निष्पादन प्रभावशाली है। प्रथम समझौता ज्ञापन निष्पादन को ''उत्कृष्ट'' रेट किया गया था और इसे वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) हेतु दिशानिर्देशों के पालन के आधार पर लोक उद्यम विभाग द्वारा 94 प्रतिशत सीपीएसई ग्रेडिंग प्राप्त हुई है। केवल दो वर्ष की अल्प अवधि में कंपनी ने नैगम शासन पैरामीटरों को पूरा करने तथा जाने माने वैज्ञानिकों के स्वतंत्र बोर्ड के गठन तथा अगले तीन वर्षों में प्रचालनों को उन्नत बनाने की तैयारी तीव्र कदम उठाए हैं।

दिनांकः 9 सितम्बर, 2014
स्थान : नई दिल्ली

प्रो. के. विजयराघवन
अध्यक्ष, बाइरैक

प्रबंध निदेशक का संदेश

यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि 20 मार्च 2014 को बाइरैक ने अपने सफल अस्तित्व के दो वर्ष पूरे किए हैं। इस वर्ष की एक उल्लेखनीय उपलब्धि यह है कि बाइरैक को अनुसूची 'बी' सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की श्रेणी में रखा गया है। पहले दिन से ही बाइरैक में एक नवाचार पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण पर बल दिया गया है, जो युवा उद्यमियों तथा आरंभ होने वाली कंपनियों की जरूरतों के लिए प्रेरक है और उन्हें इस प्रकार नेटवर्क में शामिल रखता है कि उनके विचार और खोजें उत्पाद विकास की प्रक्रिया में कठोरताओं से गुजर कर अपनी पूरी संभाव्यता प्रदर्शित करें। संस्थागत स्थान में बाइरैक दुनिया भर में प्रतिस्पर्द्धी बनने के लिए भारतीय बायोटेक उद्यमों की सहायता के लिए सामरिक भागीदारी के माध्यम से राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञता पाने का प्रयास करता है।

बायोटेक क्षेत्र में छोटे और मध्यम उद्यमों की आवश्यकताओं की तात्कालिकता को देखते हुए बाइरैक ने नवाचार निधिकरण और पारिस्थितिक तंत्र विकास के अनोखे मॉडल बनाए हैं। इस छोटी सी अवधि में बाइरैक ने अनेक प्रभावशाली परिणाम दिए हैं। बाइरैक ने 250 से अधिक कंपनियों को जो मुख्य रूप से आरंभ होने वाली कंपनियां हैं और छोटे तथा मध्यम उद्यम हैं, सहायता दी है। इसके अलावा सीड निधिकरण के माध्यम से 100 से अधिक युवा उद्यमियों को भी समर्थन दिया है। सौ से अधिक कंपनियों को इंक्यूबेशन स्थान और आईपी के लिए मेंटरिंग तथा प्रौद्योगिकी प्रबंधन और व्यापार विकास की सुविधा भी दी है।

अब इसे भली भांति मान्यता दी गई है कि देश की विज्ञान और प्रौद्योगिकी एजेंसियों को न केवल प्रत्यक्ष भागीदारों के साथ निरंतर वार्ता स्थापित करनी चाहिए, बल्कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के समर्थन तथा विज्ञान को आगे ले जाने के प्रयास में नई प्रतिभाओं को शामिल करने के लिए समाज को भी इसके साथ जोड़ा जाएं।

बाइरैक पिछले वर्ष के दौरान सभी पणधारियों – राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों के साथ केन्द्र और राज्य सरकारों, मंत्रालयों तथा विभागों के साथ नजदीकी से कार्य करता रहा है और इसके परिणामस्वरूप अन्य क्षेत्रों तथा प्रक्षेत्रों में प्रक्षेत्र विशेषज्ञता के लाभ मिले हैं। अंतरराष्ट्रीय भागीदारी, जैसे बिल एण्ड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, वैलकम ट्रस्ट, यूएसएड, सीईआईएफपीआरए और फ्रांस दूतावास से उत्पाद विकास हेतु शिक्षा जगत उद्योग नवाचार अनुसंधान के लिए द्विपार्श्वीय भागीदारी को बढ़ावा मिला है। बाइरैक लक्ष्य लाभार्थियों और प्रतिभागियों की बड़ी संख्या तक पहुंचने की आशा रखता है।

डॉ. रेनू स्वरूप
प्रबंधक निदेशक, बाइरैक

निदेशक मंडल

प्रो. के. विजयराघवन	:	अध्यक्ष	गैर कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक		
डॉ. रेनू स्वरूप	:	प्रबंध निदेशक	डॉ. अशोक झुनझुनवाला	:	निदेशक
			डॉ. गगनदीप कांग	:	निदेशक
			डॉ. दीपक पेंटल	:	निदेशक
			डॉ. दिनकर एम सालुंके	:	निदेशक
			डॉ. मो. असलम (सरकार द्वारा मनोनित)	:	निदेशक

प्रो. के. विजयराघवन का परिचय

प्रो. के. विजयराघवन, 28 जनवरी 2013 से भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव हैं। इसके पहले वे टाटा मौलिक अनुसंधान संस्थान (टीआईएफआर) के राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र (एनसीबीएस) के निदेशक तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) के एक नए स्वायत्त्य संस्थान, स्टेम कोशिका जीव विज्ञान और पुनर्जनन चिकित्सा (इन स्टेम) के अंतरिम अध्यक्ष थे। प्रो. के. विजय राघवन ने एक विकास जीव वैज्ञानिक के रूप में विज्ञान को अपना योगदान दिया और उन्हें व्यापक मान्यता प्राप्त है। उन्हें 2011 में यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग द्वारा मानद डॉ. ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मनित किया गया। उन्हें विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की जे. सी बोस अध्येता वृत्ति प्राप्त हुई है। उन्होंने 2010 में रायल सोसाइटी में जे. सी. बोस स्मृति व्याख्यान दिया और उन्हें 2009 में जीवन विज्ञान में आरंभ किया गया इंफोसिस पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्हें 1998 में भारत के सर्वाधिक प्रतिष्ठित विज्ञान पुरस्कार शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया गया। वे भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी और भारतीय विज्ञान अकादमी के सदस्य है एवं उन्होंने परिषद के लिए भी कार्य किया है। प्रो. के. विजय राघवन एक मात्र भारतीय है जिन्हें यूरोपीयन मौलिक्यूलर बायोलॉजी ऑर्गनाइजेशन का सहयोग निर्वाचित किया गया है। वर्ष 2012 में प्रो. के. विजयराघवन को रॉयल सोसाइटी का अध्येता निर्वाचित किया गया था।

डॉ. रेनू स्वरूप का परिचय

डॉ. रेनू स्वरूप वर्तमान में जैव प्राद्योगिकी विभाग (डीबीटी) में वरिष्ठ सलाहकार हैं। डॉ. रेनू स्वरूप आनुवंशिकी और पादप प्रजनन में पीएचडी और उन्होंने राष्ट्रमंडल छात्रवृत्ति के तहत जॉन इंस सेंटर, नॉर्विच, यूके में अपनी पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ति पूरी की और भारत वापस आकर जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार में 1989 के दौरान उन्होंने विज्ञान प्रबंधन के पद पर कार्यभार संभाला। डीबीटी में वे राष्ट्रीय जैव संसाधन विकास बोर्ड की प्रमुख हैं और ऊर्जा जीव विज्ञान, जैव संसाधन विकास तथा उपयोगिता एवं पादप जैव प्रौद्योगिकी–जैव पूर्वानुमान, ऊतक संवर्धन एवं बायोमास से जुड़े अन्य कार्यक्रमों के क्षेत्र में विकास, निधिकरण एवं निगरानी कार्यक्रम में शामिल है। विज्ञान प्रबंधक के रूप में उनके कार्यें में नीति आयोजन और कार्यान्वयन से संबंधित मामले शामिल रहे। वे 2001 में जैव प्रौद्योगिकी संकल्पना के निर्माण तथा 2007 में विशेषज्ञ समिति की सदस्य सचिव के रूप में राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास कार्यनीति में सक्रिय रूप में संलग्न रही। वे प्रधानमंत्री की वैज्ञानिक सलाहकार समिति द्वारा गठित विज्ञान में महिलाओं के कार्यबल की सदस्य भी थीं। उन्हें 2012 में ''बायोस्पेक्ट्रम पर्सन ऑफ द इयर अवॉर्ड'' से सम्मानित किया गया था।

स्वतंत्र निदेशकों का परिचय

डॉ. अशोक झुनझुनवाला

डॉ. अशोक झुनझुनवाला आईआईटी मद्रास में प्रोफेसर हैं। उन्होंने आईआईटी, कानपुर से बी. टेक की डिग्री ली और यूनिवर्सिटी ऑफ मेन, यूएसए से एमएस और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। वे 1979 से 1981 तक वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ थे और उसके बाद से वे आइआईटी मद्रास में हैं, यहां वे दूर संचार और कंप्यूटर नेटवर्क समूह (टीनैट) के प्रमुख थे। यह समूह भारत से संबंधित प्रौद्योगिकियों दूर संचार, बैंकिंग, आईटी एवं ऊर्जा प्रणालियों (सौर सहित) के विकास में उद्योग के साथ मिलकर कार्य करता है और ग्रामीण प्रौद्योगिकियों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करता है। इसने पिछले बीस वर्षों में सत्तर कंपनियों को तैयार किया है। वे आईआईटीएम इंक्यूबेशन सेल, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी नवीनता केन्द्र (एचटीआईसी) के अध्यक्ष तथा आईआईटी, मद्रास में ग्रामीण प्रौद्योगिकी एवं व्यवसाय इंक्यूबेटर (आरटीबीआई) के उपाध्यक्ष और आईआईटीएम अनुसंधान पार्क के प्रभारी प्रोफेसर रह चुके हैं। वे आईआईटी एवं एनआईटी के अलावा 500 भारतीय इंजीनियरिंग कॉलेजों पर केंद्रित एमएचआरडी समिति ''क्वालिटी इंहान्समेंट ऑफ इंजीनियरिंग एडुकेशन (क्यूईईई) के प्रमुख भी रह चुके हैं।

डॉ. अशोक झुनझुनवाला को वर्ष 2002 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उन्हें 1998 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, वर्ष 1997 के लिए डॉ. विक्रम साराभाई अनुसंधान पुरस्कार, वर्ष 2000 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस में मिलेनियम पदक, वर्ष 2002 में ''विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता के लिए एचके फिरोडिया पुरस्कार, वर्ष 2004 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए भी ओम प्रकाश भसीन फाउंडेशन पुरस्कार, वर्ष 2006 के लिए जवाहर लाल नेहरू जन्म शताब्दी व्याख्यान पुरस्कार और 2006 में आईबीएम द्वारा आईबीएम नवाचार और नेतृत्व मंच पुरस्कार, 2009 में बर्नार्ड लॉ ह्यूमेनिटेरियन पुरस्कार, 2010 में नवाचार के माध्यम से विज्ञान व प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग के लिए ''भारत अस्मिता विज्ञान–तंत्रज्ञान श्रेष्ठ पुरस्कार, 2008 में बलिकिनेज प्रौद्योगिकी संस्थान, स्वीडन तथा 2010 में यूनिवर्सिटी ऑफ मेन, यूएसए द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त उन्हें डीएसटी, भारत सरकार द्वारा जेसी बोस फेलोशिप, टीआईई द्वारा द्रोणाचार्य पुरस्कार (2011) और हाल ही में 2011 में प्रवर्तक चुनौती में प्रमुख 11 के प्रमुख प्रवर्तक पुरस्कार से भी नवाजा गया है। वे विश्व बेतार अनुसंधान फोरम, आईईईई तथा आईएनएई, आईएएस, आईएनएसए एवं एनएएस सहित भारतीय अकादमियों के अध्यता हैं।

डॉ. झुनझुनवाला टाटा टेलीसर्विसेस (महाराष्ट्र) लिमिटेड, पोलारिस, 3आई इंफोटेक, सासकेन, तेजस, टाटा कॉम्यूनिकेशन्स, एक्सीकॉम एवं महिन्द्रा रेवा इलैक्ट्रिकल वेहकल्स प्रा. लि. के बोर्ड में निदेशक हैं। वे विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों तथा बाइरैक सहित 25 कंपनियों के बोर्ड सदस्य हैं। वे 2004–14 तक प्रधानमंत्री द्वारा गठित वैज्ञानिक सलाहकार समिति के सदस्य थे।

डॉ. गगनदीप कांग

डॉ. गगनदीप कांग वेल्लोर, भारत में क्रिश्चिन मेडिकल कॉलेज (सीएमसी) में जठरांत विज्ञान विभाग में प्राफेसर हैं। वे वैलकम ट्रस्ट रिसर्च लैबोरेटरी तथा सीएमसी के जठरांत्र विज्ञान विभाग की प्रमुख हैं।

डॉ. कांग की अनुसंधान कार्य बाल आंत्रशोथ पर अनुसंधान रोटावायरस महामारी विज्ञान, रोकथाम एवं टीका विकास पर केन्द्रित है। आण्विक विभेद निगरानी के लिए उन्होंने भारतीय एंटेरिक वायरोलॉजी प्रयोगशालाओं पर एक नेटवर्क विकसित करने तथा एसईएआरओ हेतु डब्ल्यूएचओ रोटावायरस संदर्भ प्रयोगशाला के लिए कार्य किया, कुल मिलाकर जिसके परिणाम स्वरूप महामारी विज्ञान, भारत में इसके भार और फैलाव पर अंतरदृष्टि प्राप्त हुई। आँत क्रियात्मक पर अतिरिक्त अध्ययन के तहत आँत संक्रमण के परिणाम तथा दीर्घावधि वृद्धि एवं विकास पर प्रभावों का जांच की। रोटावाइरस टीका पर क्लिनिकल अनुसंधान की वजह से पहले चरण से दूसरे चरण की अध्ययन की सुविधाएं उपलब्ध हुई और टीका के विकास के लिए प्रयोगशाला परख में सहायता मिली।

डॉ. कांग के कार्य को यूएस राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान, द वेलकम ट्रस्ट, द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, द यूरोनियन यूनियन तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय फंडिंग द्वारा वित्तीय सहायता मिली है। उनके कार्यों को उच्च मानक वाले राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की 200 से अधिक पत्रिकाओं में प्रकाशित किया गया और उनके योगदान को मान्यता प्रदान की गई। वह पहली महिला और पहली भारतीय हैं, जिन्हें प्रतिष्ठित ट्रॉपिकल मेडिसिन के मानसून पुस्तक के सम्पादन के लिए आमंत्रित किया गया था। उनके समूह द्वारा किए गए अनुसंधान का अधिकांश हिस्सा आंत्रशोथ रोग को रोकने के लिए व्यावहारिक समस्या को दूर करने और उपचार तकनीक एवं टीका के रूप में बेहतर कार्य के लिए बुनियादी कार्य को जारी रखने पर केंद्रित है।

उन्होंने सीएमसी में एमबीबीएस, एमडी और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है और उन्हें रॉयल कॉलेज ऑफ पैथोलोजिस्ट्स, लंदन की अध्येतावृत्ति प्रदान की गई है। वे भारतीय विज्ञान अकादमी, राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी और अमेरिकन अकादमी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की निर्वाचित अध्येता भी हैं।

प्रो. दीपक पेंटल

प्रो. दीपक पेंटल, दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति हैं और वर्तमान में विश्वविद्यालय, दक्षिण परिसर में आनुवांशिकी के प्रोफेसर हैं। पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर और पंजाब विश्वविद्यालय से पीएचडी करने वाले प्रो. पेंटल यूनिवर्सिटी ऑफ रुटगर्स, यूएसए के स्नातकोत्तर अध्येता थे। उनकी विशेषज्ञता के मुख्य क्षेत्र है पादप जैव प्रौद्यौगिकी और आनुवंशिकी तथा पादप प्रजनन। प्रो. पेंटल को अनेक पुरस्कार दिए गए हैं जैसे शिक्षा और अनुसंधान में उनके योगदान के लिए 'ऑफिसर डेस एकाडेमिक' फ्रांस की लोकतांत्रिक सरकार द्वारा प्रदान किया गया, कृषि में अनुसंधान के लिए ओ पी भसीन पुरस्कार (2008) और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए फिक्की पुरस्कार (2010)। प्रो. पेंटल राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकाडमी, राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी और भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के निर्वाचित सदस्य हैं। उन्हें डीएसटी द्वारा जे सी बोस राष्ट्रीय अध्येता वृत्ति (2009) और इंसा द्वारा जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी अतिथि अध्येता वृत्ति (2008) प्रदान की गई है। उनके नाम से बड़ी संख्या में प्रकाशन, पेपर्स एवं पुस्तकें हैं जिसमें 5 पेटेंट शामिल हैं।

डॉ. दिनकर मसानू सालुंके

डॉ. सालुंके वर्तमान में जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्रीय केंद्र, फरीदाबाद के अधिशासी निदेशक हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान बैंगलोर से पीएचडी (1983) करने के बाद वे यू.एस.ए. के ब्रांडीज विश्वविद्यालय में पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ती की जिसके उपरांत 1988 में वे नई दिल्ली के भारतीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान में जहाँ उनकी लीन है, अनुसंधान शुरू की। डॉ. सालुंके की अनुसंधान रूचियां हैं प्रतिरक्षी पहचान का संरचनात्मक जीव विज्ञान, आण्विक मिमिक और एलर्जी। वे भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (2004), भारतीय विज्ञान अकादमी (2001), राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (1995) के अध्येता हैं। डॉ. सालुंके को कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं जैसे कि जैविक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता हेतु जीएन रामाचंद्रन गोल्ड मेडल (2010), जे सी बोस राष्ट्रीय फेलोशिप पुरस्कार (2007), चिकित्सा विज्ञान में मूलभूत अनुसंधान के लिए रैनबैक्सी अनुसंधान पुरस्कार (2002), जैविक विज्ञान हेतु शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार (2000) एवं राष्ट्रीय जीव विज्ञान पुरस्कार (1999)।

सरकार द्वारा नामित

डॉ. मो. असलम

डॉ. मो. असलम वर्तमान में जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) में सलाहकार (वैज्ञानिक 'जी') हैं। वे प्लांट जैव प्रौद्योगिकी एवं संबंधित क्षेत्रों में विभिन्न आरएंडडी कार्यक्रमों की योजना, संयोजन तथा निगरानी में शामिल हैं। वर्तमान में, वे डीबीटी के प्रमुख कार्यक्रमों जैसे कि जैव प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केन्द्र, औषधीय व सुगंधीय संयंत्रों से परिष्कृत तथा उत्पादों के अनुवादात्मक अनुसंधान और सिल्क में प्रौद्योगिकी विकास का संचालन कर रहे हैं। डॉ असलम जैव प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केन्द्र के तकनीकी सलाहकार समिति, औषधीय व सुगंधीय संयंत्रों से परिष्कृत तथा उत्पादों के अनुवादात्मक अनुसंधान पर डीबीटी के विशेषज्ञ समूहों और सिल्क में प्रौद्योगिकी विकास के सदस्य सचिव हैं। वे तीन स्वायत्त संस्थानों– राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान (एनआईआई), नई दिल्ली; जैव संसधान एवं स्थायी विकास संस्थान (आईबीएसडी), इम्फाल, मणिपुर; और अन्तर्राष्ट्रीय जनेरिक इंजीनियरिंग एवं जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र (आईसीजीईबी), नई दिल्ली के लिए डीबीटी में तथा बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल में भी नोडल अधिकारी के तौर पर कार्यरत हैं

कॉर्पोरेट सूचना

पंजीकृत कार्यालय	:	प्रथम तल, एमटीएनएल भवन, 9, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 CIN:U73100DL2012NPL233152 वेबसाइटः www.birac.nic.in, ई–मेलः birac.dbt@nic.in, दूरभाषः +91–11–24389600
सांविधिक लेखा परीक्षक	:	**मे. संपर्क एण्ड एसोसिएट्स** चार्टर्ड एकाउंटेंट, 302, तीसरा तल, नीलकंठ हाउस एस–524, स्कूल ब्लॉक शकरपुर, दिल्ली–110092
बैंकर्स	:	**कॉर्पोरेशन बैंक,** सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
	:	**स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद** सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
कंपनी सचिव	:	श्रीमती कविता अनंदानी

निदेशक की रिपोर्ट

निदेशक की रिपोर्ट

सदस्यों के लिए,

आपके निदेशकों को 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित तुलना पत्र और आय तथा व्यय लेखा के साथ प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता है।

1. बाइरैक के बारे में

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बाइरैक) की स्थापना विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) द्वारा एक अंतरा पृष्ठ एजेंसी के रूप में एक नए सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के तौर पर 20 मार्च 2012 को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत अलाभकारी कंपनी धारा 25 के रूप में (जो अब कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक धारा 8 कंपनी है) सामरिक अनुसंधान और नवाचार हेतु उभरते हुए बायोटेक उद्यमियों को सुदृढ़ और सशक्त बनाने तथा राष्ट्रीय स्तर पर संगत उत्पाद विकास जरूरतों को संबोधित करने के लिए की गई थी। बाइरैक को 10 जनवरी 2014 को अनुसूची 'बी' सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया था।

संकल्पना

बाइरैक की संकल्पना समाज के सबसे बड़े वर्ग की जरूरतों को संबोधित करने के लिए वहनीय उत्पाद तैयार करने हेतु भारतीय बायोटेक उद्योग, विशेष रूप से एसएमई की सामरिक अनुसंधान और नवाचार क्षमताओं को प्रेरित, पोषित और प्रवर्धित करना है।

मिशन

उद्योग द्वारा नवाचारी विचारों के उत्पादन और इनके बायोटेक उत्पादों तथा सेवाओं के रूपांतरण की सुविधा तथा मेंटर करना, शिक्षाजगत – उद्योग सहयोग को प्रोत्साहन, अंतरराष्ट्रीय सह संबंध बनाना, प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता को प्रोत्साहन तथा व्यावहारिक जैव उद्यमों के निर्माण तथा स्थायित्व की सक्षमता।

2. हमारी विचारधारा

प्राथमिक अधिदेश ''आरंभ होने वाली बायोटेक कंपनियों को व्यावहारिक और प्रतिस्पर्द्धी उत्पादों तथा उद्यमों में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के नवाचारी अनुसंधान में रूपांतरण हेतु प्रेरणा, रूपांतरण तथा समर्थन देना है''। बाइरैक की मुख्य विचारधारा नवाचार को पोषण तथा खोज के रूपांतरण को बढ़ावा देना एवं बाजार में तैयार प्रौद्योगिकियों तथा उत्पादों के लिए नए आविष्कारों को आगे बढ़ाना है।

बाइरैक ने अपने अस्तित्व के दो वर्षों के दौरान अपने सभी पणधारियों तक पहुंच बनाने तथा विशेष प्रयासों की शुरूआत की है जो बढ़ते उद्यम की जरूरतें पूरी कर सकें और वहनीय उत्पाद विकास के लिए नवाचार अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण और सुदृढ़ीकरण करें।

युवा उद्यमियों, आरंभ होने वाली कंपनियों तथा छोटे और मध्यम उद्यमों में नवाचार अनुसंधान संस्कृति को पोषण देने तथा सुदृढ़ बनाने पर ध्यान केन्द्रित है। वर्ष के दौरान एक शिक्षा जगत – उद्योग अंतरापृष्ठ को मजबूत बनाया गया है और शैक्षिक अनुसंधान को प्रोत्साहन देने की योजना है, जिससे उत्पाद विकास के लिए रूपांतरण चरण से गुजर कर अनुसंधान की प्राप्तियां प्रयोगशालाओं से बाहर आएं। एक समान विचारों वाले संगठनों को एक साथ लाने, नेटवर्क के निर्माण और उत्पाद विकास के लिए आवश्यक सहक्रियाएं प्रदान करने हेतु भागीदारी को सुदृढ़ बनाया गया है।

जबकि वहनीय और सामाजिक नवाचार पर फोकस बना हुआ है, वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्द्धी बायोटेक उद्यम के निर्माण हेतु क्षमता और शक्तियों को बढ़ाने के प्रयास जारी हैं।

बाइरैक द्वारा नवाचार से प्रेरित बायोटेक उद्यमों को '2025 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर बायोटेक उद्योग' बनने की भारतीय संकल्पना को पूरा करने के लिए नवाचार से प्रेरित बायोटेक उद्यम को सशक्त, सक्षम बनाने और प्रेरणा प्रदान करने तथा एक वास्तविक 'भारतीय जैव अर्थव्यवस्था' का निर्माण करने के प्रयास किए जाते हैं।

देश में उभरने वाले जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में एक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए एक अलाभकारी कंपनी के तौर पर बाइरैक को औपचारिक तौर पर आरंभ करने के बाद से दो वर्ष का समय बीत चुका है, 5 फरवरी 2014 को भविष्य में कदम रखने के लिए बाइरैक के अपने व्यापार मॉडल को प्रदर्शित करने और उस पर विचार विमर्श के लिए एक सामरिक बैठक का आयोजन किया गया था। सरकार, उद्योग और शिक्षा जगत तथा बायोटेक संसाधनों व्यक्तियों को लेकर बाइरैक की उभरती भूमिका पर विचार विमर्श के लिए दो दिनों तक एक उच्च स्तरीय समूह प्रतिनिधि पणधारी बैठक का आयोजन किया गया है। इन व्यापक विचार विमर्शों में अनेक महत्वपूर्ण चर्चाएं की गई, जो मौजूदा कार्यक्रमों पर चारों ओर से गहराई से केन्द्रित थीं तथा मौजूदा कार्यक्रमों के बीच अंतरालों को दूर करने, एक विनियामक प्रकोष्ठ बनाने पर विचार किया गया जो राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय विनियमों पर आरंभ होने

वाली कंपनियों तथा छोटे और मध्यम उद्यमों को सलाह दे सकें, नवाचारी रूपरेखा को समर्थन देने के लिए उद्यम निधियों के साथ संलग्नता, नए क्षेत्रों पर फोकस, जैसे वैयक्तिक दवाएं और नैदानिकी तथा जैव विनिर्माण एवं जन समूह तक पहुंचने के लिए व्यापक रूप से सुनिश्चिय करना। इस पर सहमति हुई थी कि बाइरैक परिभाषित कार्य नीतियों पर अपना फोकस जारी रखे, इन प्रयासों में उपरोक्त संबोधित बिन्दुओं पर सभी पणधारियों से गहराई से विचार किया जाए।

3. लेखा परीक्षा समिति

बाइरैक एक अलाभकारी कंपनी के रूप में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत पंजीकृत है। यह एक निजी लिमिटेड कंपनी है, जो किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है। लेखा परीक्षा समिति की संरचना कंपनी पर लागू नहीं है, क्योंकि यह एक सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। जबकि, एक लेखा परीक्षा समिति की संरचना में डीपीई दिशानिर्देशों की नैगम शासन पर आवश्यकता होती है। तदनुसार बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति का गठन तीन निदेशकों के साथ किया गया था, जिनमें से दो 1 मई 2014 को स्वतंत्र थे।

4. वित्तीय विवरण

वित्तीय विवरण, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानकों के अनुसार, ऐतिहासिक लागत नियमों के तहत लेखांकन के प्रोद्भवन विधि के आधार पर तैयार किया जाता है।

5. सूचना का अधिकार

बाइरैक द्वारा सरकार के दिशा निर्देशों, सीपीआईओ और इसकी वेबसाइट (www.birac.nic.in) पर उपलब्ध अन्य विवरणों के अनुसार सभी आवश्यक प्रविधियों और प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है।

6. समझौता ज्ञापन (एमओयू)

बाइरैक ने 2014–15 के लिए प्रशासनिक मंत्रालय, जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी), विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ 24 मार्च, 2014 को लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

7. निदेशक के उत्तरदायित्व का विवरण

जैसा कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2एए) के प्रावधानों के अनुसार, निदेशक ने कहा कि :

क. वार्षिक खातों को बनाते समय, लागू लेखांकन मानकों और सामग्री प्रस्थान से संबंधित उचित व्याख्याओं का पालन किया गया है।

ख. प्रयुक्त लेखांकन नीतियां चयनित की गई। लिए गए निर्णय और अनुमान उचित और विवेकपूर्ण थे जिससे वित्तीय वर्ष तथा कंपनी के आय और व्यय के अंत में कंपनी के कार्यों और इस अवधि के दौरान कंपनी के लाभ की सच्ची और वास्तविक स्थिति का पता चला।

ग. कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार, पर्याप्त लेखा रिकार्ड बनाए रखने में उपयुक्त और पर्याप्त सावधानी बरती गई है।

घ. वार्षिक लेखा, चालू विषय के आधार पर तैयार किया गया है।

8. नैगम शासन

इस रिपोर्ट के साथ नैगम शासन पर एक अलग रिपोर्ट संलग्न है।

9. अंकेक्षक रिपोर्ट

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा कंपनी की सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में समीक्षाधीन अवधि के लिए मैसर्स संपर्क एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को नियुक्त किया गया है। लेखा परीक्षकों / सीएजी के प्रेक्षणों के संबंध में टिप्पणी निदेशकों की रिपोर्ट के अनुबंध के रूप में दी गई हैं और स्वतः स्पष्ट हैं और लेखा पर विभिन्न नोट्स में उपयुक्त तरीके से स्पष्ट किया गया है।

10. बैंकर्स

बैंकर्स हैं

- कॉर्पोरेशन बैंक, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003
- स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली –110003

11. कर्मचारियों का विवरण :

कोई भी कर्मचारी कंपनी (कर्मचारियों का विवरण) नियमावली, 1975, यथाःसंशोधित के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2ए) के तहत निर्धारित वित्तीय सीमा से अधिक पारिश्रमिक आहरित नहीं कर रहा है।

12. निदेशकों के बारे में :

बाइरैक को वरिष्ठ व्यावसायिकों, शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं तथा उद्योग के प्रतिष्ठित व्यावसायिकों से मिलकर बने बोर्ड द्वारा मार्गदर्शन दिया जाता है। बोर्ड के अध्यक्ष जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव, प्रो. के. विजयराघवन और जैव प्रौद्योगिकी विभाग की वरिष्ठ सलाहकार, डॉ. रेनू स्वरूप, प्रबंध निदेशक हैं।

बोर्ड में चार स्वतंत्र निदेशक भी हैं, जो हैं प्रो. अशोक झुनझुनवाला, प्रोफेसर, आईआईटी चेन्नई, डॉ. गगनदीप कांग, प्रोफेसर और

प्रमुख, गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल विज्ञान विभाग, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर, प्रो. दीपक पेंटल, आनुवंशिकी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, डॉ. दिनकर मसानू सालुंके, कार्यकारी निदेशक, क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र एवं डॉ. मोहम्मद असलम, वैज्ञानिक 'जी', जैव प्रौद्योगिकी विभाग जिन्हें 13.12.2013 से सरकार द्वारा नामित किया गया था।

13. अनुपालन प्रमाणपत्र

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 383ए के अनुसार, कार्यकारी कंपनी के सचिव, मैसर्स नीलम गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स, नई दिल्ली से एक अनुपालन प्रमाणपत्र लिया गया है। प्रमाणपत्र, निदेशक रिपोर्ट का हिस्सा है।

14. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और खर्च

कंपनी (निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट में विवरण का प्रकटीकरण) नियमावली, 1988 के अनुसार, ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और खर्च की जानकारी देने वाला विवरण इस प्रकार है:

क. ऊर्जा संरक्षण

ऊर्जा संरक्षण के संबंध में प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

ख. प्रौद्योगिकी अंगीकार कराना और नवाचार

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (1) (ई) के अनुसार अनुसरण में संबंधित नियम के फार्म बी के तहत आवश्यक विवरण नहीं दिया गया है क्योंकि कम्पनी अनुसंधान और विकास संबंधी कोई कार्यकलाप नहीं करती। तथापि, कंपनी का मुख्य कार्य बायोटेक उद्योग में नवाचार अनुसंधान को सहायता प्रदान करना और अनुसंधान के सभी स्थानों में उद्यमशीलता को अपनाने और हस्तांतरण को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी प्रबंधन को प्रोत्साहित करना है।

ग. विदेशी मुद्रा आया एवं खर्च

वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा आय और खर्च नीचे दिए गए है–:

दान के रुप में विदेशी मुद्रा अंतर्वाह	शून्य
विदेशी मुद्रा बहिर्वाह	
क. डेटाबेस अंशदान	USD 73688 & GBP 7548
ख. कर्मचारियों द्वारा विदेशी यात्रा	USD 2300
ग. उद्यमियता विकास	GBP 16918

पावती

निदेशकों ने लेखा परीक्षकों, बैंकों और विभिन्न सरकारी एजेंसियों को दिए गए बहुमूल्य मार्गदर्शन और सहयोग के लिए उनकी सराहना की। निदेशकों ने कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किए गए गंभीर प्रयासों के लिए भी उनकी सराहना की।

दिनांक : 9 सितम्बर, 2014
स्थान : नई दिल्ली

कृते और बोर्ड की ओर से
प्रो. के. विजयराघवन
अध्यक्ष

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

(2013–14 की निदेशक रिपोर्ट का भाग)

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट
(2013–14 की निदेशक रिपोर्ट का भाग)

1. औद्योगिक संरचना और विकास

भारत सरकार ने उच्च जोखिम नवाचार के जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान करने वाली कंपनियों पर केन्द्रित निधिकरण प्रदान करने के कई कदम उठाए हैं, खास तौर पर उन कंपनियों के लिए जो आरंभिक चरण पर हैं। भारत ने विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से क्षेत्र में निवेश बढ़ाए हैं। राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी कार्यनीति 2007 में स्वतंत्र संगठन – बाइरैक की स्थापना की रूपरेखा तैयार की गई थी। जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बाइरैक) अनुसूची 'बी' सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की स्थापना मार्च 2012 में जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक इंटरफेस एजेंसी के रूप में की गई थी, जो निधिकरण, मूल संरचना, क्षमता निर्माण और मेंटरिंग सहायता के माध्यम से नवाचार पारिस्थितिक तंत्र को समर्थन देती है। इसमें युवा उद्यमियों की नवाचार अनुसंधान क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने और उनकी वृद्धि, आरंभ होने वाली कंपनियों तथा छोटे और मध्यम उद्यमों पर फोकस किया गया है। ट्रांसलेशनल अनुसंधान के निधिकरण द्वारा खोजों के वाणिज्यीकरण को उद्दीपित करने का लक्ष्य है।

जैव विज्ञान के समग्र उद्योग में जैव भैषजिकी, नैदानिकी, क्लिनिकल और संविदा अनुसंधान सेवाओं, एंजाइम, जैव कृषि और जैव सूचना विज्ञान से 2012–13 में 23,524 करोड़ रु. की वृद्धि दर्ज की गई। भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए 4.5 बिलियन* अमेरिकी डॉलर का राजस्व दर्ज किया गया। 2025 में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर राजस्व अर्जित करने के लिए प्रयासरत है।**

भारत का जैव भैषजिकी क्षेत्र टीकों में दुनिया का अग्रणी है जो विश्व की आपूर्ति के 60 प्रतिशत का उत्पादन करता है। भारतीय ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के अनुसार 50 से अधिक ब्रांड का उत्पादन लगभग 15 कंपनियों द्वारा किया जाता है। टीके भारत के जैव भैषजिकी क्षेत्र के अंदर राजस्व के सशक्त उत्पादक माने जाते हैं तथा उद्योग ने वैश्विक मांग पूरी करने के लिए लागत प्रतिस्पर्द्धी उत्पाद प्रदान करने और उनके नवाचार की क्षमता दर्शाई है।

भारत में इसकी स्वदेशी दवा और सक्रिय भैषजिक घटक विनिर्माण की क्षमताओं से लंबे समय से जुड़ा है, जो यह भी प्रदर्शित करता है कि यहां नवाचारी जैविक निर्माण की क्षमता है। जैव समकक्षों के उभरते हुए क्षेत्र में भारत में जीवन में सुधार लाने और जीवन बचाने वाली दवाओं की पहुंच और वहनीयता बढ़ाने की आशा निहित है। यह भारतीय जैव भैषजिक कंपनियों के लिए वैश्विक वृद्धि का एक अवसर भी प्रदान करता है। जैव समकक्षों के उभरते हुए बाजार में न केवल भारतीय जैव भैषजिक कंपनियों को आकर्षित किया गया है, बल्कि इसमें स्वदेशी दवा निर्माता भी हैं। इन दवाओं के माध्यम से छोटे अणु वाली स्वदेशी दवाओं की तुलना में अधिक मूल्य मिल सकेगा, यह एक प्रतिस्पर्द्धी बाजार होगा और 2025 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के 5 प्रतिशत से कम के योगदान की संभावना से सुझाव मिलता है कि वृद्धि को प्रेरित करने के लिए नवाचार निर्णायक सिद्ध होगा।

2. सामर्थ्य और दुर्बलताएं

राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास कार्यनीति (एनबीडीएस) की घोषणा 2007 में जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा की गई, जिसमें इसकी संकल्पना ''देश के विविध जैविक संसाधनों को उपयोगी उत्पादों में रूपांतरित करने के लिए सहायता देने हेतु जैव प्रौद्योगिकी के सशक्त साधनों का उपयोग और ऐसे प्रक्रम जो आर्थिक विकास और रोजगार उत्पादन के लिए जन समूह की पहुंच में हैं'' की है। दो वर्ष के अस्तित्व के दौरान बाइरैक ने अपने सभी पणधारकों तक पहुंचने और विशेष अभियानों की शुरूआत के विशेष प्रयास किए हैं, जो नवाचार अनुसंधान पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण तथा सशक्त बनाने एवं बढ़ते उद्यमों की जरूरतें पूरी करते हैं।

बाइरैक की प्रमुख कार्यनीतियां

- अनुसंधान के सभी स्थानों में नवाचार और उद्यमशीलता पालन करना
- प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में वहनीय नवाचार को प्रोत्साहन देना
- शुरूआती और छोटे तथा मध्यम उद्यमों पर उच्च फोकस
- क्षमता वृद्धि के लिए भागीदारों के माध्यम से योगदान
- भागीदारों के माध्यम से नवाचार के प्रसार को प्रोत्साहित करना
- खोज के व्यावसायीकरण सक्षम बनाना
- भारतीय उद्यमों के वैश्विक प्रतियोगितात्मक को सुनिश्चित करना

इन लक्ष्यों का नीचे दी गई नितियों से निकट गठबंधन है

- वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार के प्रोत्साहन और संवर्धन पिछले कुछ वर्षों में भारत की विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति पर बल दिया गया है।
- प्रथम वैज्ञानिक नीति संकल्प (एसपीआर) 1985 में 'सभी विज्ञान में वैज्ञानिक अनुसंधान का पोषण, प्रोत्साहन तथा संवर्धन का स्थायित्व' कहा गया है।

** बायोस्पेक्ट्रम अंक 2, 7 जुलाई, 2014*
*** वार्षिक बायोस्पेक्ट्रम एबीएलई त्वरित वृद्धि सर्वेक्षणः भारत के बायोइकोनॉमी प्रगति*

- प्रौद्योगिकी नीति वक्तव्य (टीपीएस) 1983 में प्रौद्योगिकी दक्षता और आत्म निर्भरता अर्जित करने की जरूरत पर बल दिया गया है।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति (एसटीपी) 2003 में अनुसंधान और विकास हेतु निवेशों की जरूरत पर बल दिया गया है तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी को एक साथ लाया गया है।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार नीति (एसटीआईपी) 2013 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देने की जरूरत, अनुसंधान और विकास में निवेश बढ़ाने की जरूरत पर दोबारा बल दिया गया – निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए एक पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण हेतु।
- नीति में कहा गया है कि 'भारतीय आकांक्षी एसटीआई उद्यमियों की मार्गदर्शक दूरदृष्टि खोज की गति में तेजी लाने और तीव्र, स्थायी तथा समावेशी वृद्धि के लिए विज्ञान के नेतृत्व में समाधानों की प्रदायगी पर है।''

3. जोखिम और प्रशासन

2007 में भारत ने राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास कार्यनीति जारी की, जिसमें उद्योग को ''केन्द्रित ध्यान'' की जरूरत वाले ''एक उभरते हुए क्षेत्र'' के रूप में मान्यता दी गई है।

मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय के लिए नीति में लघु एवं मध्यम कंपनियों में नवाचारी अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए निधिकरण की मांग की गई है और शैक्षिक संस्थानों के अंदर जीवन विज्ञान की संख्या बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं। इसके अलावा यह जैव प्रौद्योगिकी के नए उत्कृष्टता केन्द्रों, नए इंक्यूबेटरों के विकास तथा बायोटेक पार्क और परीक्षण तथा प्रयोगशाला सुविधाओं को समर्थन देती है। भारत ने विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से क्षेत्र में क्रमिक रूप से निवेश बढ़ाए हैं। जैव प्रौद्योगिकी कंपनियों पर वित्तीय दबाव को घटाने तथा निवेश को बढ़ाने के भी कई कदम उठाए हैं, जैसे अनुसंधान और विकास व्यय के लिए सब्सिडी और कर में राहत।

भारत के जैव प्रौद्योगिकी उद्योग के अंदर प्रत्येक क्षेत्र के कुछ विशिष्ट मुद्दे हैं, फिर भी उनकी शक्ति के कुछ सामान्य स्रोत और सामान्य बाधाएं हैं, जो उनकी वृद्धि में रुकावट का खतरा पैदा करती है। वर्ष 2025 तक नवाचार से प्रेरित 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जैव अर्थव्यवस्था की संकल्पना साकार करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि शैक्षिक तथा औद्योगिक क्षेत्रों के बीच संपर्क मजबूत बनाए जाएं, आरंभिक चरण की जैव प्रौद्योगिकी कंपनियों के लिए उपलब्ध निवेश बढ़ाया जाए तथा अनुसंधान और विकास पर अधिक व्यय को प्रोत्साहन दिया जाए।

बाइरैक की प्रमुख कार्यनीतियाँ इस तरह बनाई गई है की साझेदारों के क्षमता की बढ़ाने में ध्यान देकर नवाचार अनुसंधान के ज़रिए वहनीय उत्पाद विकास को प्रोत्साहन देना है।

इसमें युवा उद्यमियों, आरंभ होने वाली कंपनियों तथा छोटे और मध्यम उद्यमों में नवाचार अनुसंधान संस्कृति को पोषण देना और मजबूत बनाना शामिल है। इसे प्रभावी रूप से करने के लिए शिक्षा जगत – उद्योग अंतरापृष्ठ को सुदृढ़ बनाया गया है तथा ट्रांसलेशनल चरण से उत्पाद विकास तक प्रयोगशालाओं में शैक्षिक अनुसंधान प्राप्तियों को प्रोत्साहन देने की प्रणाली बनाई गई है। ''भागीदारी'' सफलता की कुंजी है – भागीदारी जो शिक्षा जगत और उद्योग के बीच, उद्योग संघों के बीच, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान समूहों तथा उद्योगों के बीच नवाचार निधिकरण तथा विकास एजेंसियों – राष्ट्रीय, वैश्विक, सरकारी स्वयं सेवक और कॉर्पोरेट घरानों के बीच।

4. नवाचार का पोषण और 'नवाचार जोखिमों' में कमी – उद्यमशीलता को प्रोत्साहन

4.1 बायोटेक्नोलॉजी इगनिशन ग्रांट (बिग)

बाइरैक का विश्वास है कि राष्ट्र की ''जैव नवाचार पूंजी'' नवीन विचारों से आएगी, जिनमें वाणिज्यिक संभाव्यता है और जो आरंभ होने वाली कंपनियों या शिक्षा जगत से विकसित होंगे। बाइरैक की कार्यनीति ऐसे अनेक विचारोत्तेजक विचारों के साथ नवाचार आरंभ करने की है, जो निधिकरण और मेंटर शिप की अपूरित मांग वाले हैं। इस कार्यनीति को एक बायोटेक्नोलॉजी इगनिशन ग्रांट (बिग) नामक अनुदान निधिकरण योजना के माध्यम से पूरा किया जाता है, जो अनुसंधान संस्थानों, शिक्षा जगत तथा आरंभ होने वाली कंपनियों से आने वाले वैज्ञानिक उद्यमियों के लिए उपलब्ध है। आवेदक या तो एक इंक्यूबेटी होना चाहिए या इसे इस अनुदान की पात्रता के लिए एक कार्यशील अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला से जुड़ी पंजीकृत कंपनी होना चाहिए। इस योजना को खोज तथा आविष्कार के बीच अंतराल को पाटने में सहायता देने के लिए बहुत आरंभिक चरण से अनुदान देकर अनुसंधान खोजों के वाणिज्यीकरण को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है।

बिग योजना का प्रयोजन वाणिज्यीकरण संभाव्यता वाले विचारों के उत्पादन को पोषण देना, संकल्पना प्रमाण को उन्नत और सत्यापित करना, प्रौद्योगिकी को बाजार में आरंभ होने वाली कंपनियों तक पहुंचाने के लिए प्रौद्योगिकी के अनुसंधानकर्ताओं को प्रोत्साहन देना तथा उद्यम निर्माण को बढ़ावा देना है। प्रति वर्ष दो बार 1 जनवरी और 1 जुलाई को प्रस्ताव आमंत्रण की घोषणा की जाती है। इस योजना के भाग के रूप में सफल बिग नवाचारी को 50 लाख रुपए (लगभग 100 हजार अमेरिकी डॉलर) 18 माह तक की अवधि के साथ वाणिज्यीकरण संभाव्यता वाली अनुसंधान परियोजनाओं के लिए दिए जाते हैं।

बिग योजना का प्रबंधन वर्तमान में देश के पांच बिग भागीदारों के माध्यम से किया गया है, जो हैं आईकेपी ज्ञान पार्क, हैदराबाद,

सेंटर फॉर सेल्युलर एण्ड मॉलीक्यूलर (सी–कैम्प), बैंगलोर, फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एण्ड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, नई दिल्ली, केआईआईटी टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर, भुवनेश्वर और वेंचर सेंटर (उद्यमशीलता विकास केन्द्र), पुणे, जो मेंटरिंग, निगरानी, नेटवर्किंग और अन्य व्यापार विकास संबंधी गतिविधियों के लिए इग्निशन ग्रांटी (बिग इनोवेटर्स) के साथ कार्य करते हैं।

बिग भागीदार बिग नवाचारियों के लिए विभिन्न मंच प्रदान करते हैं, अर्थात् आईपी प्रबंधन, कानून और संविदा, संसाधनों की उगाही और जैव प्रौद्योगिकी इग्निशन ग्रांट (बिग इनोवेटर्स) के सभी प्राप्तिकर्ताओं से संबंधित अन्य व्यापार विकास, बिग इनोवेटर्स के लिए कार्यशालाओं / गोष्ठियों / मेंटरिंग सत्रों के आयोजन, वरिष्ठ विशेषज्ञों और अन्य शैक्षिक भागीदारों के साथ मेल जोल के लिए मंच प्रदान करने और चुनी हुई परियोजनाओं के पूरे होने से पहले पूर्व स्नातक समारोह या एक बार के मेटरिंग सत्र के आयोजन से संबंधित गतिविधियों की मेंटरिंग और सहायता।

अगस्त – सितम्बर 2014 में बिग का प्रथम बैच स्नातक होगा और बाइरैक द्वारा उन्हें आगे समर्थन देने की विभिन्न जारी और भावी गतिविधियां की जाएंगी।

बाइरैक ने मार्च 2014 तक अपने चौथे आमंत्रण की घोषणा की है। नीचे तालिका में बिग योजना की समग्र स्थिति बताई गई है।

बिग कॉल	I	II	III	IV
प्रारम्भ तिथि	1.06.2012	1.1.2013	1.7.2013	1.1.2014
प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	133	156	176	178
बीआईजी साझेदारों द्वारा सिफारिश की गई प्रस्तावों की कुल संख्या	40	58	63	75
अनुमोदित परियोजनाएं	19	20	26	31 नियत परिश्रमशीलता के तहत एवं संस्तुति

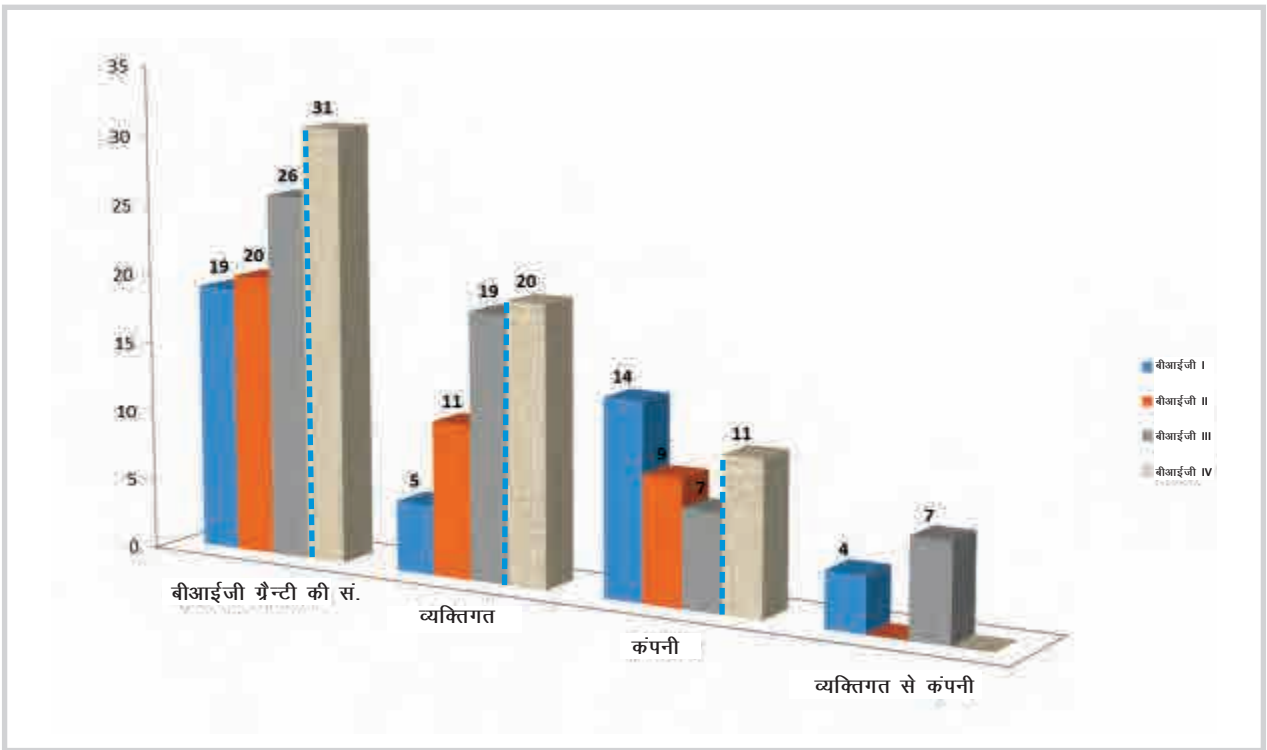

प्रथम आमंत्रण बिग समापन मेंटरिंग कार्यक्रम 17 – 18 जून 2014

जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित सेंटर फॉर सेल्युलर एण्ड मॉलीक्यूलर (सी–कैम्प), बिग के भागीदारों में से एक है। सी–कैम्प के मेंटरिंग कार्यक्रम के दौरान 17 और 18 जून 2014 को प्रथम आमंत्रित के नवाचारियों की पहली दीक्षांत कार्यक्रम आयोजित किया। बिग के प्रथम दौर (2012 में विलंब से आरंभ) में सी–कैम्प की 6 आरंभ होने वाली कंपनियों / उद्यमियों ने संकल्पना प्रमाण अध्ययनों की ओर अपने नवाचारी विचारों की सफलतापूर्वक प्रगति की।

सी–कैम्प ने बिग 1 वैलिडिक्टरी परामर्शी कार्यक्रम 2014

क. सी–कैम्प बिग ग्रांटी दीक्षांत भोज – जार के साथ भोजन

योजनाबद्ध दो कार्यक्रमों से एक डॉ. किरण मजुमदार शॉ की मेजबानी में एक विशेष भोज ''जार के साथ भोज'' आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पुरस्कार विजेताओं को उद्योग के सफल उद्योगपतियों के साथ मेलजोल और उनके अनुभवों से सीखने का अवसर देना था।

ख. सी–कैम्प बिग ग्रांटी मेंटरिंग कार्यक्रम :

दूसरा कार्यक्रम शिक्षा जगत और उद्योग के विशेषज्ञों के साथ सी–कैम्प में मेंटरिंग कार्यक्रम का आयोजन था, जिनमें से अनेक को शिक्षा जगत, उद्योग और अपनी कंपनी और आरंभ करने वाले लोगों के साथ विभिन्न रूपों में नवाचार को समर्थन देने के अनुभव मिले।

4.2 बायो इंक्यूबेटर समर्थन योजना (बीआईएसएस)

जैव प्रौद्योगिकी में तकनीकी उद्यमशीलता को पोषण देने के लिए बाइरैक ने मौजूदा बायो इंक्यूबेटरों को मजबूत बनाने तथा उनके उन्नयन एवं विश्वविद्यालयों/संस्थानों/बायोटेक पार्कों/एसईजेड जैसे महत्वपूर्ण स्थानों में नए विश्व स्तरीय बायो इंक्यूबेटरों की स्थापना के लिए समर्थन प्रदान किया। ये बायोइंक्यूबेटर आरंभ होने वाली कंपनियों को उनकी शुरूआती वृद्धि के लिए इंक्यूबेशन स्थल तथा अन्य आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं।

एक विश्वस्तरीय, आधुनिकतम राष्ट्रीय बायो इंक्यूबेटर की स्थापना फरीदाबाद के बायोइंक्यूबेटर सहित देश भर में 13 मौजूदा इंक्यूबेटरों को बाइरैक के संरचित निधिकरण और मेंटरिंग समर्थन द्वारा सहायता और सुदृढ़ीकरण प्रदान किया है। लगभग 1,24,000 वर्ग फीट का इंक्यूबेशन स्थल बनाया गया है। बाइरैक बायो इंक्यूबेटर द्वारा इन्हें सहायता दी जाती है :

आरंभ होने वाली कंपनियों और उद्यमियों के लिए इंक्यूबेशन के स्थल की विवरण इस प्रकार है :

- प्रयोगशाला स्थल : 200 वर्ग फीट, 300 वर्ग फीट, 500 वर्ग फीट
- बेंच स्थल : आधा / पूरा बेंच
- कार्यालय स्थल : विशिष्ट सुविधा का निर्माण
- संयंत्र की वृद्धि
- गुणवत्ता परीक्षण
- सूक्ष्मजीव किण्वन
- केन्द्रीय उपकरण सुविधा में विशेष उपकरण पूल तक पहुंच
- शिक्षा जगत से उद्योग तक ज्ञान के सुचारू प्रवाह के लिए और आवश्यक तकनीकी मेंटरशिप प्रदान करने के लिए उद्योग –शिक्षा जगत मेलजोल का संपर्क और सुविधा प्रदान करना।

क. सक्षम सेवाओं और आवश्यक सदस्यता के लिए :

- क. बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर)
- ख. कानूनी परामर्श
- ग. व्यापार सलाह
- घ. अन्य परामर्शी सेवाएं

ङ अन्य निधिकरण सहायता
च. संसाधन उगाही और नेटवर्किंग मंच
छ. अन्य सेवाएं

ख. जैव इंक्यूबेटरों को चलाने के लिए प्रासंगिक आवश्यक जनशक्ति

बायोइन्क्यूबेटर की सूची

	इन्क्यूबेटर	लक्षित स्थिति	इन्क्यूबेशन स्थान (वर्ग फुट में)
1	आईकेपी, हैदराबाद	स्टेंड अलोन पार्क/बायो पार्क	3000
2	एसबीटीआईसी, हैदराबाद		3550
3	जीएसबीटीएम, सावली		14090
4	केएसआईडीसी, त्रिवेंद्रम		3000
5	आरसीबी बायो क्लस्टर, फरीदाबाद, फेज–I	बायोटेक क्लस्टर	55000
6	एफआईटीटी, आईआईटी दिल्ली	भारतीय प्रद्यौगिकी संस्थान	3500
7	एसआईडीबीआई, आईआईटी कानपुर		7000
8	आईआईटी मद्रास		10000
9	सी–कैम्प, बैंगलोर	विश्वविद्यालय/अनुसंधान संस्थान	3000
10	जेडटीएम–बीपीडी, आईएआरआई, दिल्ली		3000
11	केआईआईटी–टीबीआई		8000
12	एनसीएल, पुणे		6000
13	पीईआरडी, अहमदाबाद		5000
	कुल		124140

9 इन्क्यूबेटर पूर्णतः परिचालन में हैं, कुल 49 इन्क्यूबेटीज वर्तमान में इन्क्यूबेटेड हैं और 12 इन्क्यूबेटीज निर्देश प्राप्त कर रहे हैं या वर्चूअल इन्क्यूबेटीज हैं।

4.3 यूनिवर्सिटी इनोवेशन क्लस्टर (यूआईसी)

बाइरैक ने भारतीय विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय नवाचार परिषद (एनआईएनसी) द्वारा बनाए गए क्लस्टर नवाचार केन्द्र (सीआईसी) के माध्यम से अनुभव के आधार पर नवाचार तथा तकनीकी उद्यमशीलता की संस्कृति को पोषण देने की सामरिक कार्य योजना का विकास किया है। यह एक सक्रिय पारिस्थितिक तंत्र को उन्मुख रूप से बनाने के लिए विश्वविद्यालयों का एक नवाचार समर्थन कार्यक्रम है जो युवा उद्यमी स्तर पर नवाचार का बीज, पोषण और संवर्धन कर सकता है।

नीचे उल्लिखित पांच विश्वविद्यालय क्लस्टरों को जैव प्रौद्योगिकी क्लस्टर नवाचार केन्द्रों (सीआईसी–बी) की स्थापना के लिए अभिज्ञात किया गया है :

1. अन्ना यूनिवर्सिटी, चेन्नई
2. पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़
3. तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कोयम्बटुर
4. यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर
5. यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस, धारवाड़

जैव प्रौद्योगिकी में क्लस्टर नवाचार केन्द्र (सीआईसी–बी) की मेजबानी इन विश्वविद्यालयों में करने से नवाचार पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत बनाने के लिए पणधारकों के बीच भागीदारी एवं नेटवर्क निर्माण की सुविधा मिलेगी, नवाचारी ईको सिस्टम को सुदृढ़ बनाने के लिए सी आई सी–बी पूर्व इंक्यूबेशन सहायता प्रदान करेंगे जिसके द्वारा युवा छात्र उद्यमियों को नवाचारी विभाग को आगे बढाने एवं उत्पन्न में परिवर्तन करने में सहायता मिलेगी।

यूआईसी के समर्थन में शामिल है :

- 5–6 छात्रों / युवा उद्यमियों के विचारों / खोजों को परखने तथा उन्हें संकल्पना प्रमाण तक ले जाने के लिए एक क्लस्टर;
- 2500–3000 वर्ग फीट का एइंक्यूबेशन स्थल;
- प्रति विश्वविद्यालय दो (2) पोस्ट डॉक और चार (4) पोस्ट एम. एससी अध्येताओं के लिए बाइरैक नवाचार अध्येतावृत्तियां;

- बाइरैक नवाचार अनुदान :
- पोस्ट डॉक. अध्येता : बाइरैक नवाचार अध्येतावृत्ति 50,000 प्रति माह और नवाचार अनुदान 5,00,000 रु. प्रति वर्ष तीन वर्ष के लिए
- पोस्ट एम. एससी. अध्येता : बाइरैक नवाचार अध्येतावृत्ति 30,000 प्रति माह और नवाचार अनुदान 2,00,000 रु. प्रति वर्ष तीन वर्ष के लिए
- प्रशिक्षण, मेंटरिंग, प्रायोजित अनुसंधान और नेटवर्किंग अवसरों तथा आईपी और प्रौद्योगिकी प्रबंधन निधिकरण जोखिम तक पहुंच एवं अन्य सुविधाओं के लिए उद्योग भागीदारी

4.4 बाइरैक क्षेत्रीय नवाचार केन्द्र

दक्षिण भारत में बाइरैक के अधिदेश को उन्नत बनाने के लिए जीवन विज्ञान आधारित संगठनों के साथ गहराई में संलग्नता करने हेतु आईकेपी ज्ञान पार्क बाईरैक के साथ 2013 में भागीदारी करके बाइरैक क्षेत्रीय नवाचार केन्द्र (ब्रिक) की स्थापना की गई।

बाइरैक के निम्नलिखित तीन अधिदेश हैं :

क) क्षेत्रीय अभिनव पारिस्थितिकी तंत्र मानचित्रण

- आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल के क्षेत्रीय इलाकों में आरआईएस मानचित्रण, जिसमें अनुसंधान एवं विकास संस्थानों, कंपनियों, संघों एवं व्यावसायिक समूहों को अपने–अपने विशेषज्ञता के अनुसार शामिल कर मानचित्रण करना
- हैदराबाद क्षेत्र का आरआईएस मानचित्रण पूरा हो गया है।

ख) आईपी और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्रकोष्ठ

- आईपी और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्रकोष्ठ एपी फार्मा क्लस्टर में प्रौद्योगिकियों की मांग और आपूर्ति पर एक अध्ययन आयोजित करेगा तथा आने और जाने वाली लाइसेंसिंग के लिए प्रौद्योगिकियों के ऑनलाइन डेटाबेस का विकास करेगा।
- आईपी और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्रकोष्ठ प्रारंभिक प्रौद्योगिकी मूल्यांकन तथा प्रतियोगिता मानचित्रण करेगा, ताकि सही प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया जा सके।

ग) उद्यमशीलता क्षमता निर्माण

- अनुसंधान संगठनों से वाणिज्यिक तौर पर व्यावहारिक प्रौद्योगिकियों और परिणामों को खड़ा करने में सहायता देना : बाइरैक द्वारा अनुसंधानकर्ताओं और संकाय को उनके नवाचार या तो स्वयं संबंधों के विकास या एक दल द्वारा वाणिज्यीकरण में सहायता देने की उचित प्रक्रिया का विकास किया जाएगा जो प्रक्रिया में तेजी ला सकें।
- अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा महाविद्यालयों में उद्यमशीलता को पोषण देना।

वहनीय उत्पाद विकास के लिए भारतीय बायोटेक नवाचार पारिस्थितिक तंत्र को सशक्त, समर्थ और प्रेरित करना :

बाइरैक द्वारा अपनी निधिकरण योजनाओं के माध्यम से भारतीय बायोटेक नवाचार पारिस्थितिक तंत्र के सशक्तीकरण और समर्थन द्वारा वहनीय उत्पाद विकास को समर्थन दिया जाता है। बाइरैक की नवाचार निधिकरण योजनाएँ में बायोटेक पारिस्थितिकी तंत्र के दो महत्वपूर्ण पणधारकों अर्थात उद्योग और शिक्षा जगत के बीच सहयोग को प्रोत्साहन देतें हैं तथा जैव प्रौद्योगिकी के सभी प्रमुख क्षेत्रों अर्थात् स्वास्थ्य देखभाल, कृषि तथा औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी के समर्थन द्वारा सहयोगात्मक अनुसंधान और विकास के लिए एक प्रेरक परिवेश प्रदान किया जाता है।

बाइरैक द्वारा अब तक अधिकतम निधिकरण समर्थन स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र को दिया गया था, जिसमें दवाओं (औषधि आपूर्ति सहित) के क्षेत्रों, युक्तियों / नैदानिकी, जैव समकक्षों तथा टीकों / क्लिनिकल परीक्षणों को शामिल किया गया था। कृषि क्षेत्र में एमएएस, आरएनएआई, पारजीनी और मिट्टी स्वास्थ्य प्रबंधन शामिल हैं जबकि औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी में औद्योगिक उत्पाद / प्रक्रम और द्वितीयक कृषि शामिल हैं।

बाइरैक द्वारा उपरोक्त उल्लिखित क्षेत्रों में विषयवस्तु आधारित समीक्षाओं के जरिए निधिकृत परियोजनाओं की निगरानी और मेंटरिंग की जाती है, अंतरालों को अभिज्ञात किया जाता है तथा इसके अनुसार भावी कार्रवाई की रूपरेखा बनाई जाती है।

बाइरैक की योजनाएँ विचार उत्पन्न होने से लेकर वाणिज्यिक स्तर का उत्पादन तक हर तरह की खोज विकास को शामिल करते हैं। मार्च 2014 में 143 परियोजनाएं जारी थीं और इनमें से 21 बाइरैक की प्रमुख योजनाओं अर्थात् एसबीआईआरआई और बीआईपीपी की सहयोगात्मक परियोजनाएं हैं।

मुख्य उपलब्धियां

श्रेणी	प्रमाणित संख्या
उत्पादें	06
प्रौद्योगिकियां	07
प्रक्रिया	02
प्रारम्भिक चरण प्रौद्योगिकियां	16
आईपी उत्पादित	04
आईपी सुगमता	02

5.1 स्माल बिज़नेस इनोवेशन रिसर्च इनीशिएटिव (एसबीआईआरआई)

स्माल बिज़नेस इनोवेशन रिसर्च इनीशिएटिव (एसबीआईआरआई) द्वारा जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पीपीपी) पर केन्द्रित नवाचार के आरंभिक चरण को बढ़ावा दिया जाता है। यह योजना डीबीटी द्वारा 2005 में आरंभ की गई थी और इसका प्रबंधन वर्तमान में बाइरैक द्वारा किया जाता है। इस योजना का अधिकतम निधिकरण समर्थन औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी तथा कृषि क्षेत्रों के साथ स्वास्थ्य देखभाल में प्रदान किया गया था। मार्च 2014 के अनुसार 76 परियोजनाएं जारी थीं जिसमें 12 सहयोगात्मक परियोजनाएं थीं। 2013–14 में तीन आमंत्रण घोषित किए गए और सात प्रस्ताव थे, जिसमें कंपनी के योगदान के तौर पर 254 लाख रु. और बाइरैक की ओर से वचनबद्धता के निधिकरण के 335 लाख रुपए का योगदान था। वर्ष 2013–14 के दौरान इस योजना की पूर्णताओं में स्वास्थ्य देखभाल में एक उत्पाद, कृषि में एक प्रक्रम, आरंभिक चरण की चार प्रौद्योगिकियां, जो आगे सत्यापन के लिए तैयार हैं तथा औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक पेटेंट शामिल है। एम्स में जले हुए घावों के प्रबंधन के लिए इस्तेमाल होने वाला उत्पाद फाइब्रोहील एक फेस मास्क है और इसका विकास रेशम प्रोटीन पर आधारित था। स्थिर सेलाइन सहनशील साइटोप्लाज्मिक नर बंध्यता लाइनों वाले चावल के उत्पादन की प्रक्रिया में मार्कर समर्थित चयन का उपयोग किया गया था। आरंभिक चरण की प्रौद्योगिकियां ऑटो ग्राफ्ट के सुधार / डायबिटीज़ के घावों के भराव, तपेदिक निदान, स्मार्ट औशधि आपूर्ति प्रणालियों एवं 100 लीटर पैमाने पर थर्मो माइसेलेनूजिनोसस (टीएल) लाइपेस के उत्पादन के लिए हैं। बायोडीजल अपशिष्ट ग्लिसरॉल से 1,3 – प्रोपेनेडियोल के उत्पादन की प्रक्रिया का पेटेंट है।

5.2 बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री पार्टनरशिप कार्यक्रम (बीआईपीपी)

प्रमुख आर्थिक संभाव्यता वाली भावी आर्थिक प्रौद्योगिकी के अग्रणी क्षेत्रों में नवीन अनुसंधान के लिए बीआईपीपी भागीदारों के साथ लागत साझा करने के आधार पर समर्थन दिया जाता है। इस योजना में जैव प्रौद्योगिकी के मुख्य क्षेत्रों में नई स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के वाणिज्यीकरण में तेजी लाई गई है। इसे 2008 में आरंभ किया गया था और अब तक 30 आमंत्रण घोषित किए गए थे। मार्च 2014 के अनुसार 9 परियोजनाओं में शिक्षा / उद्योग जगत के सहयोगों सहित 67 परियोजनाओं में 84.69 करोड़ रुपए का बाइरैक योगदान जारी था, जिसमें से 21.11 करोड़ रु. अनुदान के तौर पर और 63.58 करोड़ कंपनी से समान योगदान सहित ऋण के रूप में थे।

केयर डायग्नोस्टिक के प्वाइंट हेतु फ्लूरोसेंस रीडर

'आईना' यंत्र

पीडीटी लेजर प्रणाली

वर्ष 2013–14 में तीन आमंत्रण घोषित किए गए तथा 52.91 करोड़ रुपए के वचनबद्ध निधिकरण 20 परियोजनाओं हेतु थे, जिसमें से 11.99 करोड़ रुपए अनुदान हैं और 40.92 करोड़ रुपए बाइरैक द्वारा ऋण के रूप में दिए गए हैं, जिसमें 55.42 करोड़ रुपए की कंपनी की वचनबद्धता है।

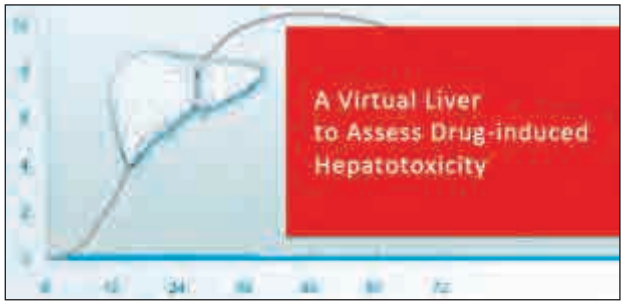

हेपाटोटोक्सिसिटी अनुमान प्लेटफार्म

बीआईपीपी योजना में पांच उत्पादों, सात प्रौद्योगिकियों, एक प्रक्रम, बारह पीओसी और तीन पेटेंट वर्ष 2013–14 के दौरान पूरे किए गए। दूरस्थ व्यवस्थाओं में बहु संक्रमण का पता लगाने के उत्पाद, डायबिटीज़ के निदान हेतु युक्ति और कैंसर उपचार के लिए पीडीटी लेजर प्रणाली कुछ ऐसे उत्पाद हैं जो बीआईपीपी के

(क) जैविक हाइड्रोजन के उत्पादन हेतु प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म

(ख) प्रतिदिन 3000 लीटर इथिनॉल के उत्पादन हेतु पायलट संयंत्र

तहत विकसित किए गए हैं। कुछ प्रौद्योगिकियों में शामिल हैं औषधि विकास की बढ़ती दक्षता के लिए हिपेटोटॉक्सीसिटी पूर्वानुमान मंच, कृषि अपशिष्ट से व्यावहारिक एंजाइमों का उत्पादन और सूक्ष्म पोषक तत्वों तथा पीड़कनाशी प्रदायगी के लिए

नैनो सम्मिश्र। माइसेली परिष्करण के साथ कपास के बीच में एकल चरण निश्कर्षण की प्रक्रिया का विकास वर्तमान वर्ष के दौरान बीआईपीपी के तहत किया गया था। पीओसी में जैव प्रौद्योगिकी के तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों से आरंभिक चरण की प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। कैंसर उपचार के लिए एचडीएसी संदमक, सूखा सहनशीलता के लिए अपशिष्ट से ऊर्जा समाधान और क्यूटीएल की पहचान के लिए वायुरहित झिल्ली बायोरिएक्टर (एएनएमबीआर) कुछ ऐसे उत्पाद हैं जो बीआईपीपी से तैयार पीओसी हैं। बीआईपीपी के तहत दायर किए गए पेटेंट औषधि और युक्ति / नैदानिकी के क्षेत्रों में हैं।

इसके अलावा इस योजना के तहत हाइ एण्ड विश्लेषण परीक्षण की प्रोटीन लाक्षणीकरण सुविधा का निर्माण किया गया था।

5.3 संविदा अनुसंधान और सेवा योजना (सीआरएसएस)

सीआरएसएस द्वारा वाणिज्यीकरण हेतु ट्रांसलेशनल अनुसंधान और उत्पाद विकास के लिए उद्योग को शिक्षा जगत के साथ जोड़ने का अवसर प्रदान किया गया। इस योजना की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं कि इसमें शिक्षा जगत के साथ आईपी को जोड़ा गया है और निधिकरण सहायता अनुदान के रूप में होगा। यह योजना 2012 में लाई गई थी और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के सभी प्रमुख क्षेत्रों में निधिकरण समर्थन दिया गया था। मार्च 2014 में जारी परियोजनाओं की संख्या 9 के साथ इसमें बाइरैक का 248 लाख रुपए का समर्थन है। इस अवधि के अंदर समर्थित शिक्षा जगत की कुल संख्या 11 के साथ 9 भागीदार कंपनियां है।

2013–14 में दो आमंत्रणों की घोषणा की गई थी और शिक्षा जगत से 5 प्रस्ताव तथा 650 लाख रुपए के निधिकरण के लिए पांच भागीदार कंपनियों के साथ वचनबद्धता की गई थी।

इस योजना के तहत निम्नलिखित कुछ प्रस्तावों को समर्थन दिया गया है :

- इनसिलिको मार्गों का पालन करते हुए पेप्टाइडो माइमेटिक्स की डिजाइन तथा अल्जाइमर रोग के एक्स विवो मॉडल द्वारा बीटा एमाइलॉइड भार के समाशोधन में इनकी दक्षता का परीक्षण करना।

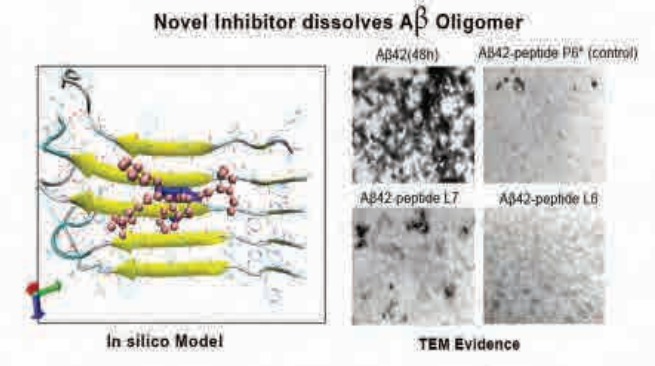

सिलिको एप्रोचेस में पेप्टीडोमिमेटिक्स

- एचएलए एलिल का पता लगाने के लिए तीव्र नैदानिक विधि का सत्यापन और इसे मिर्गी के साथ क्यूटेनियस दवा प्रतिक्रियाओं के साथ जोड़ना।
- जीनोमव्यापी एसएनपी की खोज तथा एक संदर्भ लिंकेज मानचित्र के विकास में इसका उपयोग तथा केस्टर में संबद्धता विश्लेषण करना।

अरंडी की संगठन मैपिंग पैनल

- बागवानी की फसलों को प्रभावित करने वाले पादप वायरसों की जांच के लिए सीरोलॉजिक नैदानिक किटों का सत्यापन।
- अजा–फ्लेवेनॉन्स और ट्राइजोल व्युत्पन्नों की पहचान और कैंसर रोधी नए एजेंट के रूप में विकास करना।
- प्रक्रिया की वाणिज्यिक व्यवहार्यता का सत्यापन तथा लेकेस के उत्पादन के लिए बायोरिएक्टर प्रणाली का विकास।

5.4 बाइरैक समर्थित क्लिनिकल परीक्षणों के प्रबंधन के लिए सीडीएसए के साथ भागीदारी

बाइरैक ने क्लिनिकल परीक्षणों और विनियामक आवश्यकताओं से संबंधित परियोजना प्रबंधन में अपनी क्षमताओं को मजबूत बनाने के लिए क्लिनिकल विकास सेवा एजेंसी (सीडीएसए) के साथ भागीदारी की है। इस भागीदारी के अनुसार सीडीएसए द्वारा पूर्व क्लिनिकल / क्लिनिकल विकास के क्षेत्रों में तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है, बाइरैक द्वारा निधिकृत परियोजनाओं की गुणवत्ता तथा संभावित अन्वेषकों का प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाता है। बाइरैक की भूमिका इन गतिविधियों को करने के लिए सीडीएसए को अनिवार्य समर्थन देने की है। इस भागीदारी के भाग के रूप में सीडीएसए द्वारा विशिष्ट विशेषज्ञता प्रस्तावित की जाती है : क) क्लिनिकल अध्ययन प्रोटोकॉल और अन्य संबंधित दस्तावेजों की समीक्षा, ख) क्लिनिकल स्थल आकलन और ग) औशधियों, युक्तियों, जैविकों और टीकों के क्लिनिकल अध्ययन के लिए परीक्षण।

बाइरैक ने इस भागीदारी के तहत औपचारिकताएं पहले ही पूरी की है और गतिविधियां आरंभ की हैं।

5.5 वहनीय उत्पादों तथा सामाजिक स्वास्थ्य हेतु संगत सामाजिक नवाचार कार्यक्रम (स्पर्श) : एक अरब जीवनों का स्पर्श

इस कार्यक्रम में समाज की सर्वाधिक दबाव डालने वाली सामाजिक समस्याओं के नवाचारी समाधान की जरूरत पर बल दिया गया है। इस योजना में प्रमुख सामाजिक मुद्दों को सुलझाया जाता है और बड़े पैमाने पर बदलाव के लिए नए विचार पेश किए जाते हैं। इस योजना का लक्ष्य ऐसे विचारों और नवाचारों में निवेश करना है जो सभी भारतीयों की स्वास्थ्य देखभाल में सुधार ला सकें और सामाजिक क्षेत्र में वहनीय उत्पाद विकास कर सकें।

इस योजना में सामाजिक नवाचार आप्लावन कार्यक्रम (एसआईआईपी) का घटक भी है, जो बायोटेक क्षेत्र में सामाजिक नवाचारियों का एक पूल बनाता है, जो स्वास्थ्य देखभाल की विशिष्ट जरूरतों और अंतरालों को अभिज्ञात करेंगे। सामाजिक नवाचारियों को ऐसे बाजार आधारित समाधानों के विकास हेतु समर्थन दिया जाएगा जिनमें स्वास्थ्य देखभाल की सफलताओं को सुभेद्य आबादियों तक पहुंचाने की संभाव्यता है।

कार्यक्रम के उद्देश्य हैं :

1. आधुनिकतम नवाचारों को अभिज्ञात करना और समर्थन देकर ऐसे वहनीय उत्पादों का विकास करना जिनसे समावेशी वृद्धि पर उल्लेखनीय सामाजिक प्रभाव पड़ सकें और वे चुनौतियों को संबोधित कर सकें।
2. बायोटेक उत्पाद नवाचारों के निधिकरण पर प्रभाव के रूप में समर्थन प्रदान करना (सामाजिक लक्ष्यों सहित) जिसे उन्नत बनाया जा सके।
3. बायोटेक में सामाजिक नवाचारियों का एक ऐसा समूह बनाना और उसे पोषण देकर सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने का मंच प्रदान करना, सामाजिक नवाचार और नेटवर्क में व्यापार मॉडलों की अंदरुनी बातों को समझना।

15 अगस्त 2013 को स्पर्श आरंभ किया गया जो मां और बच्चे के स्वास्थ्य पर केन्द्रित था। इसमें प्रथम आमंत्रण राष्ट्रीय प्राथमिकता क्षेत्र – मां और बच्चे का स्वास्थ्य (एमसीएच) में वहनीय उत्पादों और समाधानों के लिए जैव प्रौद्योगिकी नवाचार अनुसंधान को पोषण प्रदान कर सके। यह आमंत्रण यूएन मिलेनियम विकास लक्ष्य 4 और 5 के साथ लाया गया था अर्थात् बच्चे की मृत्यु दर में कमी और मां के स्वास्थ्य में सुधार लाना है।

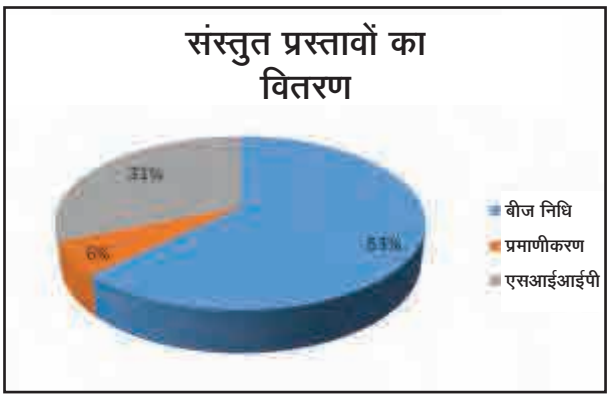

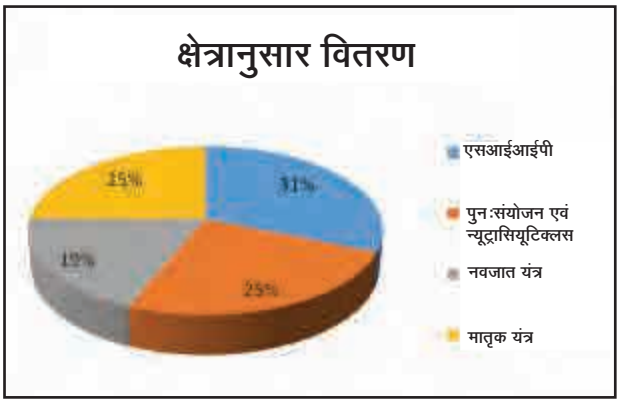

स्पर्श के प्रथम आमंत्रण के तहत 112 आशय पत्र प्राप्त हुए थे। इन आशय पत्रों का सघन मूल्यांकन किया गया तथा स्पर्श तकनीकी सलाहकार समूह की बैठक, मेंटरिंग मूल्यांकन और प्रेरण कार्यक्रम तथा स्थल दौरों से गुजारा गया। अंत में 16 प्रस्तावों का निधिकरण किया गया था। इसमें से 10 प्रस्ताव संकल्पना प्रमाण की स्थापना के लिए श्रेणी ए में हैं। इसमें एक प्रस्ताव मौजूदा प्रौद्योगिकी के सत्यापन के लिए है तथा पांच प्रस्ताव आप्लावन अध्येतावृत्ति कार्यक्रम हेतु सोशल इनोवेशन इमर्शन प्रोग्राम (एसआईआईपी) से हैं।

6. सामरिक गठबंधन निर्माण

6.1 भारत की महाचुनौतियां : डीबीटी–बाइरैक–गेट्स फाउण्डेशन

जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी), विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत तथा बिल एण्ड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (बीएमजीएफ) ने भारत के लोगों के तथा दुनिया भर के विकासशील देशों के लाभ के लिए एक अवधि के दौरान दुनिया के सर्वाधिक महत्वपूर्ण वैश्विक स्वास्थ्य और विकास मुद्दों में से कुछ के उन्मूलन के लिए वैज्ञानिक तथा तकनीकी अनुसंधान में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बाइरैक, प्राथमिक प्रत्ययी कारक तथा डीबीटी और बीएमजीएफ के बीच भागीदारी के निष्पादन हेतु एक प्रबंधन इकाई है जो भारत के महा चुनौती (जीसीआई) द्वारा कार्यक्रम प्रबंधनइ काई (पीएमयू) के माध्यम से उन प्रयासों को समर्थन देने हेतु कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करता है, जो भारत और अन्य देशों में समान प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के स्वास्थ्य और विकास परिदृश्य में नाटकीय बदलाव ला सकते हैं। खास तौर पर सहयोग के निम्नलिखित प्राथमिकता क्षेत्रों को अभिज्ञात किया गया है :

1. मां और बच्चे की रोग दर और मृत्यु दर में कमी;
2. संक्रामक रोगों के लिए वैज्ञानिक तथा तकनीकी समाधान;
3. भारत की वैज्ञानिक रूपांतरण क्षमता को सुदृढ़ बनाना;
4. कृषि से संबंधित वैज्ञानिक और तकनीकी उन्नतियां;
5. खाद्य और पोषण में वैज्ञानिक उन्नति;
6. अन्य संयुक्त हित जो उत्पन्न हो सकते हैं।

भारत के महा चुनौती (जीसीआई) के तहत प्रथम निधिकरण कार्यक्रम की घोषणा इसके पहले प्रयास के रूप में 'कृषि और पोषण के माध्यम से स्वस्थ वृद्धि अर्जित करना' की गई। बाइरैक के दूसरे संस्थापना दिवस, 20 मार्च 2014 को प्रो. के विजय राघवन, सचिव, डीबीटी और अध्यक्ष, बाइरैक ने इन पुरस्कारों की घोषणा की। इनमें से पांच प्रस्ताव नवाचारी हस्तक्षेपों के विकास सहित चुने गए विषयों पर थे जिसमें कृषि प्रथाओं को पोषण के परिणामों के साथ महत्वपूर्ण सामाजिक – आर्थिक प्रभाव के लिए महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य लाभों में सुधार लाने के लिए जोड़ा गया। 2 हस्तक्षेप विकास अनुदान और 3 बीज अनुदान प्रदान किए गए।

दूसरे प्रयास ''शौचालय चुनौती का पुनः आविष्कार'' को उन्नत स्वच्छता सुविधाओं के नवाचारी और स्थायी समाधानों को प्रेरित करने एवं अगली पीढ़ी के शौचालयों को तैयार करने तथा भारत की असेवित आबादी तक स्वच्छता की पहुंच का विस्तार करने के लक्ष्य के साथ आरंभ किया गया था। शौचालय मेला के प्रथम वैश्विक पुनः आविष्कार (आरटीटीएफ) में फाउंडेशन के ग्रांटी और पूर्णताओं द्वारा मापन योग्य उन्नति प्रदर्शित की गई जो ''शौचालय के पुनः आविष्कार'' के उद्देश्य के प्रति किए गए हैं, इनमें उचित दिलचस्पी के अभ्यास की पूरकता है, जिससे दुनिया भर के लाखों लोगों को आवास मिल सकता है और उन्हें स्वच्छता तक पहुंच प्रदान की जा सकती है। इस मेले की मेजबानी में जैव प्रौद्योगिकी विभाग और बिल एण्ड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने सहयोग दिया। इस मेले में अन्य भारत सरकार की सेवाओं सहित शहरी विकास मंत्रालय और आवास तथा शहरी निर्धनता उन्मूलन मंत्रालय ने भाग लिया।

22 मार्च 2014 को 'शौचालय चुनौती का पुनः आविष्कार – भारतीय मेला' में चुने गए आवेदकों को सम्मान पत्र से सम्मानित किया गया। भारतीय और वैश्विक सहयोग से 6 भारतीय नवाचारियों को आमंत्रण के तहत पुरस्कार दिया गया था, क्षेत्र परीक्षण अनुदान में 1 प्रस्ताव और संकल्पना प्रमाण में 5 प्रस्ताव थे।

डीबीटी, बाइरैक एवं बीएमजीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ग्रांड चैलेंज इंडिया ''रै–इंवेन्ट द टॉयलेट चैलेंज इंडिया'' पुरस्कार विजेता

6.2 टीईकेईएस

टीईकेईएस फिनलैंड में अनुसंधान, विकास और नवाचार के निधिकरण के लिए सर्वाधिक प्रधान प्रचारित निधिकृत विशेषज्ञ संगठनों में से एक है। टीईकेईएस नवाचार पर व्यापक आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के अलावा प्रौद्योगिकी से जुड़ी प्रगति का निधिकरण करता है और डिजाइन, व्यापार और सामाजिक नवाचारों से संबंधित सेवा के महत्व पर बल देता है।

डीबीटी के साथ भागीदारी में बाइरैक ने टीईकेईएस के साथ सीमा पार संसाधन गतिशीलता को बढ़ावा दिया, जिसका लक्ष्य प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोगों को बढ़ावा देना तथा वहनीय प्रौद्योगिकियों एवं उत्पादों के विकास को दोनों देशों के सामने आने वाली सामान्य चुनौतियों के लिए सक्षम बनाना है। इस प्रयास के भाग के रूप में बाइरैक ने हेलसिंकी, फिनलैंड में 10 – 12 सितम्बर, 2013 के दौरान ''स्वास्थ्य और कल्याण पर भारत – फिनलैंड कार्यशाला' के तीन दिवसीय कार्यक्रम में भाग लेने वाले अध्येताओं को समर्थन दिया। भारतीय प्रतिभागियों ने इस पर प्रकाश डाला कि उन्होंने सामान्य हित के क्षेत्रों में फिनलैंड के संगठनों के साथ कुछ सामरिक भागीदारी आरंभ की है।

6.3 सीईएफआईपीआरए

यह चुनौती उन्मुख कार्यक्रम जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद् (बाइरैक), भारत सरकार तथा भारत में फ्रांसीसी दूतावास के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (एस एण्ड टी विभाग), विदेशी मंत्रालय, फ्रांस सरकार के साथ संयुक्त निधिकरण सहित

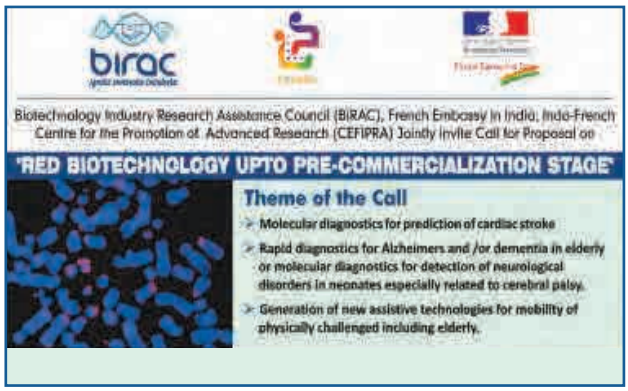

इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर प्रोमोशन ऑफ एडवांस्ड रिसर्च (सीईएफआईपीआरए) द्वारा कार्यान्वित किया गया था। इस सहयोग में बाइरैक भारतीय भागीदारों को और फ्रैंच दूतावास फ्रांसीसी भागीदारों को समर्थन प्रदान करेगा।

बाइरैक और सीईएफआईपीआरए ने भारत और फ्रांस में आरंभ होने वाली कंपनियों तथा छोटे तथा मध्यम उद्यमों को समर्थन देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि दोनों देशों में नवाचार पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा दिया जा सके। भारत में फ्रेंच दूतावास, सीईएफआईपीआरए और बाइरैक ने मानव स्वास्थ्य में नई संकल्पनाओं तथा प्रौद्योगिकी प्रगतियों की ओर उच्च गुणवत्ता द्विपार्श्वीय नवाचारी अनुसंधान परियोजनाओं में चुनौती उन्मुख रूप से समर्थन प्रदान करने की प्रतिबद्धता की है। इस भागीदारी का लक्ष्य भारतीय और फ्रांसीसी बायोटेक उद्योगों तथा शिक्षा जगत में प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार लाना है। कार्डिक स्ट्रोक, अल्जाइमर और जेरेंटोलॉजी पर 20 मार्च 2014 को प्रस्ताव का पहला आमंत्रण घोषित किया गया है।

6.4 वैलकम ट्रस्ट

वैलकम ट्रस्ट और बाइरैक ने 19 मार्च 2014 को कंपनियों के समर्थन तथा अलाभकारी इकाइयों में वहनीय लागतों पर नवाचारी स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों के विकास के लिए एक संयुक्त निधिकरण आमंत्रण के प्रचालन हेतु एक समझौता ज्ञापन (''एमओयू'') पर हस्ताक्षर किए। इस संयुक्त आमंत्रण का लक्ष्य भारत में बड़े स्तर पर कार्य करने वाले अनुसंधानकर्ताओं को एक साथ लाने के लिए निधिकरण का आयोजन करना, वहनीय लागतों पर नवाचारी, सुरक्षित और प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों का विकास करना है। समझौता ज्ञापन में विभिन्न प्रचालन दिशानिर्देश तय किए गए हैं, जिन पर संयुक्त आमंत्रण की स्थापना और

डॉ. टेड बियानको, निदेशक–नवाचार, वैलकम ट्रस्ट और डॉ. रेणू स्वरूप, प्रबंधक निदेशक बाइरैक, प्रो. के. विजयराघवन, सचिव, डीबीटी एवं अध्यक्ष, बाइरैक की उपस्थिति में एमओयू पर हस्ताक्षर करते हुए

प्रचालन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के संबंध में, जिन्हें ट्रस्ट और बाइरैक (और व्यय की जाने वाली संबंधित लागतें) किया जाना है। संयुक्त आमंत्रण के तहत पुरस्कारों का कुल बजट 2 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग (2,000,000 पाउंड स्टर्लिंग) या भारतीय रुपए (लगभग 20 करोड़ रुपए) के समकक्ष है। वर्तमान संयुक्त आमंत्रण विषय वस्तु : ''संक्रामक रोगों के लिए नैदानिकी'' की घोषणा जनता के लिए 21 मार्च 2014 को की गई थी।

6.5 टीएचएसटीआई –बाइरैक – डब्ल्यूएचओ

बाइरैक ने नीति इकाई टीएचएसटीआई की भागीदारी के साथ डब्ल्यूएचओ – एसईआरओ, नई दिल्ली, भारत के साथ कार्य निष्पादन करार (एपीडब्ल्यू) में भाग लिया, जो डब्ल्यूएचए 65 के दौरान सीईडब्ल्यूजी के अनुवर्तन के रूप में ''विकासशील देशों की स्वास्थ्य अनुसंधान और विकास जरूरतों के वर्गीकरण के लिए मानकों और स्तरों के विकास हेतु विधियों के सुझाव का एक अध्ययन'' नामक अध्ययन हेतु है। इस एपीडब्ल्यू के तहत बाइरैक और नीति इकाई टीएचएसटीआई में भारत से व्यवस्थित रूप से संग्रह और संकलित सूचना के आधार पर विकासशील देशों की अनुसंधान और विकास स्वास्थ्य जरूरतों के वर्गीकरण के लिए मानकों और स्तरों के विकास हेतु अभिज्ञात की गई है।

इस एपीडब्ल्यू के तहत भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य अनुसंधान और विकास में निधि आबंटन / व्यय पर एक अवलोकन अध्ययन किया गया था। विशिष्ट कार्यों और सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण जरूरत और अंतरालों को अभिज्ञात करने में विभिन्न भारतीय जैव चिकित्सा निधिकरण एजेंसियों द्वारा अनुसंधान और विकास पर संसाधन प्रवाह की तुलना और विस्तृत विश्लेषण किया गया है। की गई सिफारिशें सार्वजनिक स्वास्थ्य, नवाचार और बौद्धिक संपदा पर वैश्विक कार्यनीति तथा कार्य योजना बनाने में सीईडब्ल्यूजी के लिए उपयोगी होंगी। भारत में एक विविध महामारी विज्ञान है और आशा है कि ये सिफारिशें विकासशील देशों के लिए स्वास्थ्य अनुसंधान और विकास जरूरतों के वर्गीकरण हेतु मानकों और स्तरों के विकास की विधियां तय करने में एसईए क्षेत्र के सदस्यों देशों के लिए सहायक होंगी।

7. प्रौद्योगिकी अंतरण और अधिग्रहण

7.1 बाइरैक – क्यूयूटी ऑस्ट्रेलिया – केले में जैव संपुष्टिकरण और रोग प्रतिरोध

क्वीन्सलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑस्ट्रेलिया ने विटामिन ए और लौह की कमी को दूर करने के लिए वैश्विक स्वास्थ्य कार्यक्रम में चुनौतियों के तहत जैव संपुष्ट केले का विकास किया है। बाइरैक और क्वीन्सलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी (क्यूयूटी), ऑस्ट्रेलिया के बीच अगस्त 2012 में ''क्यूयूटी, ऑस्ट्रेलिया से भारत में केले के जैव संपुष्टिकरण तथा रोग प्रतिरोधकता के लिए प्रौद्योगिकी का विकास और अंतरण'' करार पर हस्ताक्षर किए गए जो एक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी अंतरण की शुरूआत था।

इस करार का लक्ष्य न केवल क्वीन्सलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी (क्यूयूटी), ऑस्ट्रेलिया के ज्ञान, अनुभव और उपलब्धियों को बांटना है, बल्कि इससे केले की दो किस्मों सीवी ग्रेंड नैन और रसथली में दो विशिष्ट गुणों के विकास, सत्यापन और अंतरण का कार्य भी होगा।

क्यूयूटी, ऑस्ट्रेलिया से जैव संपुष्ट केले की प्रौद्योगिकी का अंतरण 5 भारतीय भागीदारों को किया जाना है :

1. राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, मोहाली, पंजाब
2. राष्ट्रीय केला अनुसंधान केन्द्र, त्रिची, तमिलनाडु
3. भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, ट्रॉम्बे, मुम्बई
4. तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, पादप आण्विक जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र, कोयम्बटूर
5. भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बैंगलोर, कर्नाटक

अप्रैल 2013 से मार्च 2014 के बीच की अवधि में भारतीय भागीदारों के साथ निलंबन संवर्धनों की स्थापना तथा जीन कैसिट के सफल अंतरण किए गए। अलग अलग भागीदारों के पास जाकर क्यूयूटी दल द्वारा इसकी समीक्षा और मेंटरिंग की गई थी। सितम्बर 2012 में एनएबीआई में एक कार्यशाला का आयोजन भी किया गया, जहां एनएबीआई में क्यूयूटी से पारजीनी ट्रैकर सॉफ्टवेयर लगाया गया है और भागीदारों द्वारा किए गए कार्य की समीक्षा पर विस्तार से चर्चा की गई थी।

8. नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन

8.1 बौद्धिक संपदा (आईपी) प्रकोष्ठ

8.1.1 आईपी और प्रौद्योगिकी प्रबंधन समर्थन : भारतीय बायोटेक नवाचार की सुरक्षा

बाइरैक ने आईपी के विभिन्न पक्षों जैसे पेटेंट लैंडस्केपिंग, पेटेंट दायर करने और प्रारूप बनाने तथा प्रचालन की स्वतंत्रता पर शिक्षा जगत, आरंभ होने वाली कंपनियों, उद्योगों तथा एसएमई को समर्थन देने के लिए आंतरिक आईटी प्रकोष्ठ बनाया है। बाइरैक प्रस्तावों के व्यापक आईपी देय परिश्रम का कार्य करता है, जो इसके फ्लैगशिप निधिकरण कार्यक्रमों के तहत जमा किए जाते हैं, जैसे बीआईपीपी, सीआरएसएस, एसबीआईआरआई, स्पर्श, भारत की महा चुनौती (जीसीआई) और बिग। इसके अलावा बाइरैक का आईपी प्रकोष्ठ अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं सहित सहयोगात्मक परियोजनाओं में आईपी के अनेक मामलों में स्पष्टता भी प्रदान करता है।

सार्वजनिक संस्थानों से आने वाले जीवन विज्ञान के आविष्कार का अनुपात बढ़ाने के लिए, जिन्हें रूपांतरित किया जा सके, बाइरैक ने डीबीटी के संस्थानों का प्रौद्योगिकी मानचित्रण आरंभ किया है। उपरोक्त गतिविधियों के अलावा बाइरैक आईपी और प्रौद्योगिकी प्रबंधन प्रकोष्ठ द्वारा बायोटेक उद्योगों, उद्यमियों, आरंभ होने वाली कंपनियों, छात्रों आदि के लिए विभिन्न क्षमता निर्माण कार्यशालाओं / सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है ताकि एक बेहतर आईपी कार्यनीति के लिए उन्हें सशक्त बनाया जा सके।

आईपी प्रकोष्ठ द्वारा दी जाने वाली सहायता में शामिल हैं क) निधिकरण योजनाओं जैसे बीआईपीपी, सीआरएस, बिग, एसबीआईआरआई आदि के तहत प्राप्त परियोजनाओं के लिए पूर्व कला खोजें / एफटीओ खोजें, ख) अन्य राष्ट्रीय / अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए पूर्व कला खोज / एफटीओ खोज / लैंडस्केप, ग) पेटेंट लैंडस्केप विश्लेषण, घ) पैनल में शामिल आईपी कानूनी फर्मों के माध्यम से एसएमई, आरंभ होने वाली कंपनियों, अकादमिक और उद्योगों के लिए पेटेंट सहायता निधिकरण योजना (पीएएफएस) के तहत पेंटेंट ड्राफ्टिंग और फाइलिंग के लिए समर्थन, ङ) डीबीटी संस्थानों के लिए तकनीकी मानचित्र, च) आईपी और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण गतिविधियों के लिए डीबीटी–आईसीटी केन्द्र और छ) आईपी प्रबंधक।

8.1.2 पेटेंट सुविधा योजना

बाइरैक ने देश में प्रौद्योगिकी नवाचार को प्रोत्साहन देने और उद्यमियों, उद्योगों तथा एसएमई को समर्थन देने के लिए बौद्धिक संपत्ति सुरक्षा हेतु पेटेंट सहायता निधिकरण योजना (पीएएफएस) आरंभ की है। बाइरैक को बाइरैक योजना लाभार्थियों (बिग, एसबीआई और बीआईपीपी) से अनुरोध प्राप्त हुए हैं और उनकी बौद्धिक संपत्ति के अधिकारों की सुरक्षा के लिए उद्योगों तथा शैक्षिक संस्थानों को समर्थन दिया गया है। पेटेंट सुविधा योजना (पीएएफएस) के माध्यम से कुल दो पेटेंट को समर्थन दिया गया है। ये पेटेंट के आवेदन मुख्य रूप से द्वितीयक कृषि और स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्रों में हैं।

8.1.3 आईपी और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण गतिविधियों के लिए डीबीटी – आईसीटी केन्द्र

बाइरैक ने मुम्बई में ऊर्जा जीव विज्ञान हेतु डीबीटी – आईसीटी केन्द्र में एक आईपी प्रबंधन और प्रौद्योगिकी वाणिज्यीकरण (आईपीएम – टीसी) की इकाई भी स्थापित की है और इसका आशय भारत में स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र में सक्षम आईपी सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न संस्थानों में समान प्रकार के केन्द्रों की स्थापना का है। केन्द्र के विशिष्ट उद्देश्य हैं :

क. केन्द्र में उत्पन्न प्रौद्योगिकियों की सुरक्षा, जिसकी वाणिज्यिक संभाव्यता है।

ख. प्रौद्योगिकी अंतरण के विशय में आईपी प्रबंधन, एमओयू का प्रारूप और अन्य संगत करार

ग. केन्द्र के अंदर और बाहर आईपी सुरक्षा से संबंधित जागरूकता लाना, आईसीटी के अंदर और आईसीटी के बाहर आईपी से जुड़े मुद्दों पर सहायता।

डीबीटी – आईसीटी आईपीएम – टीसी इकाई द्वारा भारतीय पेटेंट कार्यालय में 20 से अधिक पेटेंट आवेदन जमा किए गए हैं, जिनमें से 3 पेटेंट आवेदन यूएस, ईपी, एयू, जेपी, पाकिस्तान, कोरिया आदि जैसे अनेक देशों के राष्ट्रीय चरण में प्रवेश कर चुके हैं। आईपीएम – टीसी इकाई ने 30 से अधिक परियोजनाओं के लिए पेटेंट करने की खोज भी की है और अनुसंधान को आगे ले जाने के लिए सीडीए के साथ उद्योगों सहित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

8.2 नियामक सुविधा

बाइरैक ने एक आंतरिक नियामक सुविधा प्रकोष्ठ बनाया है जहां भारत के नियामक दिशानिर्देशों के साथ बाइरैक द्वारा निधिकृत प्रस्तावों की जांच की जाती है और अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। यह प्रकोष्ठ केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ), आईसीएमआर तथा चिकित्सा संस्थानों एवं उद्योगों के अन्य विशेषज्ञों से विनियामक विशेषज्ञों की विशेषज्ञता प्राप्त करता है। इस नियामक प्रकोष्ठ का अधिदेश उत्पाद अनुमोदनों के नियामक अनुपालन से संबंधित मुद्दों पर एसएमई, युवा उद्यमियों, शैक्षिक संस्थानों तथा आरंभ होने वाली कंपनियों की पूछताछ के उत्तर देना तथा क्षमता निर्माण करना है।

कार्यशाला

क्षमता निर्माण अधिदेश के तहत बाइरैक ने उत्तर और दक्षिणी भारत में श्रृंखला ''उत्पाद अनुमोदनों के लिए भारतीय औषधि विनियमों को समझना'' के तहत चार विनियामक कार्यशालाओं के आयोजन की योजना क्लिनिकल विकास सेवा एजेंसी (सीडीएसए) के सहयोग से बनाई है।

उत्तर में प्रथम चरण में दो शुरूआती कार्यशालाओं का आयोजन ''नई औषधियों'' और ''जैव भैषजिकी'' के विनियमों पर पहले ही

बायोफार्मासियूटिक्लस पर नियामक कार्यशाला

किया गया है। इन विनियामक कार्यक्रमों से लगभग 200 प्रतिभागियों को लाभ मिला है।

विनियामक कार्यशालाओं का फोकस इन विषयों पर हैं :

- भारत में भारतीय विनियामक, मार्गदर्शन और कानूनी पर अद्यतन जानकारी
- औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, भारत को समझना
- विनियामक और वैज्ञानिक आवश्यकताओं सहित आईएनडी जमा करने के प्रारूप और सामग्री
- पूर्व क्लिनिकल और क्लिनिकल दस्तावेजों की जरूरत
- समीक्षा और अनुमोदन प्रक्रिया
- आईएनडी के लिए फाइल करने और अनुमोदन पाने में वास्तविक समय अनुभव

8.3 कानूनी सलाहकार सहायता

बाइरैक के कानूनी और संविदा प्रकोष्ठ द्वारा संगठनों के सभी कानूनी कार्यों और इसके कार्यक्रमों सहित विभिन्न अनुसंधान निधिकरण योजनाओं के सूत्रण और निष्पादन, प्रौद्योगिकी अंतरण, लाइसेंस करारों, संविदा अनुसंधान, बाइरैक और इसके भागीदार संगठनों के बीच समझौता ज्ञापनों के लिए आवश्यक उचित परिश्रम कार्य किए गए। इस प्रकोष्ठ द्वारा मामला दर मामला आधार पर उद्योग की जरूरतें पूरी करने के लिए उन्हें समर्थन दिया जाता है।

कानूनी और संविदा प्रकोष्ठ संबंधित मुद्दों पर राय व्यक्त करता है तथा कंपनी को सहायता, संघ, प्रौद्योगिकी अंतरण, उद्योग और शिक्षा जगत आदि के बीच सहयोगात्मक कार्यक्रमों के विभिन्न पीपीपी मॉडलों के टेम्पलेट का मानकीकरण किया गया है।

9. नेटवर्क और मिशन

9.1 ट्रांसलेशनल अनुसंधान के लिए बाइरैक सुविधाएं

9.1.1 अर्ली ट्रांसलेशनल एक्सीलरेटर (ईटीए)

बाइरैक का मिशन नवाचारी विचारों का बायोटेक उत्पादों में रूपांतरण करना है और इस उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बाइरैक

ने अर्ली ट्रांसलेशनल एक्सीलरेटर (ईटीए) की संकल्पना की है, जिसमें संभावित वाणिज्यिक और सामाजिक प्रभाव के साथ शीघ्र शैक्षिक खोजों को अभिज्ञात किया जाता है और उन्हें उद्योग के लिए तैयार प्रौद्योगिकियों में संसाधित किया जाता है। अनेक भाानदार खोजों के साथ शैक्षिक प्रयोगशालाओं से इन्हें वाणिज्यीकृत करने के संदर्भ में देखा जाता है, क्योंकि वर्तमान भारतीय व्यवस्था में इस प्रकार के एक्सीलरेटर मौजूद नहीं है।

बाइरैक ने देश के विभिन्न स्थानों पर ईटीए की स्थापना का प्रस्ताव दिया है और यह सत्यापन के लिए स्वास्थ्य देखभाल, कृषि और औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में होने वाली खोजों पर विचार करना चाहता है। बाइरैक ने इस प्रयास के भाग के रूप में अर्ली ट्रांसलेशनल एक्सीलरेटर का निधिकरण किया है, जो स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में जल्दी ही कार्यशील होने की आशा है।

9.2 निश क्षेत्र बैठक

बाइरैक द्वारा आवश्यकताओं को अभिज्ञात करने तथा तदनुसार कार्यनीतियों के सूत्रण के लिए मुख्य क्षेत्रों में चर्चा बैठके आयोजित की जाती हैं। इस प्रयास के रूप में निम्नलिखित बैठकों का आयोजन किया गया था।

क) ह्यूमन पैपीलोमा वायरस (एचपीवी)

ह्यूमन पैपीलोमा वायरस (एचपीवी) संक्रमण सर्वाइकल कैंसर का प्रमुख कारण है, जो आगे चलकर महिलाओं में कैंसर संबंधी मृत्युदर का प्रमुख कारण है। बाइरैक ने एचपीवी संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर मानचित्रण का एक अभ्यास किया है तथा शिक्षा जगत, उद्योग और सरकारी एजेंसियों से विशेषज्ञों के आमंत्रण द्वारा एचपीवी संक्रमण को संबोधित करने के लिए ''ह्यूमन पैपीलोमा वायरस पर चर्चा बैठक : नए चिकित्सीय हस्तक्षेपों के लिए कार्यनीतियां'' पर चर्चा की।

विशेषज्ञों की सिफारिशों पर विचार करते हुए बाइरैक ने छानबीन, नैदानिक जांचों, टीकों और चिकित्सा के क्षेत्रों में प्रस्तावों को आमंत्रण देकर जैव प्रौद्योगिकी उद्योग प्रतिभागिता कार्यक्रम (बीआईपीपी) योजना के माध्यम से 'एचपीवी निवारण और नियंत्रण' पर एक विशेष आमंत्रण घोषित करने का निर्णय लिया।

ख) अपशिष्ट से ऊर्जा

बाइरैक द्वारा 'ठोस और तरल अपशिष्ट के ऊर्जा में रूपांतरण के लिए जैव रासायनिक साधनों का उपयोग' पर चर्चा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उद्योग और शिक्षा जगत में कार्यरत जाने माने विशेषज्ञों ने नगर निगम ठोस और तरल अपशिष्ट को ऊर्जा तथा जैव रसायन में रूपांतरित करने के समाधान प्रदान किए।

यह सिफारिश की गई थी कि बाइरैक द्वारा अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन देने तथा निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रौद्योगिकियों के लिए प्रदर्शन संयंत्रों की स्थापना के प्रयास किए जाएं :

- नगर निगम ठोस अपशिष्ट के ऊर्जा में रूपांतरण के लिए जैव प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप
- नगर निगम ठोस अपशिष्ट के जैव रसायन में रूपांतरण के लिए जैव प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप। आरंभ में नगर निगम ठोस अपशिष्ट को ऊर्जा में रूपांतरित करने पर ध्यान केन्द्रित करने का निर्णय लिया है।

ग) एम–स्वास्थ्य

बाइरैक ने साइबर मीडिया अनुसंधान पर एक रिपोर्ट में एम स्वास्थ्य चुनौतियों की पूर्ति के लिए प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में एम स्वास्थ्य खण्ड को बेहतर रूप से समझने के लिए एक अध्ययन किया है जिसमें इसके पारिस्थितिकी तंत्र, मुख्य पणधारियों और वर्तमान में जारी प्रयासों को शामिल किया गया है।

बाइरैक और साइबर मीडिया अनुसंधान परामर्श बैठकों में भारत में एम–स्वास्थ्य के अवसरों का आकलन किया गया तथा एम–स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र पर एक दस्तावेज तैयार किया जिसमें मुख्य प्रौद्योगिकियों, मुख्य पणधारकों को शामिल करते हुए एम–स्वास्थ्य स्थान में सामरिक निर्णय लेने के लिए बाइरैक को सक्षम बनाया गया।

एम–स्वास्थ्य क्षेत्र की चुनौतियों और जरूरतों को समझने के लिए पणधारियों के साथ परामर्श बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की गई।

कार्यक्रम की मुख्य झलकें :

- एम–स्वास्थ्य : स्वास्थ्य देखभाल हेतु मोबाइल अनुप्रयोग
- आईटी दृष्टिकोण : नेवीगेशन, पॉजिशनिंग और दूर संचार
- स्वास्थ्य में रोबोटिक्स
- एम–स्वास्थ्य चुनौती – अंतः प्रचालनीयता
- भारतीय संदर्भ में एम–स्वास्थ्य

10. मेंटरिंग और क्षमता निर्माण

10.1 इग्नाइट

बाइरैक और सेंटर ऑफ इंटरप्रैन्यूरियल लर्निंग (सीएफईएल) ऑफ जज बिज़नेस स्कूल, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ने एक भागीदारी की शुरुआत की जो बाइरैक द्वारा समर्थित 5 आवेदकों को

सीएफईएल फ्लैग्शिप सघन उद्यमशीलता बूट कैम्प कार्यक्रम जिसे 'इग्नाइट' कहते हैं, में भाग लेने के लिए सक्षम बनाता है। इसका लक्ष्य उनके नवाचारी विचारों को उद्यमशील अवसर की खोज के

कैम्ब्रीज विश्वविद्यालय के 2013 बैच के छात्र

लिए आरंभ होने वाली कंपनियों और वैज्ञानिकों को इन्हें व्यापार परियोजना में रूपांतरित करना है। जुलाई 2013 में बाइरैक द्वारा बिग अनुदान ग्राहियों तथा स्टैनफोर्ड इंडिया बायोडिज़ाइन (एसआईबी) से 5 प्रत्याशियों को चुना गया। कुल मिलाकर इस अनुभव को प्रतिभागियों ने एक शानदार सीखने के अवसर में बताया है। इस कार्यक्रम से प्रतिभागियों को प्रौद्योगिकी आधार पर वाणिज्यिक विशेषज्ञता के आस पास अपनी व्यापार योजना को मजबूत बनाने में सहायता मिली है।

10.2 बाइरैक रोडशो

बाइरैक द्वारा 5 – 6 मार्च 2014 के बीच पंजाब राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद् (पीएससीएसटी), मोहाली बायोटेक पार्क और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी), मोहाली के सहयोग से ''पंजाब में जैव विज्ञान उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु रोड शो और कार्यशाला'' का आयोजन किया गया, ताकि भारत में विकसित होते जैव प्रौद्योगिकी परिदृश्य के बारे में प्रमुख मुद्दों पर जैव प्रौद्योगिकी उद्योग, उद्यमों, आरंभ होने वाली कंपनियों और शिक्षा जगत को विशेष रूप से बायोटेक नवाचार हेतु निधिकरण परिदृश्य एवं नवाचार को बाइरैक के पोषण देने के तरीके के बारे में सुग्राही

चंडीगढ़, पंजाब में बाइरैक रोड शो

बनाया जा सके। इसमें प्रभावी अनुदान लेखन कौशलों पर सत्र तथा आईपी मुद्दों पर एक समर्पित कार्यशाला भी शामिल होगी। इस कार्यक्रम में अनुसंधानकर्ताओं, वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों, छोटे, मध्यम और बड़े उद्योग के प्रतिनिधियों, आरंभ होने वाली कंपनियों और छात्रों (जीवन विज्ञान विशयों के स्नातकोत्तर और स्नातक छात्रों) सहित लगभग 92 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

11. आउटरीच

11.1 बायोकोरिया 2013 में बाइरैक उपस्थिति

बाइरैक ने बायोकोरिया 2013 में भाग लिया। इस प्रयास के भाग के रूप में बाइरैक ने एबल और कोरया हेल्थ इंडस्ट्री डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (केएचआईडीआई) के साथ टीएचएसटीआई और सी–कैम्प जैसे शैक्षिक अनुसंधान संस्थानों और क्रिया जेन, अरण्य जैसे एसएमई को बायोकोरिया 2013 में अपने प्रदर्शन का अवसर प्रदान किया, जिसका आयोजन सीयोल, दक्षिण कोरिया में 11 और 13 सितम्बर 2013 के बीच किया गया था। बाइरैक ने प्रतिभागी संस्थानों और एसएमई को स्थान तथा सहायक वस्तुओं, पोस्टर, बैठक, औद्योगिक दौरे के लिए वित्तीय समर्थन दिया है। बायोकोरिया 2013 व्यापार फोरम से उन्हें कोरिया तथा दुनिया के अन्य भागों की जानी मानी बायो कंपनियों के साथ व्यापार या

बायोकोरिया 2013 में भारतीय उद्योग के प्रतिनिधि

प्रौद्योगिकी भागीदारी में प्रवेश करने का अवसर मिला।

बायो कोरिया में प्रतिभागिता से अतिथियों को बाइरैक की एक झलक मिली। उक्त प्लेटफॉर्म से नए अणुओं तथा औद्योगिक अनुसंधान की खोज में अधिक ब्रांडिंग और संभावित शैक्षिक – औद्योगिक सहयोग को स्थान मिला। इससे क्षेत्र में वैश्विक मंच पर बाइरैक को अपनी गतिविधियां प्रदर्शित करने का अवसर मिला, जहां भारत में अपार संभाव्यता निहित है और जो दुर्भाग्य से अब तक सामने नहीं लाई गई है।

11.2 बैंगलोर इंडिया बायो

बाइरैक ने वार्षिक जैव प्रौद्योगिकी सम्मेलन – बैंगलोर इंडिया बायो में 10–12 फरवरी 2014 के दौरान अपनी उपस्थिति भी दर्ज की।

बैंगलोर इंडिया बायो विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग, कर्नाटक सरकार द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है जो जैव प्रौद्योगिकी के संकल्पना समूह के मार्गदर्शन में आयोजित किया जाता है। वर्ष 2001 से बैंगलोर इंडिया बायो भारतीय बायोटेक उद्योग की आंतरिक शक्ति को बाहरी दुनिया के सामने लाने में महत्वपूर्ण रहा है और अब इसे जीवन विज्ञान पर सबसे बड़े तथा भारत के राष्ट्रीय कार्यक्रम के तौर पर जाना जाता है। इस कार्यक्रम से बाइरैक को उद्योग, शिक्षा जगत और और अनुसंधानकर्ताओं को पूरे भारत तथा विदेश से आकर अपनी गतिविधियां प्रदर्शित करने का अवसर मिला। इस कार्यक्रम से बाइरैक को जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संभावित लक्ष्य वर्ग तक अपनी पहुंच बढ़ाने का अवसर मिला।

11.3 बायो एशिया 2014

बायो एशिया 2014 सम्मेलन का आयोजन हैदराबाद में 17–19 फरवरी 2014 के दौरान किया गया था। इस कार्यक्रम में 51 देशों के लगभग 1200 अतिथियों में भाग लिया। इस अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम को फेडरेशन ऑफ एशियन बायोटेक एसोसिएशन, आंध्र प्रदेश सरकार तथा फार्मास्युटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा प्रोत्साहन दिया गया था। इसकी फोकस विषयवस्तु थी – जीवन विज्ञान में नवाचार और अनुसंधान तथा विकास। बाइरैक ने ''नवाचार पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण – उद्योग, शिक्षा जगत, सरकार, निवेशकों और सेवा प्रदाताओं, विज्ञान पार्कों तथा अन्य की भूमिका'' पर केन्द्रित सत्र के आयोजन द्वारा इस कार्यक्रम में भाग लिया। इसके अलावा बाइरैक ने बाइरैक की गतिविधियों और प्रयासों की पहुंच और ब्रांडिंग को बढ़ाने के लिए प्रदर्शनी क्षेत्र में एक स्टॉल भी लगाया।

बायो एशिया 2014, हैदराबाद में बाइरैक

11.4 बाइरैक आई3 – बाइरैक की तिमाही समाचार पत्रिका

बाइरैक के द्वितीय संस्थापना दिवस 20 मार्च 2014 को तिमाही समाचार पत्रिका बाइरैक आई3 प्रो. के विजयराघवन, सचिव, डीबीटी और अध्यक्ष बाइरैक ने लोकार्पित की। समाचार पत्रिका का प्रथम संस्करण बायोटेक क्षेत्र में समर्थनकारी रूपांतरणों की विषयवस्तु पर आधारित था, जिसमें जाने माने वैज्ञानिकों जैसे डॉ.

बाइरैक के दूसरे स्थापना दिवस में जारी न्यूजलेटर

एम के भान के विचार, बाइरैक नवाचारी बैठक, बाइरैक द्वारा समर्थित नवाचारियों की रूपरेखाएं और विचारों को उत्पाद के चरण पर रूपांतरित करने में सक्षम बाइरैक द्वारा की गई सामरिक भागीदारियों का विवरण था।

12. उद्योग शैक्षणिक बातचीत

12.1 दूसरी नवाचार बैठक – सितम्बर 2013

बाइरैक ने हैरिटेज विलेज रिजॉर्ट, मानेसर, हरियाणा में 23 – 24 सितम्बर 2013 को दूसरी नवाचारी बैठक का आयोजन किया। दूसरी नवाचारी बैठक 2013 की विषयवस्तु –एक नवाचार प्रेरित बायोटेक उद्यम की वृद्धि का उत्प्रेरण – नीतिगत बदलावों पर केन्द्रित तथा 2025 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर तक पहुंचने के लिए भारतीय जैव अर्थव्यवस्था को प्रेरित करने के मार्ग – थी। इसमें नीति निर्माताओं, उद्योग के नेताओं, उद्यमियों तथा शैक्षिक अनुसंधानकर्ताओं सहित 200 से अधिक पणधारियों ने भाग लिया।

इस अवसर पर बाइरैक द्वारा निधिकृत योजनाओं और नवाचारी परियोजनाओं की एक संकलन जिसकी नाम ''बाइरैक इनोवेटर्स : क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट'' रखा गया, जारी किया गया था। दो दिन लंबी इस बैठक में अनेक संगत मुद्दों पर विचार विमर्श किए गए जो जैव प्रौद्योगिकी की उद्यम की वृद्धि पर आधारित हैं। इनमें निधिकरण के अवसर और संस्थागत विनियामक अंतराल शामिल थे जिन पर बायोटेक उद्यमियों को बात करने की आवश्यकता है।

बाइरैक नवाचार बैठक 2013 में जारी सार–संग्रह

बाइरैक नवाचार बैठक 2013 के प्रतिभागी

जैव उद्यमियों के माध्यम से नवाचार को पोषण देने की कार्यनीतियां चर्चा का विषय भी थीं जो खास तौर पर आरंभ होने वाली कंपनियों और एसएमई जरूरतों पर केन्द्रित थी, जो जैव नवाचार के प्रेरक कहे जा सकते हैं। बैठक का समापन भारतीय जैव अर्थव्यवस्था में नवाचार के पोषण के लिए कई सिफारिशों तथा एक ऐसे परिवेश के निर्माण के साथ हुआ जो सामाजिक रूप से संगत और प्रतिक्रियाशील नवाचारों के वाणिज्यीकरण के लिए प्रेरक है।

उद्योग द्वारा की गई पांच सर्वोत्तम नवाचारों को फ्लैगशिप बाइरैक इनोवेटर एवॉर्ड प्रदान किए गए, जिन्होंने आधुनिकतम नवाचारी उत्पाद प्रदान किए हैं। चयन के मानदण्डों में नवाचार का स्तर, वैज्ञानिक योग्यता और प्रत्येक परियोजना के जोखिम कारक शामिल हैं। पुरस्कार पाने वाले थे –

- कृषि क्षेत्र; एरिस्टोजीन बायोसाइंस प्रा. लि., बैंगलोर : श्रिम्प वायरस डब्ल्यूएसएसवी, वायएचवी, टीएसवी और आईएचएचएनवी के आंतरिक नियंत्रण सहित उन्नत पीसीआर किट के विकास के लिए
- स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र; टेरजीन बायोटेक प्रा. लि., सिकंदराबाद : स्वदेशी भारत विशिष्ट 15 वेलेंट न्यूमोकोकल कंजुगेट टीके के विकास के लिए
- जैव चिकित्सा युक्तियां, इम्प्लांट और नैदानिक क्षेत्र; विनविश टेक्नोलॉजीस प्रा. लि., त्रिवेंद्रम : एक स्वदेशी पीडीटी लेस प्रणाली के विकास के लिए
- औद्योगिक प्रक्रम तथा हरित प्रौद्योगिकी क्षेत्र; थर्मैक्स लि. पुणे : अपशिष्ट से ऊर्जा समाधानों के लिए वायु रहित झिल्ली बायोरिएक्टर (एएनएमबीआर) के विकास के लिए
- पालतू पशु भोजन के विकास, मिलेनियम एक्सपोर्ट, चेन्नई : मछली के चमड़े और अन्य समुद्री जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों के मछली के अपशिष्ट से विकास हेतु औद्योगिक प्रक्रम नवाचारी

बैठक में आरंभ होने वाली कंपनियों को दर्शकों के सामने अपने विचार रखने तथा पोस्टर सत्रों में अपनी नवाचारी परियोजनाओं को प्रदर्शित करने का अवसर भी प्रदान किया गया। इन चौदह पिच में से दो को सर्वोत्तम पिच पर रखा गया – अचिरा लैब्स, बैंगलोर, मल्टीप्लेक्स्ड पॉइंट ऑफ केयर इम्युनोएसे के लिए माइक्रो फ्लूडिक्स आधारित प्लेटफॉर्म हेतु और श्री जयंत एस कर्वे, अध्येता, स्टैनफोर्ड इंडिया बायोडिजाइन इंट्राओसियस एक्सेस डिवाइस।

व्यापार पिच का मूल्यांकन करते समय जूरी पैनल ने प्रस्तुतीकरण की स्पष्टता, मूल्य प्रवर्धन, परियोजना संकलना, व्यापार योजना, उत्पाद विकास का चरण और परियोजना के बारे में जूरी के सरोकारों को दूर करने की क्षमता पर ध्यान दिया।

कार्यक्रम के दौरान एक पोस्टर प्रस्तुतीकरण भी आयोजित किया गया था, जिसमें 24 पोस्टरों की भागीदारी हुई। इसमें 3 प्रविष्टियों को सर्वोत्तम पोस्टर परखा गया था :

क) कावेरी सीड कं. लि. ने मक्के में सूखा तनाव के तहत उपज के आनुवंशिक आधार पर जैव और हाइब्रिड प्रौद्योगिकियों के मार्कर समर्थित विच्छेदन के सम्मिलित उपयोग के माध्यम से जैविक तनाव प्रतिरोधक चावल का विकास और उपज संभाव्यता में सुधार पर कार्य किया।

ख) ऑर्गनिक पुनः परिचालन प्रोन बीज उत्पादन प्रणाली (चरण 2) की स्थापना के लिए नाइट्रिफाइंग बायो रिएक्टर प्रौद्योगिकी की डिजाइन में संशोधन और वाणिज्यीकरण के लिए ओरिएंटल एक्वामरीन।

ग) प्राज इंडस्ट्रीज : लिग्नोसेल्यूलोसिक बायोमास से एथेनॉल प्रौद्योगिकी तक तथा सेकेरीफिकेशन और किण्वन।

12.2 20 मार्च 2014 को संस्थापना दिवस

बाइरैक का दूसरा संस्थापना दिवस 20 मार्च, 2014 को मनाया गया जिसमें उद्योग तथा शिक्षा जगत, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, नीति निर्माताओं और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय संगठनों के लगभग 300 वैज्ञानिकों ने भाग लिया। संस्थापना दिवस के अवसर पर

प्रो. पदमानबन, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं नवाचार सलाहकार, बाइरैक, प्रो. के विजयराघवन, सचिव, डीबीटी एवं अध्यक्ष, बाइरैक एवं डॉ. रेनू स्वरूप, प्रबंध निदेशक, बाइरैक दीप प्रज्ज्वलित करते हुए

बाइरैक के दूसरे स्थापना दिवस में प्रतिनिधि

विषयवस्तु थी ''भागीदारी को प्रोत्साहन – नवाचार अनुसंधान से उत्पाद विकास।'' बाइरैक के विभिन्न पणधारियों ने संस्थापना दिवस के अवसर पर बायोटेक क्षेत्र में भारत को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्द्धी बनाने हेतु प्राथमिकताओं पर चर्चा का एक मंच प्रदान किया।

इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने भाग लिया जो वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास को समर्थन देते हैं। इसमें बिल एण्ड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, द वैलकम ट्रस्ट, टीईकेईएस, यूएसएड और कनाडा की महा चुनौती शामिल थे। कई देशों के दूतावासों की ओर से वरिष्ठ वैज्ञानिक सलाहकार उपस्थित हुए।

संस्थापना दिवस की कार्यसूची में व्याख्यानों, उद्योग – शिक्षा जगत की भागीदारी के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श और पैनल चर्चा शामिल थे ताकि सीमापार के सह संबंधों और भागीदारी को प्रोत्साहन देकर देश में जैव नवाचार पारिस्थितिक तंत्र को पोषण दिया जा सके।

व्याख्यानों और समापन सत्रों के अलावा कार्यक्रम में आमंत्रित अनेक विशेषज्ञों के विचारों को उद्दीपित करने के लिए बायोटेक उद्योग के सामने आने वाले प्रमुख मुद्दों पर अनेक पैनल चर्चाएं आयोजित की गई थी।

इस कार्यक्रम में भारत को एक वैश्विक जैव विनिर्माण केन्द्र बनाने के साथ बायोफार्मा, जैव उद्योग और जैव उत्पादन पर विशेष बल देते हुए चर्चाओं और विचार विमर्शों का आयोजन किया गया। जैव विनिर्माण के निधिकरण विकल्पों पर भी चर्चा की गई।

पैनल चर्चा में श्रोताओं की उत्सापूर्व भागीदारी के साथ सभी आयामों में संगत मुद्दों पर उत्साह और गहराई से व्यापक चर्चा में समीक्षा की गई। इस कार्यक्रम का समापन उन चरणों पर जीवंत चर्चा के साथ हुआ जो बायोटेक क्षेत्र के लिए प्रतिभा समूह के निर्माण के साथ दीर्घ अवधि में प्रतिभाओं को धारित करने के लिए आवश्यक हैं।

13. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उसकी पर्याप्तता

कंपनी ने पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण के लिए अपने व्यवसाय के आकार और व्यापार की प्रकृति के अनुरूप प्रणाली स्थापित की है। इस तरह की प्रणाली को उचित रूप से विलेखन किया गया है। गोपनीयता बनाए रखने और हितों में संघर्ष से बचाव सुनिश्चित करने के लिए एक बहुत ही स्पष्ट नीति है।

14. मानव संसाधन

वर्ष 2013–14 एक चुनौतीपूर्ण वर्ष रहा है, जहां तक मानव संसाधन के मामलों का संबंध था। बाइरैक एक अनोखी संगठनात्मक संरचना, संविदा कैरियर विकास मार्ग और मानव संसाधन नीति के विकास में सक्षम रहा है, विभिन्न जिम्मेदार पदों पर उद्देश्यों की प्राप्ति के विचार से कार्मिकों की भर्ती एक बहुत कठिन कार्य था। यह संगठन का श्रेय है कि बाइरैक विभिन्न विषयों और प्रक्षेत्रों से 21 कार्मिकों को लेने में सक्षम रहा है। भर्ती किए गए लोगों ने अक्तूबर 2013 में कार्यभार संभाला।

प्रशिक्षण

वर्ष 2013–14 के दौरान बाइरैक के कर्मचारियों को 40 श्रम दिवसों का प्रशिक्षण दिया गया था। डॉक्टर नंदितोश निलय, ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट एण्ड न्यू कॉन्सेप्स (टीआरएएनसी) के निदेशक ने 17 फरवरी 2014 को बाइरैक के 20 कर्मचारियों एवं आवश्यकता आधारित कार्यबल के लिए आधे दिन की कार्यशाला 'मानव मान्यताएं' विषय पर आयोजित की।

मैकमिलन साइंस कम्युनिकेशन, जेएनयू द्वारा 29 नवम्बर, 2013 को एक दिवसीय वैज्ञानिक लेखन और प्रकाशन कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें 20 कर्मचारियों ने भाग लिया। इसके अलावा कर्मचारियों को 6–7 अगस्त 2014 को प्रेरण प्रशिक्षण भी दिया गया। 6–7 अगस्त 2013 को आधे दिन के लिए आयोजित इस प्रशिक्षण में 18 कर्मचारियों ने भाग लिया।

जेएनयू में वैज्ञानिक लेखन एवं प्रकाशन कार्यशाला

बाइरैक पुस्तकालय

बाइरैक में पुस्तकों, रिपोर्ट और पत्रिकाओं का एक छोटा सा पुस्तकालय है। जबकि पुस्तकालय की आवश्यकता को लगभग 19 प्रकाशकों के 727 जर्नलों के अंशदान से डीबीटी के ई–पुस्तकालय संघ (डेलकॉन) द्वारा पूरा किया जाता है। यह 14 सदस्यों का एक विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक संघ है जिसकी अगस्त 2013 में गठन किया था। प्रकाशकों के अंशदान का मूल्य डेलकॉन के सदस्य संस्थानों द्वारा अनुपातिक रूप से उठाया जाता है। पत्रिकाएं सदस्य संस्थानों के लिए डेलकॉन के पोर्टल (http://delcon.gov.in) पर उपलब्ध है।

15. भावी नजरिया

15.1 पूर्व क्लिनिकल विश विज्ञान और चरण 1 क्लिनिकल परीक्षणों के लिए ट्रांसनेशनल सुविधाएं

नई औषधि खोज की प्रक्रिया तथा रोगियों में उनके संपूर्ण मूल्यांकन पूर्व क्लिनिकल, चरण 1, चरण 2, चरण 3 और चरण 4 के 5 मौलिक चरणों से बनते हैं। पूर्व क्लिनिकल अध्ययनों में जंतु मॉडलों में उनकी निरापदता और दक्षता का अनुमान लगाया जाता है और इस प्रकार मनुष्यों में अनुसंधान के आयोजन को समर्थन मिलता है। इसी प्रकार, पहले चरण के अध्ययन में स्वस्थ स्वयं सेवकों में निरापदता और सहनशीलता के साथ रोगियों पर समर्थन की जानकारी मिलती है। जंतुओं की गणना को स्वस्थ स्वयं सेवकों के माध्यम से रोगियों पर इस्तेमाल करने से औषधि खोज प्रक्रिया में एक उल्लेखनीय भूमिका निभाई जाती है तथा इस प्रकार पूर्व के विकल्प विष विज्ञान अध्ययन और पहले चरण के क्लिनिकल परीक्षण एक अहम भूमिका निभाते हैं।

बाइरैक में राष्ट्रीय स्तर पर पूर्व क्लिनिकल विज्ञान तथा पहले चरण के क्लिनिकल परीक्षण की सुविधाओं की आवश्यकता को पहचाना गया है, जिन्हें आरंभ होने वाली कंपनियां, एसमएई और सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसंधानकर्ता अपनी अनुसंधान प्राप्तियों को सत्यापन तथा परीक्षण के अगले चरणों तक ले जा सकते हैं।

बाइरैक वर्तमान में निजी क्षेत्र के एक संस्थानों को सुदृढ़ बनाकर पूर्व क्लिनिकल विश विज्ञान सुविधा की स्थापना करने एवं अनुसंधानकर्ताओं के लिए इसे पहुंच योग्य बनाने की काम में जुटा है। इस के लिए अनिवार्य बुनियादी कार्य पहले ही पूरे किए गए हैं।

15.2 जैव उत्पाद के शीघ्र विकास के लिए खोज अनुसंधान में तेजी लाने के लिए मिशन (राष्ट्रीय जैव भैषजिक त्वरक कार्यक्रम)

पिछले कुछ दशकों में जैविक और जैव भैषजिक पदाथों पर अनुसंधान एक फोकस क्षेत्र के रूप में उभरा है। वर्तमान वैश्विक प्रयास जैविक तथा अंतर विषयक विज्ञान को उन्नत बनाने पर केन्द्रित हैं, ताकि जैव भैषजिक अनुसंधान और विकास की गति में तेजी लाई जा सके। इन क्षेत्रों में भारत की क्षमताओं में भी तेजी लाने की आवश्यकता है ताकि भारत नए, वहनीय और प्रभावी जैव भैषजिक उत्पादों की डिजाइन और विकास केन्द्र के रूप में उभर सकें। बाइरैक का लक्ष्य इस महत्वपूर्ण अनुसंधान स्थल के साथ खोज अनुसंधान से शीघ्र विकास में तीव्रता लाने के नवाचारी और ट्रांसलेशनल अनुसंधान पर केन्द्रित राष्ट्रीय मिशन के साथ उद्योग–शिक्षा सहयोग के माध्यम से वैज्ञानिक नेतृत्व के आधुनिकतम कौशल प्रदान करना है। बाइरैक स्वयं को जैविक और जैव भैषजिक पर राष्ट्रीय मिशन में आधारभूत निर्माण खण्ड के रूप में प्रस्तुत करता है।

बाइरैक ने कुछ पणधारकों की बैठकों का आयोजन किया है और मिशन की रूपरेखा तथा कार्यान्वयन परिभाषित करने के लिए वर्तमान ''भारत में संभव कला'' का विश्लेषण किया है। भावी गतिविधियों के आयोजन और समन्वय में सहायता के लिए कार्यक्रम प्रस्ताव प्रबंधक इकाई (पीपीएमयू) का गठन भी किया जा रहा है।

15.3 उत्पाद नवाचार और विकास प्रयास हेतु अनुसंधान गठबंधन (रैपिड) :

बाइरैक ने राष्ट्रीय रूप से महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों और उत्पादों के तीव्र विकास में तेजी लाने पर केन्द्रित रैपिड आरंभ किया है जो राष्ट्रीय तथा बाजार की जरूरतों को समझने के समन्वित प्रयासों पर होगा, इसमें नीति तथा प्रौद्योगिकी / उत्पाद से प्रौद्योगिकी अधिग्रहण के आस पास का क्षेत्र और यदि आवश्यकता हो तो इसका विकास भी शामिल होंगे।

गेहूं परियोजना :

बाइरैक का लक्ष्य 'ताप सहनशीलता और जलवायु की नम्यता के लिए उन्नत गेहूं' पर एक परियोजना को समर्थन देना है, जो यूएसएड के सहयोग से रैपिड प्रयास के तहत फसल जैव प्रौद्योगिकी के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र को संबोधित करती है। प्रस्तावित परियोजना का लक्ष्य उच्च उपज, ताप सहनशील गेहूं की फसल का विकास भारत के गंगा के मैदानों के लिए करना है।

बाइरैक वर्तमान में इस प्रयास में अधिक से अधिक सरकारी निधिकरण एजेंसियों को शामिल करने की संभावना खोज रहा है और इसने इस प्रयास को आगे ले जाने के लिए प्रमुख गतिविधियों को अभिज्ञात किया है, अर्थात् हैप्लॉइड उत्पादन तथा जीनोटाइपिंग के लिए केन्द्रीय सुविधाओं की स्थापना, जनशक्ति का प्रशिक्षण और गेहूं की संगत किस्में।

कृते और बोर्ड की ओर से
प्रो. के. विजयराघवन
अध्यक्ष

दिनांक : 9 सितम्बर, 2014
स्थान : नई दिल्ली

उपलब्धियां

बाइरैक वित्त पोशण के माध्यम से विकसित उत्पाद / प्रौद्योगिकियां / प्रक्रम

क्र. सं.	कंपनी और सहयोगी	प्रस्ताव का शीर्षक	मुख्य विशेषताएं	वर्तमान स्थिति
उत्पाद				
1.	आईसीजीईबी / डीबीटी / यूनिवर्सिटी ऑफ टुर्कु के साथ डिजाइनइनोवा	देखभाल के बिंदु पर एक वहनीय फ्लोरसेंस रीडर की डिजाइन और विकास	इस प्रौद्योगिकी से दूरस्थ सेटिंग में एक साथ कई संक्रमणों का पता लगाने में मदद मिलेगी और यह ब्लड बैंकों में कम चिकित्सा अपशिष्ट सुनिश्चित करेगा। यह एचआईवी, एचसीवी, एचबीवी, सिफलिस और ट्यूबरकुलोसिस संक्रमणों का पता लगाने के लिए सस्ते परीक्षण के लिए अपनाया जा सकता है।	व्यावसायीकरण के लिए तैयार। एक इकाई पहले से ही बेच दी गई है।
2.	हेल्थलाइन प्रा. लि.	सेरिसिन और अन्य प्राकृतिक रूप से सक्रिय कारकों के उपयोग से बुनी गई रेशम की शीट पर सौंदर्य की दृष्टि से अनुप्रयोग हेतु चेहरे के मास्क का उपयोग	'फाइब्रो हील' को जले हुए घाव के प्रबंधन के लिए रेशम प्रोटीन के आधार पर विकसित किया गया है।	यह मास्क एम्स में उपयोग में है।
3.	एम्स, नई दिल्ली और नारायण हृदयालय अस्पताल, बैंगलोर के सहयोग से जेनकेयर सॉल्यूशन्स प्रा. लि.	डीएक्स फोन	रक्त ग्लूकोज, एचबीए1सी, लिपिड (एचडीएल, एलडीएल, टीआरजी), क्रिएटिनिन और हीमोग्लोबिन के नैदानिक सत्यापन और मापने के लिए जेनकेयर द्वारा 'एआईएनए' उपकरण का विकास और व्यावसायीकरण किया गया था। उपकरण स्वास्थ्य देखभाल कार्यकताओं द्वारा अंतरिक रोगी प्रबंधन के लिए, आंतरिक रोगियों की स्वयं निगरानी के लिए और स्क्रीनिंग के लिए अस्पतालों में उपयोग किया जा सकता है।	व्यावसायीकरण के लिए तैयार। कंपनी को पहले से ही 25,000 इकाइयों के लिए पूर्व आदेश मिला हुआ है।
4.	ऑप्ट्रा सिस्टम्स प्रा. लि.	ऑनकोस्कैन – डिजिटल ऑन्कोपैथोलॉजी स्लाइड स्कैनर	यह सस्ती कीमत पर इमेज को देखने और प्रबंधन के लिए सॉफ्टवेयर के साथ ऑपरेशन, मापनीयता, सुरक्षा और एकीकरण को आसानी के साथ संपूर्ण डिजिटल पैथोलॉजी समाधान की पेशकश करेगा।	दूसरे चरण में सत्यापन के लिए तैयार
5.	स्पान डायग्नोस्टिक्स लि.	कम लागत वाले और भरोसेमंद नैदानिक रसायन विश्लेषक का विनिर्माण तथा वाणिज्यीकरण	सरल ऑटोकैम : इस उत्पाद से स्वास्थ्य देखभाल पर कुल खर्च को कम करने के शीघ्र निदान में मदद मिलेगी। विद्युत में बड़ी अस्थिरता का सामना करने के लिए मजबूत डिजाइन।	व्यावसायीकरण के लिए तैयार।
6.	विनविश टेक्नोलॉजीस प्रा. लि.	फोटो डायनेमिक थैरेपी (पीडीटी) लेजर सिस्टम की डिजाइन और विकास	कैंसर के इलाज के लिए स्वदेशी और कम लागत पीडीटी लेजर प्रणाली।	क्लिनिकल परीक्षणों के लिए तैयार।
प्रौद्योगिकी				
1.	परसिस्टेंट	एक व्यापक नवीनतम सीक्वेंस डेटा विश्लेशण समाधान (एनएसजी)	स्वास्थ्य और बीमारियों में आनुवंशिक मतभेद की समझ बढ़ाने के लिए मानव जीनोम का पुनः अनुक्रमण में अनुप्रयोग है।	व्यावसायीकरण
2.	स्ट्रैंड लाइफ साइंसेज प्रा. लि.	यकृत में विशालुता का पूर्वानुमान लगाने के लिए मंच	दवा से उठने वाली यकृत की चोट पर अंतर दृष्टि प्रदान करने में सक्षम और इससे जंतुओं के प्रतिस्थापन / उपयोग में कमी आएगी और हेपेटोटॉक्सीसिटी के पूर्वानुमान द्वारा दवा के विकास की दक्षता बढ़ेगी।	व्यावसायीकरण
3.	भारत सीरम एडं वैक्सीन लि.	चिकित्सीय पेप्टाइड्स / रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स को लेकर इम्प्लांट आधारित निरंतर निर्मुक्ति सूत्रण के लिए प्रौद्योगिकी मंच का विकास और कैंसर रोधी गुणों के साथ अनिवार्य रूप से समान चिकित्सीय	स्तन और प्रोस्टेट कैंसर के इलाज के लिए प्रयुक्त गोसरलिन के इम्प्लांट के लिए दवा प्रदायगी हेतु लंबी समय अवधि तक दवा छोड़ने के लिए	व्यावसायीकरण के लिए तैयार।

क्र. सं.	कंपनी और सहयोगी	प्रस्ताव का शीर्षक	मुख्य विशेषताएं	वर्तमान स्थिति
		पेप्टाइड पर आधारित इम्प्लांट का प्रक्रम विकास और वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य निर्माण प्रक्रिया।	प्रदायगी प्रौद्योगिकी का विकास।	
4.	रोस्सारी बायोटेक	बड़े व्यवहार्य बाजार / मांग के साथ में कृषि अपशिष्ट / उपज को कच्ची सामग्री के रूप में लेकर व्यवहार्य एंजाइम्स उत्पादन	प्रदायगी प्रौद्योगिकी का विकास। 1000 ली पैमाने में एमिलेज और लिपेस एंजाइम के स्वदेशी उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी विकसित की गई थी।	उत्पादन के लिए तैयार।
5.	नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स लि. (एनएफसीएल)	जैविक हाइड्रोजन के लिए रूपांतरकारी प्रौद्योगिकी मंच का विकास	हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के लिए जैविक हाइड्रोजन उत्पादन एक वाहक है और यह उनके पेट्रोलियम फीड स्टॉक का स्थान लेने में रासायनिक उद्योगों के लिए भी एक भूमिका निभाता है।	पायलट पैमाने उत्पादन के लिए तैयार। बड़े पैमाने के संस्करण के लिए 50–100 एमटी कच्ची सामग्री / दिन के बीच संभालने के लिए परिकल्पित है
6.	एनर्जी बायोसाइंसेज / आईसीटी, मुंबई के लिए डीबीटी – आईसीटी सेंटर सहित इंडिया ग्लायकॉल्स लि.	लगभग 3000 लिटर इथनोल / प्रतिदिन के उत्पादन के लिए 10 टन लिग्नोसेलुलोसिक बायोमास /दैनिक प्रसंसाधन संयंत्र की स्थापना	लिग्नोसेलुलोसिक एथेनोल के विकेंद्रित वाणिज्यिक संयंत्र की स्थापना गन्ना उत्पादन की वेगरी से एथेनोल रहित उत्पादन आवश्यक है और देश में 250 मिलियन टन से अधिक कृषि संवर्धन का अतिरिक्त अवशेष उपलब्ध होगा।	3000 ली / दिन के सतत उत्पादन के लिए पायलट संयंत्र निर्माणाधीन है।
7.	अमृत इंस्टीट्यूट ऑफ नैनोसाइंसेज / रेलीस सहित टाटा कैमिकल्स लि.	आकार्बनिक और पॉलीमर नैनो – सम्मिश्रयों से सूक्ष्म पोषक तत्वों और पीड़क नाशी प्रदायगी : फसलों के स्वास्थ्य और उपज को बढ़ाना	नैनोप्रौद्योगिकी आधारित प्रदायगी वाहक से फसल स्वास्थ्य, गुणवत्ता और उपज बढ़ाने के लिए फसलों में सूक्ष्म पोषक तत्व और पीड़कनाशियों की प्रदायगी।	क्षेत्र परीक्षणों के लिए तैयार
प्रक्रिया				
1.	इंडो अमेरिकन हाइब्रिड सीड्स (इंडिया) प्रा. लि. बैंगलोर	चावल (आरिजा सेटाइवा) (फेज–1) में लवण सहनशील संकरों के विकास के लिए मार्कर समर्थित चयन की उपयोगिता	चावल की स्थिर सेलाइन सहनशील साइटोप्लाज्मिक नर स्टेराइल लाइनें उत्पन्न की गई थी, जिन्हें चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिए सेलाइन सहनशील रेस्टोरर लाइन का उपयोग करते हुए संकर बीजों का उत्पादन करने में इस्तेमाल किया जा सकता है।	क्षेत्र परीक्षणों के लिए तैयार
2.	अभय कोटेक्स प्रा. लि.	एक चरण निष्कर्ष के साथ कपास के बीजों में विविध परिष्करण	इस प्रक्रिया से बेहतर तेल उत्पन्न होता है जिससे प्राप्ति बढ़ती है। पशुओं को वैकल्पिक प्रोटीन स्रोत दिया जा सकता है ताकि सोयाबीन का भोजन मनुष्यों के लिए उपलब्ध होगा।	उत्पाद बाजार में है।

शीघ्र चरण प्रौद्योगिकियां

क्र. सं.	कंपनी और सहयोगी	प्रस्ताव का शीर्षक	मुख्य विशेषताएं
1.	मित्रा बायोटेक प्रा. लि. सहित एंथम बायोसाइंसेज प्रा. लि.	पीएटी – 1102 : कैंसर उपचार के लिए एक नया संदमक	वर्तमान एचडीएसी अवरोध से भारत में कैंसर के रोगियों के लिए सुरक्षित और सस्ती चिकित्सा की पेशकश की उम्मीद है।
2.	एनआईएन, हैदराबाद सहित क्रिस्टेलाइन रिसर्च प्रा. लि.	नई कैंसर रोधी ड्रग दवा के क्रिस्टल के लिए क्लिनिकल परीक्षण	टेमोजोलोमाइड एक हाइड्रोलायटिकली स्थिर सूत्रीकरण है जो उष्णकटिबंधीय जोन 4 क्षेत्र देशों उदाहरण भारत, दक्षिण अमेरिका के लिए प्रासंगिक है।
3.	इनकोजन थेराप्यूटिक्स प्रा. लि.	कैंसर के संभावित, चयनित और नए सी–मैट काइनेज संदमक की खोज और विकास	इन अवरोधक काइनेस अवरोध टायरोसिन से संबंधित हैं जो प्रतिनिधित्व लक्षित चिकित्सा के ऊतक या अंग पर एक मास प्रभाव से कैंसर कोशिकाओं पर विशेष प्रभाव रखते हैं।
4.	रासायनी बायोलॉजिक्स प्रा. लि.	हार्मोन रिफ्रेक्टरी प्रोस्टेट कैंसर के इलाज के लिए प्लेटिनम नैनो कणों का मूल्यांकन	असाध्यता के प्रबंधन के लिए स्वदेशी, लागत प्रभावी और सस्ते प्लेटिनम आधारित उपचार

क्र. सं.	कंपनी और सहयोगी	प्रस्ताव का शीर्षक	मुख्य विषेशताएं
5.	सेरीकेयर, डिविजन ऑफ हेल्थलाइन प्रा. लि.	घाव प्रबंधन के लिए रेशम प्रोटीन मिश्रित फिल्म, उत्पादन प्रक्र का मानकीकरण, क्लिनिकल मूल्यांकन, मूल्य वर्धन और संकल्पना स्थापना	ऑटोग्राफ्ट घाव और मधुमेह घावों के उपचार के लिए उपयोगी
6.	अचिरा लैब्स प्रा. लि.	मानव सिरम में नए तपेदिक मार्कर का पता लगाने के लिए एप्टामर आधारित मंच का विकास	उभरती एप्टामर प्रौद्योगिकी का उपयोग कर तपेदिक के लिए सरल, किफायती और सटीक निदान परीक्षण।
7.	पैंडोरुम टेक्नोलॉजीस प्रा. लि.	मॉड्यूलर रेसिलिन माइमेटिक एलास्टोमेरिक प्लेटफॉर्म	जीवन रक्षा दवाओं और मैकेनिकल मांग ऊतक इंजीनियरिंग स्कैफोल्ड के विभिन्न वर्गों के लिए लचीले गुण प्रस्ताव स्मार्ट वितरण प्रणालियों सहित जैव प्रेरित हाइड्रोजेल के नए वर्ग।
8.	स्टेमप्यूटिक्स रिसर्च	एल्कोहलिक लिवर सिरोसिस के रोगियों में बहु केंद्र, खुराक में वृद्धि के लिए एक सामानांतर समूह, खुली ब्लाइंडेड और बिंदु मूल्यांकन हेतु चरण 2 के अध्ययन में इंट्रा – आर्टिरियल एक्स–विवो संवर्धित वयस्क एलॉजेनिक मेसेकायमल स्टेम सेल्स की दक्षता और निरापदता का आकलन	यकृत के सामान्य कार्यों को बहाल या निस्तारण करने के लिए जल्दी और सुरक्षित हस्तक्षेप प्रदान करता है।
9.	थर्मैक्स लि.	अपशिष्ट से ऊर्जा समाधान के लिए वायु रहित झिल्ली बायोरिएक्टर (एएनएमबीआर) का विकास	ऊर्जा मांग और अपशिष्ट जल प्रबंधन ऊतकों के लिए सतत समाधानों को प्रदान करने के लिए विकसित देशों में मुख्य प्रभावी अनुमानित सृजन।
10.	नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स लि.	दुर्लभ शुगर उत्पादन चरण 1 हेतु प्रौद्योगिकी मंच का विकास	दुर्लभ शुगर ई.कोलाई से अभिव्यक्त और शुद्ध स्थिर पुनः संयोजक एंजाइमों का उपयोग कर उत्पादन किया गया है। प्लेटफॉर्म सेलुलोसिक शुगर सहित कच्चे सामग्रियों के व्यापक रेंज का उपयोग कर सकते हैं।
11.	अमजीन बायोसाइंसेज	पुनर्योगज लाइपेस एंजाइम (फेज 1) की क्लोनिंग और अभिव्यक्ति	100 ली पैमाने तक थेम्रोमायसेसलानिसस प्रौद्योगिकी (टीएल) लिपेस का उत्पादन। एंजाइम खाद्य उद्योग, जैव डीजल उत्पादन और अच्छे रसायनों में अनुप्रयोगी है।
12.	कावेरी सीड कंपनी लि.	जैव और संकर प्रौद्योगिकियों के माध्यम से जैविक तनाव रोधी चावल का विकास	उत्पादक बढ़ाने में योगदान, जिससे किसानों को राजस्व का मार्ग बनाने का अवसर मिलेगा।
13.	जियो बायोटेक्नोलॉजीस इंडिया प्रा. लि.	समग्र जीनोम और संबद्ध मानचित्रण समर्थित आवर्ती चयन से अजैविक और जैविक तनाव प्रतिरोधक मक्का	सूखे के मानचित्रण अध्ययन के संबंध में अभिज्ञात मार्करों से मूल्यवर्धन मिलेगा तथा सूखा सहनशील इन ब्रेड विकास कार्यक्रम के लिए एमएआरएस में शुद्धता।
14.	बायो सीड रिसर्च इंडिया प्रा. लि.	सूखे के लिए क्यूटीएल की पहचान तथा विशिष्ट चावल फसलों में इनका इंट्रोग्रेशन	सत्यापित क्यूटीएल से हमें सूखा सहनशीलता की आनुवांशिकी की समझ बढ़ाने में और अधिक सूखा सहनशील फसलों के विकास में सहायता मिलेगी।
15.	आईसीजीईबी की अंकुर सीड्स प्रा. लि.	टोमेटो लीफ कर्ल (टीओएलसीवी) और टोसपोवायरस (जीबीएनवी) प्रतिरोधक निर्माण के लिए तीसरी पीढ़ी के आर एन ए आई	टोमेटो लीफ कर्ल और टोस्पो वायरस प्रतिरोधी संकरों द्वारा उपज बढ़ाने से समाज के लिए लाभकारी।
16.	यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की श्री बायोटेक लेबोरेटरीज इंडिया लि.	बैंगन में आरएनए इंटरफेरेंस के जरिए तना और फल भेदक कीट पीड़क (लेयूसिनोडिसोर्बोनालिस) पर नियंत्रण	कीट प्रतिरोधक बैंगन में फल को नुकसान दिए बिना मानव उपभोग के लिए प्राथमिकता दी जाती है और इससे किसान समुदाय को आर्थिक लाभ मिलेगा। कटी हुई फसल पर पीड़क नाशी के अवशेष में भारी कमी आने की आशा है।

बौद्धिक परिसंपत्ति

क्र. सं.	कंपनी का नाम	पेटेंट आवेदन सं.	शीर्षक	विशेषताएं
आईपी उत्पादन				
1	सी–कैम्प	पीसीटी / आईबी 2013 / 050871	माइक्रोफ्लुडिक फ्लो एनालायजर फॉर पैथोलॉजिकल डिटेक्शन एंड मैथड देयर ऑफ	एचआईवी, एचसीवी, एचबीवी, उपदंश और तपेदिक संक्रमणों का पता लगाने के लिए सस्ते परीक्षणों हेतु प्रौद्योगिकी
2	परफिंट प्रा. लि.	आईएन458 / सीएचई / 2013	इलेक्ट्रॉनिक डॉकिंग सिस्टम एंड मैथड फॉर रोबोटिक पोजिशनिंग सिस्टम	ट्यूमर पृथक के लिए एकीकृत योजना नेविगेशन और प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म
3	इंकोजेन थेराप्यूटिक्स प्रा. लि.	पीसीटी / आईबी2013 / 051577	नॉवेल 3, 5 – डिसबस्टीट्यूड – 3एच – एमिडजो (4, 5 – बी) पयरिडिन एंड 3, 5 – डि – सबस्टीट्यूट – 3एच – (1, 2, 3) ट्रायजोलो (4, 5 – बी) पयरिडिन कम्पोउंड्स एज मोड्यूलेटर्स ऑफ सी–मेट प्रोटीन काइनेस	कैंसर के उपचार के लिए अवरोधकों के प्रथम वर्ग काइनेस
4	कोडोन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड	आईएन 2671 / डीईएल / 2013	ए नॉवेल प्रोसेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1, 3, प्रोपेनेडियोल फ्रॉम बायोडीजल वेस्ट ग्लायसीरोल बाय म्यूटेंट एंटरोबैक्टोरीरोजीन्स एंड इट्स कॉस्ट इफैक्टिव प्यूरीफिकेशन	बायोडीज अपशिष्ट ग्लिसरॉल से 1, 3 प्रोपैनडियोल के उत्पादन के लिए नई प्रक्रिया
आईपी सुविधा				
1	पेलिकैन बायोटेक एंड कैमिकल्स लैब प्रा. लि.	आईएन 414 / सीएचई / 2013	एंजाइमों के उत्पादन के लिए नए सूत्र नए काइटिन खनिज रहित डिहाइब्रिटैड काइटिनस क्रिस्टेसीयन एक्सोस्केलेटन – आधारित सूत्रों सहित सूक्ष्म जीव जो काइटिनेस प्रोटीज एंजाइम उत्पन्न करते हैं।	एंजाइमों के उत्पादन के लिए नए सूत्र पुनः संयोजक प्रोटीन और वायरस के उत्पादन के लिए नई और सरल अभिव्यक्ति प्रणाली
2	सी–गुल लिमिटेड	आईएन2050 / एमयूएमएनपी / 2013	पुनः संयोजक प्रोटीन और वायरस के उत्पादन के लिए एक सरल प्लाज्मिड स्तन धारी अभिव्यक्ति प्रणाली	

कंपनी अधिनियम के साथ पठित कंपनी (अनुपालन प्रमाणपत्र) नियम, 2001 की धारा 383ए (1) के तहत अनुपालन प्रमाणपत्र

कंपनी पहचान संख्या	:	यू73100डीएल2012एनपीएल233152
कंपनी की पंजीकरण संख्या	:	233152
सांकेतिक पूंजी	:	1,00,00,000 करोड़ रु. (केवल एक करोड़ रुपए)

प्रति,

सदस्य,

बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल

ए–254, भीश्म पितामह मार्ग,

डिफेंस कॉलोनी,

नई दिल्ली – 110024

महोदय,

हमने बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल (कंपनी) के रजिस्टरों, अभिलेखों, बहियों और कागजातों की जांच की है, जो 31 मार्च 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम) और इसके अधीन बनाए गए नियमों एवं कंपनी की बहिर्नियमावली और ज्ञापन में निहित प्रावधानों के तहत बनाना आवश्यक है। हमारी राय में और हमारे द्वारा की गई जांचों के अनुसार तथा हमारी सर्वोत्तम सूचना तथा कंपनी, इसके अधिकारियों और एजेंटों द्वारा हमें दी गई व्याख्याओं के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त कथित वित्तीय वर्ष के संदर्भ में :

1. कंपनी ने इस प्रमाणपत्र के अनुलग्नक 'क' के अनुसार अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार सभी रजिस्टर रखे हैं और उनका अनुरक्षण किया है तथा इसमें सभी प्रविष्टियां विधिवत दर्ज की गई हैं।

2. कंपनी ने इस प्रमाणपत्र के अनुलग्नक 'ख' के अनुसार प्रपत्र और विवरणियां, कंपनी रजिस्ट्रार, क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्र सरकार, कंपनी विधि बोर्ड और अन्य प्राधिकारियों के पास अधिनियम और नियमों के तहत निर्दिष्ट समय सीमा के अंदर जमा कराए हैं।

3. कंपनी अधिनियम की धारा 25 के तहत निजी लिमिटेड कपंनी है इसलिए इसके पास न्यूनतम निर्दिष्ट भुगतानित पूंजी है और कथित वित्तीय वर्ष के दौरान इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या संवीक्षा के तहत वर्ष के दौरान कंपनी के वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों के अलावा तीन थी :

   क. अपने शेयरों और डिबेंचरों के लिए अंशदान हेतु जनता को आमंत्रित नहीं किया है, और

   ख. अपने सदस्यों, निदेशकों या संबंधियों के अलावा अन्य व्यक्तियों से जमा राशि आमंत्रित या स्वीकार नहीं की है।

4. निदेशक मंडल की बैठक चार बार 25 जून 2013, 11 सितम्बर 2013, 17 दिसम्बर, 2013 और 05 फरवरी 2014 को आयोजित की गई, इन बैठकों के संबंध में उचित सूचनाएं दी गई थीं और कार्रवाइयां उचित रूप से दर्ज की गई और इन पर हस्ताक्षर के साथ इस प्रयोजन के लिए रखी गई कार्यवृत्त पुस्तिका में पारित परिपत्र संकल्प दर्ज किए गए।

5. कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान अपने सदस्यों का रजिस्टर बंद नहीं किया है।

6. 31 मार्च 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रथम वार्षिक आम बैठक 30 सितम्बर 2013 को कंपनी के सदस्यों को उचित सूचना देने के बाद आयोजित की गई थी तथा इसमें पारित संकल्प इस प्रयोजन के लिए रखी गई कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज किए गए थे।

7. वित्तीय वर्ष के दौरान कोई असाधारण आम सभा आयोजित नहीं की गई थी।

8. कंपनी अधिनियम की धारा 295 की निजी लि. कंपनी होने के नाते इस पर लागू नहीं है।

9. कंपनी ने अधिनियम की धारा 297 के तहत निर्दिष्ट लेन देन में प्रवेश नहीं किया है।

10. कंपनी ने अधिनियम की धारा 301 के तहत रखे गए रजिस्टर में अनिवार्य प्रविष्टियां की है।

11. कंपनी को निदेशक मंडल, सदस्यों या केन्द्र सरकार से अधिनियम की धारा 314 के तहत अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं थी।

12. कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान कोई डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी नहीं किए हैं।

13. कंपनी ने :

    क. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अंतरण के लिए इसके प्रस्तुतीकरण पर सभी प्रमाणपत्रों की प्रदायगी करती है। वित्तीय वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों का कोई आबंटन / संप्रेषण नहीं हुआ था;

    ख. अलग बैंक खाते में कोई राशि जमा नहीं की है क्योंकि वित्तीय वर्ष के दौरान किसी लाभांश की घोषणा नहीं की गई थी;

    ग. कंपनी के किसी सदस्य को वारंट भेजने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वित्तीय वर्ष के दौरान किसी लाभांश की घोषणा नहीं की गई थी;

    घ. अधिनियम की धारा 217 की आवश्यकताओं का विधिवत पालन किया गया है;

    ङ निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि में निधि के अंतरण की आवश्यकता नहीं की, क्योंकि किसी अभुगतानित लाभांश खाते में कोई राशि, वापसी के लिए देय आवेदन राशि, परिपक्व जमा, परिपक्व डिबेंचर और इस पर देय ब्याज नहीं थे, जो 7 वर्ष की अवधि के लिए दावा रहित या भुगतान रहित बने रहे।

14. कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन किया गया है और अपर निदेशकों, वैकल्पिक निदेशकों तथा आकस्मिक रिक्ति भरने के लिए निदेशकों की नियुक्ति वित्तीय वर्ष के दौरान की गई है।

15. अधिनियम की धारा 269 में निजी कंपनी प्रावधान होने के नाते प्रबंध निदेशक / पूर्ण कालिक निदेशक / प्रबंधक की नियुक्ति के विषय में यह लागू नहीं है।

16. कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान कोई एक मात्र बिक्री एजेंट नियुक्त नहीं किया है।

17. कंपनी को केन्द्र सरकार, कंपनी विधि बोर्ड, क्षेत्रीय निदेशक, कंपनी रजिस्ट्रार और / या ऐसे अन्य प्राधिकरणों से अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं है, जिन्हें वित्तीय वर्ष के दौरान अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट किया गया है।

18. निदेशकों ने अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का पालन करते हुए निदेशक मंडल की कंपनियों / अन्य फर्मों में अपनी रुचि प्रकट की गई।

19. कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान कोई प्रतिभूति जारी नहीं की है।

20. कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान किसी शेयर को वापस नहीं लिया है।

21. कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान किसी अधिमानी शेयर को नहीं भुनाया है।

22. कंपनी पर शेयरों के अंतरण के लंबित पंजीकरण हेतु लाभांश के अधिकार, शेयर अधिकार और बोनस शेयर पर संयम रखने के लिए कोई लेन देन अनिवार्य नहीं थी।

23. कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान अधिनियम की धारा 58ए के अंदर आने वाले किसी अप्रतिभूत ऋण सहित अन्य कोई जमा राशि आमंत्रित / स्वीकार नहीं की है।

24. एक निजी कंपनी होने के नाते अधिनियम की धारा 293 (1) (घ) के तहत उधार लेने से संबंधित प्रावधान लागू नहीं है।

25. कंपनी ने किसी अन्य निकाय कॉर्पोरेट को न तो कोई ऋण या अग्रिम या गारंटी या प्रतिभूति प्रदान नहीं की है और परिणामस्वरूप प्रयोजन के लिए रखे गए रजिस्टर में कोई प्रविष्टि नहीं की गई है।

26. कंपनी ने संवीक्षा के अधीन वर्ष के दौरान कंपनी के पंजीकृत कार्यालय की स्थिति एक राज्य से दूसरे राज्य में करने के संबंध में ज्ञापन के प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया है।

27. कंपनी ने संवीक्षा के अधीन वर्ष के दौरान कंपनी के उद्देश्यों के संबंध में ज्ञापन के प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया है।

28. कंपनी ने संवीक्षा के अधीन वर्ष के दौरान कंपनी के नाम के संबंध में ज्ञापन के प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया है।

29. कंपनी ने संवीक्षा के अधीन वर्ष के दौरान कंपनी के शेयर पूंजी के संबंध में ज्ञापन के प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया है।

30. कंपनी ने संवीक्षा के अधीन वर्ष के दौरान कंपनी की बहिर्नियमावली में कोई बदलाव नहीं किया है।

31. कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान अधिनियम के तहत कंपनी पर अधिरोपित किसी कथित अपराध के लिए अब तक किसी के विरुद्ध कोई अभियोजन या कारण बताओ सूचना और कोई आर्थिक दण्ड तथा शास्तियां या अन्य दण्ड प्राप्त नहीं किए हैं।

32. कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान अपने कर्मचारियों से प्रतिभूति के रूप में कोई धनराशि प्राप्त नहीं की है।

कृते नीलम गुप्ता एवं सहयोगी
कंपनी सचिव

हस्ता./–
(नीलम गुप्ता)
प्रोप्राइटर
सी. पी. सं. 6950

दिनांक : 5 सितम्बर, 2014
स्थान : नई दिल्ली

अनुलग्नक क

कंपनी द्वारा पोषित रजिस्टर्स

क्र.सं.	धारा	विवरण	टिप्पणी
1.	150, 151	सदस्यों के रजिस्टर/सदस्यों की सूची	पोषित
2.	163	रजिस्टर्स एवं रिटर्न्स	पोषित
3.	--	बैठक की कार्य वृत्त रजिस्टर	पोषित
4.	303	निदेशकों, प्रबंध निदेशक, प्रबंधक एवं सचिव का रजिस्टर	पोषित
5.	307	निदेशक शेयरधारित का रजिस्टर	पोषित
6.	टेबल क की विनियम 71	निदेशक उपस्थिति का रजिस्टर	पोषित
7.	--	शेयरधारकों की उपस्थिति का रजिस्टर	पोषित
8.	--	स्थानांतरण का रजिस्टर	पोषित
9.	209	लेखा पुस्तिका	पोषित
10.	कंपनी (शेयर प्रमाणपत्र जारी करना) विनियम, 1960 की नियम 7	नवीनीकरण एवं प्रतिरूप प्राणपत्र रजिस्टर	पोषित
11.	301	निदेशकों के रूचि में कॉन्ट्रेक्ट की विवरण का रजिस्टर	पोषित
12.	–	अचल सम्पत्तियों का रजिस्टर	पोषित

अनुलग्नक ख

31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनियों के रजिस्टर के साथ कंपनी द्वारा फाइल की गई फॉर्म एवं रिटर्न्स।

क्र.सं.	फॉर्म सं/रिटर्न	धारा के तहत फाइल	दस्तावेज/फॉर्म/रिटर्न का संक्षिप्त विवरण	फाइलिंग की तिथि
1.	फॉर्म 20बी	159(1)	वार्षिक रिटर्न	25.11.2013
2.	फॉर्म 23एसी व एसीए	220	तुलना पत्र	08.11.2013
3.	फॉर्म 66	383 (क)	अनुपालन प्रमाणपत्र	22.11.2013
4.	फॉर्म 32	303	निदेशकों की नियुक्ति एवं किए गए परिवर्तन का विवरण	15.01.2014
5.	फॉर्म 32	303	निदेशकों की नियुक्ति एवं किए गए परिवर्तन का विवरण	19.08.2013
6.	फॉर्म 32	303	निदेशकों की नियुक्ति एवं किए गए परिवर्तन का विवरण	07.06.2013
7.	फॉर्म 32	303	निदेशकों की नियुक्ति एवं किए गए परिवर्तन का विवरण	07.06.2013
8.	फॉर्म 32	303	निदेशकों की नियुक्ति एवं किए गए परिवर्तन का विवरण	06.06.2013
9.	फॉर्म 32	303	निदेशकों की नियुक्ति एवं किए गए परिवर्तन का विवरण	06.06.2014
10.	फॉर्म 2	75	आवंटन का रिटर्न	08.01.2014

कृते **नीलम गुप्ता एवं सहयोगी**
कंपनी सचिव

हस्ता./–
(नीलम गुप्ता)
प्रोप्राइटर
सी. पी. सं. 6950

दिनांक : 5 सितम्बर, 2014
स्थान : नई दिल्ली

कॉर्पोरेट शासन पर रिपोर्ट

कॉर्पोरेट शासन पर रिपोर्ट

1. कॉर्पोरेट शासन पर दिशानिर्देशों में बाइरैक का विचार

कॉर्पोरेट शासन उन प्रणालियों, सिद्धांतों और प्रक्रमों का सैट है जिससे कंपनी का अभिशासन होता है। ये दिशानिर्देश प्रदान करते हैं कि कंपनी को किस प्रकार निर्देशित या नियंत्रित किया जाए कि यह उन प्रकार अपने उद्देश्य और लक्ष्यों को पूरा कर सकें जो कंपनी की मान्यता बढ़ाते हैं और साथ ही दीर्घ अवधि में सभी पणधारियों के लिए भी लाभकारी हैं। इस मामले में पणधारी में निदेशक मंडल, प्रबंधन, शेयरधारकों से लेकर ग्राहक, कर्मचारी और संस्था में से प्रत्येक शामिल होंगे। बाइरैक अपनी सभी नीतियों, प्रथाओं और प्रक्रियाओं के संबंध में नैगम शासन के मजबूत सिद्धांतों के प्रति वचनबद्ध है। कंपनी की नीति में स्पष्ट रूप से पारदर्शिता की मान्यताएं, व्यावसायिकता और जवाबदेही प्रकट होती है। बाइरैक इन मान्यताओं को धारित करने का प्रयास निरंतर रखता है ताकि यह अपने सभी पणधारकों को दीर्घ अवधि आर्थिक मूल्य प्रदान कर सके।

2. निदेशक मंडल

निदेशक मंडल में सात निदेशक हैं जो हैं कार्यकारी अध्यक्ष, एक कार्यकारी प्रबंध निदेशक, 4 स्वतंत्र निदेशक और 1 सरकार द्वारा मनोनीत निदेशक। कंपनी की चार बोर्ड बैठक निम्नलिखित तिथियों को आयोजित की गई थीं : 25 जून 2013, 13 सितम्बर, 2013, 17 दिसम्बर, 2013 और 5 फरवरी 2014।

निदेशकों तथा बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के विवरण निम्नानुसार हैं :

निदेशक का नाम	श्रेणी	अन्य कंपनियों में निदेशक पद	अन्य कंपनियों में समितियों के सदस्य / अध्यक्ष		बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति (सं.)	पिछली एजीएम में उपस्थिति	टिप्पणी
			सदस्य	अध्यक्ष			
प्रो. के. विजयराघवन	अध्यक्ष (कार्यकारी)	3	शून्य	शून्य	4	हाँ	
डॉ. रेनू स्वरूप	प्रबंध निदेशक (कार्यकारी)	1	शून्य	शून्य	4	हाँ	
प्रो. अशोक झुनझुनवाला	स्वतंत्र निदेशक	12	4	1	3	लागू नहीं	कार्यालय से 25.06.2013
प्रो. दीपक पटेल	स्वतंत्र निदेशक	शून्य	शून्य	शून्य	2	लागू नहीं	कार्यालय से 25.06.2013
डॉ. दिनकर मसानू सालंके	स्वतंत्र निदेशक	शून्य	शून्य	शून्य	3	लागू नहीं	कार्यालय से 25.06.2013
डॉ. गगनदीप कांग	स्वतंत्र निदेशक	शून्य	शून्य	शून्य	3	लागू नहीं	कार्यालय से 25.06.2013
डॉ. मो. असलम	सरकार नामांकित	शून्य	शून्य	शून्य	1	लागू नहीं	कार्यालय से 17.12.2013

बोर्ड में कोई भी निदेशक, उन सभी कंपनियों में, वे जिनके निदेशक हैं, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुसार निर्दिष्ट किया गया है, 15 से अधिक कंपनियों में निदेशक के पद पर नहीं हैं। कोई भी निदेशक 10 से अधिक समितियों के सदस्य और 5 से अधिक समितियों के अध्यक्ष नहीं है, जैसा लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी केन्द्रीय लोक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) के लिए नैगम शासन पर जारी दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट किया गया है।

कंपनी के गैर कार्यकारी निदेशकों का कोई आर्थिक संबंधों या लेनदेन नहीं है।

3. लेखा परीक्षा समिति

बाइरैक को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत एक अलाभकारी कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया है। यह एक निजी लि. कंपनी है जो किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है। लेखा परीक्षण समिति का गठन कंपनी पर लागू नहीं है, क्योंकि यह सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। जबकि लेखा परीक्षण समिति की संरचना नैगम शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों की आवश्यकता है। तदनुसार बोर्ड की एक लेखा परीक्षण समिति का गठन तीन निदेशकों, प्रो. अशोक झुनझुनवाला, डॉ. दिनकर मसानू सालुंके के साथ किया गया, जो स्वतंत्र थे तथा डॉ. रेणु स्वरूप, जो 1 मई 2014 को बाइरैक की कार्यकारी प्रबंध निदेशक हैं। डॉ. दिनकर मसानू सालुंके को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं :

1. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया और इसकी वित्तीय सूचना के प्रकटन का निरीक्षण यह सुनिश्चित करता है कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और सुसंगत है।
2. बोर्ड को आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति, पुनः नियुक्ति और यदि आवश्यक हो तो इनके प्रतिस्थापन या निष्कासन तथा लेखा परीक्षण शुल्क के नियतन की सिफारिश।
3. सी एण्ड एजी द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षकों को लेखा परीक्षण शुल्क के नियतन तथा उनके द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य सेवा के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों के भुगतान के अनुमोदन हेतु बोर्ड को सिफारिश।
4. प्रबंधन के साथ, बोर्ड के पास निम्नलिखित पर विशेष संदर्भ सहित अनुमोदन हेतु जमा करने से पहले वार्षिक वित्तीय विवरण की समीक्षा :
   - क. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 के खण्ड (2एए) के संदर्भ में बोर्ड की रिपोर्ट में निदेशक के उत्तरदायित्व विवरण को शामिल करने का मामला
   - ख. परिवर्तन, यदि कोई हों, लेखा नीतियों और प्रथाओं में तथा इनके कारण
   - ग. प्रबंधन द्वारा निर्णय को लागू करने पर आधारित अनुमानों सहित प्रमुख लेखा प्रविष्टियां
   - घ. लेखा परीक्षण की प्राप्तियों से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए उल्लेखनीय समायोजन
   - ङ वित्तीय विवरणों से संबंधित सूचीकरण और अन्य कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन
   - च. किसी संबंधी पार्टी के लेन देन का प्रकटन
   - छ. प्रारूप लेखा परीक्षण रिपोर्ट में योग्यता।
5. प्रबंधन के साथ अनुमोदन हेतु बोर्ड में जमा करने से पहले अर्धवार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा।

5ए. प्रबंध के साथ डीबीटी के माध्यम से उगाही गई निधि के अनुप्रयोग / उपयोगों के विवरण तथा प्राप्तियों की उपयोगिता की निगरानी के लिए निगरानी एजेंसी द्वारा जमा की गई रिपोर्ट की समीक्षा और इस मामले में बोर्ड द्वारा कदम उठाने के लिए उपयुक्त सिफारिशें करना।

6. प्रबंधन के साथ सांविधिक और आंतरिक लेखा परीक्षकों के निष्पादन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की समीक्षा।
7. आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ किसी उल्लेखनीय प्राप्तियों पर चर्चा और इस पर अनुवर्तन।
8. आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा किसी आंतरिक अन्वेषण की प्राप्तियों की समीक्षा, जहां संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या सामग्री प्रकार की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की असफलता और बोर्ड के सामने मामले की रिपोर्टिंग की जाती है।
9. लेखा परीक्षण आरंभ होने से पहले सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ लेखा परीक्षण के प्रकार और विस्तार पर चर्चा तथा सरोकार के किसी क्षेत्र को सुनिश्चित करने के लिए लेखा पश्चात चर्चा।

10. वैधानिक देयताओं के प्रति भुगतान में पर्याप्त चूकों के कारणों पर नजर डालना।

11. लेखा परीक्षण समिति के विचारार्थ विषयों में उल्लिखित अन्य कार्य करना।

4. बोर्ड प्रक्रिया

निदेशकों की बैठक, आम तौर पर नई दिल्ली में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाती है। बोर्ड बैठकें आयोजित करने के लिए सांविधिक आवश्यकताओं का पालन करती है। संविधि द्वारा बोर्ड की मंजूरी की आवश्यकता के मामलों के अलावा वित्तीय परिणामों सहित सारे प्रमुख निर्णय वास्तविक संचालन, फीड बैक रिपोर्टों और बैठकों के कार्यवृत्त नियमित रूप से बोर्ड के समक्ष रखे जाते हैं।

5. 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार शेयरधारक की सूचना

वर्ग कोड	शेयरधारकों की श्रेणी	शेयरों की कुल सं.	शेयरों का कुल मूल्य (रु. में)	शेयरों की कुल सं. के प्रतिशत के रूप में कुल शेयरधारिता
शेयरों की कुल सं. के प्रतिशत के रूप में कुल शेयरधारिता	भारत का राष्ट्रपति	9000	90,00,000	100
	प्रो. के. विजयराघवन (भारत के राष्ट्रपति की ओर से धारित)	900	9,00,000	
	डॉ. रेनू स्वरूप (भारत के राष्ट्रपति की ओर से धारित)	100	1,00,000	
	कुल योग	10000	1,00,00,000	100

6. महानिकाय की बैठक

वार्षिक आम बैठक के विवरण निम्नानुसार हैं :

अवधि समाप्ति की तिथि	स्थल	दिनांक	समय
31 मार्च 2013	ए–254, तीसरा तल, भीष्म पितामह मार्ग, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली – 110024	30 सितंबर 2013	सुबह 11.30 बजे
31 मार्च 2014	पहला तल, एमटीएनएल बिल्डिंग, 9, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003	30 सितंबर 2014	सुबह 10.00 बजे

पिछली वार्षिक आम बैठक में विशेष संकल्पों को पारित नहीं किया गया है।

7. प्रकटन

1. कंपनी ने निदेशकों या प्रबंधकों या उनके संबंधियों के साथ किसी सामग्री, वित्तीय या वाणिज्यिक लेन देन नहीं किया है, जिसमें वे निदेशक और / या भागीदार के तौर पर अपने संबंधियों के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दिलचस्पी रखते हैं।
2. कंपनी ने लागू नियमों और विनियमों का संकलन किया है तथा पिछले दो वर्षों के दौरान किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर कोई दण्ड या शास्तियां अधिरोपित नहीं की गई थी।
3. लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 14.05.2010 को सीपीएसई के लिए नैगम शासन पर संशोधित दिशानिर्देश जारी किए। दिशानिर्देशों के अनुसार सभी सीपीएसई सहित धारा 25 कंपनियों के लिए नैगम

शासन के प्रावधान अनिवार्य है। कंपनी के निदेशक मंडल में वर्ष 2013–14 के दौरान दिशानिर्देश अपनाए हैं और नैगम शासन के दिशानिर्देशों के लागू प्रावधानों का संकलन किया है।

4. लोक उद्यम विभाग ने दिनांक 29.07.2010 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा सभी सीपीएसई से डीपीई द्वारा जारी नीतियों और दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन पर एक वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट प्रतिवर्ष 30 जून तक जमा करने की सलाह दी है। डीपीई के निर्देशों के अनुपालन में बाइरैक ने डीपीई में आगे जमा करने के लिए अपनी अनुपालन रिपोर्ट जैव प्रौद्योगिकी विभाग में जमा की है।
5. लेखा बहियों में व्यय के कोई मद नामे नहीं डाले गए थे, जो संगठन के प्रयोजन हेतु नहीं थे
6. निदेशक मंडल के सदस्यों के व्यक्तिगत प्रकार के कोई व्यय कंपनी की निधि से नहीं किए गए थे।

8. संचार के साधन

सदस्यों / शेयरधारकों को प्रत्येक वार्षिक आम बैठक में कंपनी के निष्पादन से अवगत कराया जाता है। एक गैर सूचीबद्ध कंपनी, निजी धारा 25 कंपनी (अब कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत धारा 8 कंपनी) है और इसलिए तिमाही या अर्ध वार्षिक परिणाम संप्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है।

9. लोक उद्यम विभाग के साथ समझौता ज्ञापन

वित्तीय वर्ष 2012 – 13 के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) के लिए नैगम शासन पर दिशानिर्देशों के साथ अनुपालन के आधार पर सीपीएसई ग्रेडिंग हेतु प्रथम समझौता ज्ञापन निष्पादन को लोक उद्यम विभाग द्वारा 94 प्रतिशत के अंक सहित ''उत्कृष्ट'' रेट किया गया था।

10. अनुपालन प्रमाणपत्र

नैगम शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के खण्ड 8.2 के संदर्भ में कार्यरत कंपनी सचिव, मे. नीलम गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स, नई दिल्ली की ओर से नैगम शासन पर रिपोर्ट के भाग के रूप में नैगम शासन के प्रावधानों के अनुपालन की पुष्टि का प्रमाण पत्र।

11. आचार संहिता

बाइरैक व्यापार नीति और अनुपालन सहित लागू कानूनों, नियमों और विनियमों के उच्चतम स्तर के अनुसार व्यापार के लिए प्रतिबद्ध है। बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए डीपीई दिशानिर्देश सहित व्यापार आयोजन और नैतिकता की संहिता बनाई गई है।

बोर्ड के सभी सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक वित्तीय वर्ष 2013 – 14 के अनुपालन की पुष्टि करते हैं। व्यापार आयोजन और नैतिकता की संहिता को कंपनी की वेबसाइट **(www.birac.nic.in)** पर भी डाला गया है।

नैगम शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों पर आवश्यकता के अनुसार घोषणा

''बोर्ड के सभी सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड के सभी सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक व्यापार आयोजन और नैतिकता की संहिता के अनुपालन की पुष्टि करते हैं।

हस्ता. /–
डॉ. रेनू स्वरूप
प्रबंध निदेशक

पूर्णकालिक कार्यरत कम्पनी सचिव द्वारा लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशा निर्देशों के अनुसार नैगम शासन के अनुपालन का प्रमाणपत्र

बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल (बाइरैक) के सदस्यों के लिए

हमने 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल (कंपनी) द्वारा नैगम शासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है, जो 14 मई, 2010 को लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) के लिए नैगम शासन के दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट है।

नैगम शासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच डीपीई के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार की गई थी और यह कंपनी द्वारा नैगम शासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन की समीक्षा तक सीमित था। यह ना तो लेखा परीक्षण है और ना ही निगम के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार तथा हमें दी गई व्याख्याओं के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने डीपीई के दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट नैगम शासन की शर्तों का पालन किया है।

हम पुनः कहते हैं कि उक्त पालन ना तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता का आश्वासन हैं या कंपनी के कार्यों के आयोजन के लिए प्रबंधन की दक्षता या प्रभावशीलता हैं।

नीलम गुप्ता एंड एसोसिएट्स के लिए
कंपनी सचिव

हस्ता. /–
(नीलम गुप्ता)
कार्यरत कंपनी सचिव
स्वामी
पीसीएस 6950

तिथि : 5 सितंबर 2014
स्थान : नई दिल्ली

लेखा परीक्षक रिपोर्ट
एवं
वार्षिक लेखा

संपर्क एवं एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट

प्रति सदस्य,
बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल

वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट

हमने **बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल** (कंपनी) के संलग्न वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तुलनापत्र और समाप्त वर्ष के लिए आय तथा व्यय के विवरण (1 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च 2014 तक) और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल है। हमने तुलनापत्र, कंपनी के आय तथा व्यय में सरकारी लेखा परीक्षण (भारतीय महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक) के अवलाकनों के संदर्भ में उनकी लेखा टिप्पणियों में दिए गए सुझावों के अनुसार कुछ बदलावों के विषय में संशोधन के परिणामस्वरुप 1 अप्रैल 2014 को इस रिपोर्ट के अधिक्रमण में हमारी रिपोर्ट जारी की है।

वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जिम्मेदारी प्रबंधन की है जो कंपनी अधिनियम, 1956 (''अधिनियम'') की धारा 211 की उप धारा (3सी) में संदर्भित लेख मानकों के अनुसार कंपनी के वित्तीय निष्पादन, वित्तीय स्थिति का एक सत्य और निष्पक्ष चित्र देते हैं। इस जिम्मेदारी में वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुतीकरण के संगत आंतरिक नियंत्रण की संकल्पना, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल हैं जो किसी धोखधड़ी या त्रुटी के कारण सामग्री के गलत विवरणों से मुक्त हैं एक सत्य और निष्पक्ष चित्र देते हैं।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी अपने लेखा परीक्षण के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करना है। हमने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार अपना लेखा परीक्षण किया है। इन मानकों में आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और यह उचित आश्वासन देने के लिए लेखा परीक्षण की योजना और निष्पादन करें कि वित्तीय विवरण सामग्री के गलत विवरणों से मुक्त हैं।

लेखा परीक्षण में वित्तीय विवरणों की राशियों और प्रकटनों के बारे में लेखा परीक्षण साक्ष्य पाने की निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। चुनी गई प्रक्रियाओं में लेखा परीक्षक के निर्णय के साथ वित्तीय विवरणों के गलत सामग्री विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो। इन जोखिम आकलनों में लेखा परीक्षक वित्तीय विवरणों की निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण और कंपनी की तैयारी के संगत आंतरिक नियंत्रण पर विचार करते हैं, ताकि परिस्थितियों के लिए उपयुक्त लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं की डिजाइन बनाई जा सके। एक लेख परीक्षण में प्रबंधन द्वारा किए गए लेखा अनुमानों की उपयुक्तता और प्रयुक्त लेखा नीनियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन तथा वित्तीय विवरणों का समग्र प्रस्तुतीकरण मूल्यांकित करना शामिल है।

हमारा विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त हैं और हमारी लेखा परीक्षण राय के लिए एक उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं।

राय

हमारी राय एवं हमारी जानकारी तथा हमें प्राप्त स्पष्टीकरणों के अनुसार अधिनियम द्वारा आवश्यक सूचना देने वाले वित्तीय विवरणों में दी गई व्याख्याओं के अनुसार भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप एक सत्य और निष्पक्ष चित्र देते हैं:

क) तुलना पत्र के मामले में कंपनी के कार्यों की स्थिति 31 मार्च 2014 के अनुसार

ख) उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय, व्यय पर आय की अधिकता के मामले में, और

अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट।

1. अधिनियम की धारा 227 की उपधारा (4क) के संदर्भ में भारत की केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 (''आदेश'') की आवश्यकतानुसार, हमने आदेश के पैराग्राफ 4 एव 5 में वर्णित विषयवस्तु पर विवरण को अनुलग्नक में दिया है। लागू नहीं

2. अधिनियम की धारा 227 (3) द्वारा आवश्यक, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमने अपने सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सभी सूचनाएं और व्याख्याएं प्राप्त की हैं, और विश्वास है कि ये लेखा परीक्षण के प्रयोजन के लिए अनिवार्य थीं:

ख) हमारी राय में कंपनी द्वारा लेखा की उचित बहियां रखी गई हैं जो कानून के अनुसार आवश्यक है, जैसा कि इन बहियों की जांच से प्रकट होता है;

ग) तुलनपत्र, आय तथा व्यय के विवरण जिन्हें इस रिपोर्ट में लिया गया है, लेखा बहियों के अनुरुप हैं।

घ) हमारी राय में तुलनपत्र और आय तथा व्यय के विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उप धारा (3सी) में संदर्भित लेखा मानकों के अनुरूप हैं;

ङ) कंपनी कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या जीएसआर 829 (ई), दिनांक 21 अक्तूबर 2003 के संदर्भ में सरकार की कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 (1) (जी) के प्रावधानों की अनुप्रयोज्यता से छुट दी जाती है।

हस्त/–
संपर्क एण्ड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं.–013022N

सी.ए. पंकज शर्मा
(भागीदार)
सदस्यता सं. 093446

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 12 अगस्त 2014

कार्यालयः–102–03/106/302, नीलकंठ भवन, एस–524, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली–110092
दूरभाषः 011–22481918, 22482446, मोबाइलः 9810955575, 9212343336
ईमेलः sharmapanjul@gmail.com/sharmapanjul@rediffmail.com
प्रशासनिक कार्यालयः 302, नीलकंठ भवन, एस–524,स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली–110092

तुलना पत्र

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद

31 मार्च, 2014 के अनुसार तुलन पत्र

(राशि रुपये में)

	विवरण	नोट सं.	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि की संख्या (31.03.2014)	पिछला समीक्षाधीन अवधि की संख्या (31.03.2013)
I	**इक्विटी और देयताएं**			
(1)	शेयरधारकों की निधि			
	(a) पूंजीगत शेयर	1	1,00,00,000	1,00,00,000
	(b) आरक्षित और अधिशेष	2	2,55,37,78,458	52,04,113
	वर्तमान देयताएं			
	(a) अन्य वर्तमान देयताएं	3	27,16,03,433	37,72,49,979
	(b) अल्पावधि प्रावधान	4	-	2,78,465
	कुल		**2,83,53,81,891**	**39,27,32,557**
II	**परिसंपत्तियां**			
	(1) गैर – वर्तमान परिसंपत्तियां			
	(a) अचल परिसंपत्तियां			
	मूर्त परिसंपत्तियां	5	40,15,442	36,05,876
	अमूर्त परिसंपत्तियां		3,96,690	5,38,390
	(b) दीघावधि ऋण और समकक्ष	6	1,99,96,98,736	18,20,000
	(2) वर्तमाण परिसंपत्तियां			
	(a) नकद वर्तमान परिसंपत्तियां	7	26,27,48,934	27,16,55,533
	(b) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	8	56,85,22,089	11,51,12,758
	कुल		**2,83,53,81,891**	**39,27,32,557**
महत्वपूण लेखा नीतियां (1 से 26 तक का सहवर्ती नोट वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न भाग है)				

1 से 15 तक की टिप्पणियां वित्तीय विवरण के अनिवार्य अंग हैं।

बाइरैक के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–
कविता अनंदानी	**रेनू स्वरुप**	**के.विजयराघवन**
(कंपनी सचिव)	(प्रबंध निदेशक)	(अध्यक्ष)
	DIN No.01264943	DIN No.02721859

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट
संपर्क एण्ड एसोसिएट्स के लिए
संलग्न सम तिथि के हमारी रिपोर्ट के अनुसार
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
फर्म रजि. सं. 013022N

हस्ता/–
सी.ए. पंकज शर्मा
(भागीदार)
सदस्यता सं. 093446

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 12 अगस्त 2014

आय एवं व्यय लेखा

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद

31 मार्च, 2014 को समाप्त अवधि के लिए आय और व्यय का विवरण

(राशि रुपये में)

		नोट सं.	वर्तमान समीक्षाधीन अवधी की संख्या (31.03.2014)	पिछला समीक्षाधीन अवधी की संख्या (31.03.2013)
(1)	**आय**			
	(a) अनुदान प्राप्ति और उपयोग	9	61,76,67,081	4,63,30,771
	(b) अन्य आय	10	88,33,798	16,15,217
	कुल राजस्व	**(क)**	**62,65,00,879**	**4,79,45,988**
(2)	**व्यय**			
	(a) प्रोग्रामेटिक क्रियाकलाप	11	49,88,93,042	24,58,973
	(b) कर्मचारी लाभ व्यय	12	2,20,69,034	53,44,991
	(c) मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	5	10,17,870	1,93,730
	(d) अन्य आय	13	9,67,05,006	3,88,03,682
	कुल व्यय	**(ख)**	**61,86,84,952**	**4,68,01,376**
	(3) पूर्व अवधि सामंजस्य एवं कर से पूर्व व्यय से अधिक आय का अधिशेष ग = (क–ख)		**78,15,927**	**11,44,612**
	(4) जोड़े पूर्व अवधि आय (निवल))		31,87,314	-
	(5) वर्ष हेतु पूर्व अवधि के बाद एवं कर पूर्व अधिशेष (ड.= 3–4)		**1,10,03,241**	**11,44,612**
	(6) असाधारण मदें (एफ = 5 - 6)		-	-
	(7) कर पूर्व आय (जी = 6 - 7)		**1,10,03,241**	**11,44,612**
	घटाएं: आय कर के लिए प्रावधान		-	2,78,465
	वर्ष के लिए अधिशेष आरक्षित और अधिशेष लेखा को आगे बढ़ाया गया		**1,10,03,241**	**8,66,147**
	(8) प्रति इक्विटी अर्जित शेयर			
	(1) मूल		1,100.32	86.61
	(2) तनुकृत		1,100.32	86.61
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखा टिप्पणी		नोट सं. 14 व 15		

1 से 15 तक की टिप्पणियां वित्तीय विवरण के अनिवार्य अंग हैं।

बाइरैक के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता/–
कविता अनंदानी
(कंपनी सचिव)

हस्ता/–
रेनू स्वरुप
(प्रबंध निदेशक)
DIN No.01264943

हस्ता/–
के.विजयराघवन
(अध्यक्ष)
DIN No.02721859

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट
संपर्क एण्ड एसोसिएट्स के लिए
संलग्न सम तिथि के हमारी रिपोर्ट के अनुसार
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
फर्म रजि. सं. 013022N

हस्ता/–
सी.ए. पंकज शर्मा
(भागीदार)
सदस्यता सं. 093446

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 12 अगस्त 2014

जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान सहायता परिषद

वित्तीय विवरणों के नोट

(राशि रुपये में)

1 **पूंजीगत शेयर**

विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि की अंत की संख्या (31.03.2014)	पिछला समीक्षाधीन अवधि की अंत की संख्या (31.03.2013)
क. **अधिकृत**		
प्रत्येक 1000 रु. के 10,000 (10,000) इक्विटी शेयर	**1,00,00,000**	**1,00,00,000**
ख. **जारी, सदस्यता और पूर्ण भुगतान**		
प्रत्येक 1000 रु. के 10,000 (10,000) इक्विटी शेयर	1,00,00,000	1,00,00,000
पूरी तरह भुगतान सदस्यता लेकिन पूरी तरह भुगतान नहीं	-	-
कुल	**1,00,00,000**	**1,00,00,000**

ग. शेयरों की संख्या का सामंजस्य

विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि की अंत की संख्या (31.03.2014)	पिछला समीक्षाधीन अवधि की अंत की संख्या (31.03.2013)
	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या
प्रारंभ में इक्विटी शेयरों की संख्या	10,000	-
जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी इक्विटी शेयर	-	10,000
अंत में इक्विटी शेयरों की संख्या (अंत शेष)	10,000	10,000

घ. कंपनी के इक्विटी शेयरों में 5 प्रतिशत से अधिक दिए गए शेयरधारकों के विवरण

शेयरधारक का नाम	पूर्ण भुगतान शेयरों की सं.	शेयरधारित प्रतिशत	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि की अंत की संख्या (31.03.2014)	पिछला समीक्षाधीन अवधि की अंत की संख्या (31.03.2013)
भारत के राष्ट्रपति	9,000	90.00	9,000	9,000
डॉ. (प्रो.) के विजयराघवन (भारत के राष्ट्रपति की ओर से धारित)	900	9.00	900	900
डॉ. रेनू स्वरूप (भारत के राष्ट्रपति की ओर से धारित)	100	1.00	100	100
कुल	**10,000**	**100.00**	**10,000**	**10,000**

ड. अन्य विवरण एवं अधिकार

- कंपनी प्रत्येक 1000 रु. के सम मूल्य पर जारी किए गए इक्विटी शेयरों का केवल एक ही वर्ग है।
- प्रत्येक इक्विटी शेयरधारक के पास प्रति शेयर अधिकार के लिए एक वोट है।
- शेयर लाभांश का अधिकार नहीं है।
- शेयरों के परिसमापन की स्थिति में शेयर वितरण का अधिकार नहीं है।

2. आरक्षित और अधिशेष (राशि रुपये में)

विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि की अंत की संख्या (31.03.2014)	पिछला समीक्षाधीन अवधि की अंत की संख्या (31.03.2013)
पूंजी आरक्षित बाइरैक निधि (गैर आवर्ती) (इसका तात्पर्य अचल सम्पत्तियों के क्रय हेतु राशि के उपयोग से है)	55,08,846	43,37,966
विशेष आरक्षित विभाग आरक्षित–डीबीटी (इसका तात्पर्य डीबीटी विभाग के लिए बाइरैक द्वारा 31.03.2014 तक लिए जाने से है जिसमें बीसीआईएल द्वारा दिए गए ऋण की राशि तथा दिनांक 17 दिसम्बर, 2013 को बोर्ड द्वारा अनुमोदित उस पर ब्याज शामिल हैं)	2,50,25,74,146	-
विभाग आरक्षित–डीबीटी / संपादित (इसका तात्पर्य 17 दिसम्बर, 2013 को बोर्ड के अनुमोदन के अनुसार डीबीटी की ओर से बाइरैक द्वारा संपादित राशि से है)	3,38,26,078	-
सामान्य राक्षित **अधिशेष** आरंभिक शेष जोड़ें: आय और व्यय के विवरण का अंतरण	 8,66,147 1,10,03,241	 - 8,66,147
कुल	**2,55,37,78,458**	**52,04,113**

3. वर्तमान देयताएं (राशि रुपये में)

अन्य वर्तमान देयताएं	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि की अंत की संख्या (31.03.2014)	पिछला समीक्षाधीन अवधि की अंत की संख्या (31.03.2013)
अप्रयुक्त अनुदान (वेलकम ट्रस्ट)	10,99,33,492	10,32,97,534
अप्रयुक्त अनुदान (डीबीटी–बीएमजीएफ पीएमयू)	1,12,97,260	–
अप्रयुक्त अनुदान आगे बढ़ाया गया		
बाइरैक निधि (आई एंड एम) क्षेत्र	11,08,09,529	14,89,68,800
बाइरैक निधि (जनशक्ति)	–	46,55,009
बाइरैक निधि (गैर आवर्ती)	44,91,154	56,62,034
बाइरैक निधि (आवर्ती)	2,10,84,981	10,50,17,220
	25,76,16,416	**36,76,00,597**
अन्य देय		
वैधानिक देयताएं	6,03,979	17,35,256
डीबीटी–बीएमजीएफ–पीएमयू के तहत देयताएं	63,33,536	–
अन्य	70,49,502	79,14,126
	1,39,87,017	**96,49,382**
कुल	**27,16,03,433**	**37,72,49,979**

4. अल्पावधि प्रावधान

विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि की अंत की संख्या (31.03.2014)	पिछला समीक्षाधीन अवधि की अंत की संख्या (31.03.2013)
आय कर के लिए प्रावधान	-	2,78,465
कुल	**-**	**2,78,465**

5. अचल सम्पत्तियों की सारिणी

(राशि रुपये में)

			कुल ब्लॉक			अवमूल्यन				निवल ब्लॉक	
विवरण	अव. की दर	1.4.2013 को शेष	अतिरिक्त	बिक्री / सामंजस्य	कुल	31.3.2013 तक	वर्ष के लिए	सामंजस्य	कुल	31.3.2014 को डब्ल्यूडीवी	31.3.2013 को डब्ल्यूडीवी
भौतिक											
फर्नीचर एवं फिक्सचर	18.10%	34,56,952	26,85,011	(34,56,952)	26,85,011	1,14,856	1,93,337	(1,14,856)	1,93,337	24,91,674	33,42,096
मोबाइल	13.91%	-	31,517	-	31,517	-	460	-	460	31,057	-
कम्प्यूटर	40%	2,74,300	17,92,029	-	20,66,329	10,520	5,63,098	-	5,73,618	14,92,711	2,63,780
कुल भौतिक		37,31,252	45,08,557	(34,56,952)	47,82,857	1,25,376	7,56,895	(1,14,856)	7,67,415	40,15,442	36,05,876
गैर भौतिक सॉफ्टवेयर	40%	6,06,744.00	1,19,275	-	7,26,019	68,354	2,60,975	-	3,29,329	3,96,690	5,38,390
कुल गैर भौतिक		6,06,744.00	1,19,275	-	7,26,019	68,354	2,60,975	-	3,29,329	3,96,690	5,38,390
कुल		43,37,996.00	46,27,832	(34,56,952)	55,08,876	1,93,730	10,17,870	(1,14,856)	10,96,744	44,12,132	41,44,266
पिछले वर्ष के आंकड़े		-	43,37,996	-	43,37,996	-	1,93,790	-	1,93,730	41,44,266	

नोटः अचल सम्पत्तियों का सामंजस्य बाइरैक से डीबीटी–बीएमजीएफ–पीएमयू को सम्पत्तियों का हस्तांतरण बकाया है।

6. गैर – वर्तमान परिसंपत्तियां

(राशि रुपये में)

दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम		वर्तमान समीक्षाधीन अवधि की अंत की संख्या (31.03.2014)	पिछला समीक्षाधीन अवधि की अंत की संख्या (31.03.2013)
प्रतिभूति जमा		1,05,28,300	11,20,000
प्रतिभूति जमा–रेंट–बीएमजीएफ		12,60,315	-
ऋण – बीसीआईएल द्वारा बीआईपीपी / एसआईबीआरआई		-	7,00,000
दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम–सुरक्षित, विचाराधीन (बायोटैक कॉन्सोर्टियम इंडिया लिमि. से प्राप्त, खाता सं. 15.4 की	2,50,25,74,145		
टिप्पणी में प्रकट दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम का वर्तमान हिस्सा) घटाएंः दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम का वर्तमान हिस्से को वर्तमान परिसंपत्ति शीर्षक प्रकट किया गया है (ऋण एवं अग्रिम)	51,46,64,024	1,98,79,10,121	
असुरक्षित, विचाराधीन		NIL	NIL
संदिग्ध		NIL	NIL
कुल		**1,99,96,98,736**	**18,20,000**

रु. 51,46,64,024.00 के दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम के वर्तमान हिस्से में खाता के टिप्पणी सं. 15.4 के अनुसार बकाया शामिल है।

7. वर्तमान परिसंपत्तियां

(राशि रुपये में)

नकद एवं नकद समकक्ष	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि की अंत की संख्या (31.03.2014)	पिछला समीक्षाधीन अवधि की अंत की संख्या (31.03.2013)
हाथ में नकद	18,771	14,030
बाइरैक के तहत कॉर्पोरेशन बैंक बचत खाते में बैंक शेष	76,09,734	13,08,03,279
बाइरैक के तहत कॉर्पोरेशन फ्लैक्सी खाता	15,647	-
आईएंडएम के तहत एसबीएच शेष	11,01,23,742	3,75,40,690
आईएंडएम (एसबीएच) के तहत बैंक एफडीआर	1,93,85,503	-
डब्ल्यूटी (एसबीएच) के तहत बैंक एफडीआर	10,81,62,118	-
डब्ल्यूटी के तहत एसबीएच शेष	10,62,938	10,32,97,534
बीएमजीएफ के तहत एसबीएच शेष	1,63,70,481	-
कुल	**26,27,48,934**	**27,16,55,533**

8. अन्य वर्तमान परिसंपत्तिया

(राशि रुपये में)

अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि की अंत की संख्या (31.03.2014)	पिछला समीक्षाधीन अवधि की अंत की संख्या (31.03.2013)
दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम का वर्तमान हिस्सा, सुरक्षित, विचाराधीन	51,46,64,024	-
असुरक्षित, विचाराधीन	Nil	Nil
संदिग्ध	Nil	Nil
एफडीआर पर वास्तविक ब्याज	4,38,712	-
सरकारी एजेंसियों से वापसी योग्य (कर साख)	8,15,523	-
पूर्व भुगतान व्यय	1,92,50,625	28,80,578
बीसीआईएल के अव्यय राशि	1,22,24,864	11,14,90,000
अग्रिम वापसी योग्य नकद में या वस्तु में या लागत के लिए	2,11,28,341	7,42,180
कुल	**56,85,22,089**	**11,51,12,758**

रु. 51,46,64,024.00 के दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम के वर्तमान हिस्से में खाता के टिप्पणी सं. 15.4 के अनुसार बकाया शामिल है।

9. आय

(राशि रुपये में)

अनुदान प्राप्ति एवं उपयोग किए गए	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि की अंत की संख्या (31.03.2014)	पिछला समीक्षाधीन अवधि की अंत की संख्या (31.03.2013)
योजनाओं के तहत अनुदान का उपयोग:		
बीआईपीपी (I) के प्रति आईएंडएम से अनुदान उपयोग	11,94,57,575	15,14,000
बीआईएसएस (I) के प्रति आईएंडएम से अनुदान उपयोग	19,25,64,000	-
एसआईबीआरआई(I) के प्रति आईएंडएम से अनुदान उपयोग	6,70,58,258	-
बीआईजी (I) के तहत अनुदान	5,50,66,671	-
सीआरएस (I) के तहत अनुदान	1,20,55,000	-
आईपी (I) के तहत अनुदान	1,11,17,912	-
आईपी (I) के तहत अनुदान	1,63,40,776	-
बाइरैक निधि का उपयोग	2,52,32,849	-
जनशक्ति व्यय के लिए अनुदान	2,20,69,034	53,44,991
आवर्ती व्यय के लिए अनुदान	9,67,05,006	3,94,71,780
कुल	**61,76,67,081**	**4,63,30,771**

10. अन्य आय

(राशि रुपये में)

विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि की अंत की संख्या (31.03.2014)	पिछला समीक्षाधीन अवधि की अंत की संख्या (31.03.2013)
प्राप्त ब्याज – बैंक खाता	80,93,580	16,14,517
बीएमजीएफ से प्रबंधन शुल्क	5,73,217	-
विदेशी मुद्रा अस्थिरता	1,40,914	-
विविध आय	26,087	700
कुल	**88,33,798**	**16,15,217**

11. कार्यक्रमीय व्यय (राशि रुपये में)

विवरण		वर्तमान समीक्षाधीन अवधि की अंत की संख्या (31.03.2014)	पिछला समीक्षाधीन अवधि की अंत की संख्या (31.03.2013)
उद्योग एवं निर्माण (आई एंड एम) **जैव प्रौद्योगिकी साझेदार कार्यक्रम (बीआईपीपी):**			
अनुदान वितरण		9,06,74,900	-
परियोजना व्यय		2,87,82,676	-
लघु व्यवसाय नवीनता अनुसंधान प्रयास (एसबीआईआरआई)			
अनुदान वितरण		4,42,23,361	-
परियोजना व्यय		2,28,34,897	-
जैव इन्क्यूबेटर्स सहायता योजना (बीआईएसएस)			
अनुदान वितरण		19,25,64,000	-
	(क)	**37,90,79,834**	**-**
बाइरैक के तहत अनुदान			
अनुबंध अनुसंधान योजना		1,20,55,000	-
बायोटैक इग्निशन अनुदान		5,23,57,832	-
बौद्धिक संपदा		1,11,17,912	-
प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एवं उपार्जन		1,63,40,776	-
क्षेत्रीय केन्द्र		50,38,110	-
	(ख)	**9,69,09,630**	**-**
अन्य क्रियाकलाप व्यय			
उद्यमशीलता विकास		29,83,697	-
आईपी सेल क्रियाकलाप		55,82,657	-
प्रायोजन		61,12,151	1,00,492
कार्यशाला व्यय		35,75,194	23,58,481
खोज अनुसंधान उत्प्रेरक		19,41,040	-
प्रबंधन शुल्क (बीआईजी)		27,08,839	-
	(ग)	**2,29,03,578**	**24,58,973**
कुल (क+ख+ग)		**49,88,93,042**	**24,58,973**

आंकड़ों को तुलनीय बनाने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़े को आवश्यकता पड़ने पर पुनःसमूहित एवं पुनःवर्गीकृत किया गया है।

11 क कार्यक्रम प्रबंधन इकाई डीबीटी एवं बीएमजीएफ (राशि रुपये में)

विवरण		वर्तमान समीक्षाधीन अवधि की अंत की संख्या (31.03.2014)	पिछला समीक्षाधीन अवधि की अंत की संख्या (31.03.2013)
परियोजना व्यय	**(क)**	1,86,58,213	-
घटाएं:			
डीबीटी से मिलान परियोजना निधि		93,29,106	-
बीएमजीएफ से मिलान परियोजना निधि		93,29,107	-
	(ख)	1,86,58,213	-
	(क-ख)	-	-

12. कर्मचारी लाभ व्यय

(राशि रुपये में)

विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि की अंत की संख्या (31.03.2014)	पिछला समीक्षाधीन अवधि की अंत की संख्या (31.03.2013)
कर्मचारी के वेतन और भत्ते	2,06,77,289	45,97,491
भविष्य निधि में नियोक्ता अंशदान	13,91,745	7,47,500
कुल	**2,20,69,034**	**53,44,991**

13 अन्य व्यय

(राशि रुपये में)

विवरण		वर्तमान समीक्षाधीन अवधि की अंत की संख्या (31.03.2014)	पिछला समीक्षाधीन अवधि की अंत की संख्या (31.03.2013)
यात्रा		75,53,051	47,65,436
बैठक और सम्मेलन		91,30,622	69,41,087
विज्ञापन		1,03,46,122	64,98,600
भवन निर्माण		9,04,114	6,85,085
कानूनी और व्यावसायिक		15,64,758	45,20,174
ओरओसी शुल्क		30,950	-
कार्यालय व्यय		25,76,739	6,44,156
ऊर्जा एवं विद्युत		9,27,630	2,16,630
मुद्रण और स्टेशनरी		10,87,990	4,15,830
किराया		4,59,91,700	97,95,181
सिटिंग शुल्क एवं टीए व डीए		14,12,985	3,92,735
शुल्क एवं सदस्यता		1,18,51,195	8,32,928
वाहन व्यय		17,44,100	8,31,130
बीआईपीपी योजना के लिए किए कए व्यय		-	15,14,000
प्रारंभिक व्यय बट्टे खाते डाले गए		-	2,76,875
सुरक्षा सेवा		6,49,301	2,77,747
डाक एवं टेलीफोन व्यय		7,22,464	1,29,282
लेखापरीक्षक भुगतान			
लेखापरीक्षक शुल्क	134832		
बाह्य व्यय	5056	1,39,888	56,180
बैंक प्रभार		21,454	2,305
विविध व्यय		49,943	8,321
कुल		**9,67,05,006**	**3,88,03,682**

आंकड़ों को तुलनीय बनाने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़े को आवश्यकता पड़ने पर पुनःसमूहित एवं पुनःवर्गीकृत किया गया है।

14 महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. नैगम सूचना :

बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल (बाइरैक) ''कंपनी'' दिनांक 20 मार्च 2012 की पंजीकरण संख्या यू73100डीएल2012एनपीएल233152 के साथ कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक धारा 25 'गैर लाभकारी कंपनी' है। बाइरैक आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए के तहत पंजीकृत भी है। कंपनी बायोटेक क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के पोषण, संवर्धन और मेंटरिंग में संलग्न है।

2. वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार :

कंपनी के वित्तीय विवरण भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप (भारतीय जीएएपी) के अनुसार बनाए गए हैं। कंपनी ने ये वित्तीय विवरण सभी सामग्री संदर्भों के पालन हेतु बनाए हैं, जो कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 (यथा संशोधित) के तहत अधिसूचित लेखा मानकों और कंपनी अधिनियम, 1956 के संगत प्रावधनों के अनुसार बनाए गए हैं। ये वित्तीय विवरण प्रोद्भूत आधार पर तैयार किए गए हैं और ऐतिहासिक लागत परम्परा के अधीन है।

वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को रिपोर्टिंग अवधि की परिसंपत्तियों, व्यय और आय की बताई गई राशि के विषय में अनुमान और अवधारणाएं बनानी है। वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त अनुमान विवेक पूर्ण और युक्ति संगत हैं। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच, यदि कोई अंतर होते हैं तो इन्हें रिपोर्टिंग अवधि में पहचाना जाता है, जिसमें परिणाम ज्ञात और / या साकार किए गए हैं।

2.1 राजस्व मान्यता

i) ब्याज :

   क. ब्याज की लागू दर तथा बकाया राशि को गणना में लेकर समयानुपात में प्रदान किए गए ऋण पर ब्याज को मान्यता दी जाती है। विलंबित भुगतान पर अतिरिक्त ब्याज को रसीद आधार पर मान्यता दी जाती है।

   ख. बैंकों में सावधि जमा पर ब्याज की गणना प्रोद्भूत आधार पर की जाती हैं।

ii) रॉयल्टी को लाभार्थी के प्रति देय ज्ञान के आधार पर प्रोद्भूत रूप में मान्यता दी जाती है।

iii) प्रबंधन शुल्क को प्रोद्भूत आधार पर संगत करार की शर्तों के अंदर मान्यता दी जाती है।

2.2 सहायता अनुदान :

सहायता अनुदान के रूप में आय को लेखा के मिलान सिद्धांत के तहत मान्यता दी जाती है। सहायता अनुदान के तहत किए गए सभी व्यय, अन्य कार्यक्रम गत व्यय और संवितरित अनुदान सहित आय की समान राशि के साथ मिलाए जाते हैं और सहायता अनुदान के प्रति इनका समायोजन किया जाता है। सहायता अनुदान का अव्ययित शेष अगले वर्षों में उपयोग हेतु देयता के तौर पर अग्रेषित किया जाता है।

विभिन्न योजनाओं के तहत ऋणों के संवितरण के लिए निधि के आवेदन को नॉन करेंट परिसंपत्तियों के तहत ऋण और अग्रिम के रूप में दर्शाया गया है।

2.3 व्यय :

सभी व्यय की गणना प्रोद्भवन आधार पर की जाती है।

सहायता अनुदान के रूप में जारी निधियां आय और व्यय खाते में व्यय के रूप में ली गई हैं। पुनः, उपयोगिता प्रमाणपत्रों के अनुसार अप्रयुक्त राशि गणना में परियोजनाओं की पूर्णता पर आय मानी जाती है।

2.4 अचल परिसंपत्तियां :

अचल परिसंपत्तियों को लागत, संचित मूल्यह्रास के निवल और संचित क्षति हानि, यदि कोई हों, के अनुसार बताया जाता है।

अचल परिसंपत्तियों की मान्यता समाप्त करने से होने वाले लाभ या हानियों को मान्यता समाप्त परिसंपत्ति की अग्रेषण राशि और निवल निपटान प्राप्तियों के बीच अंतर से मापा जाता है।

परिसंपत्तियों के अग्रेषण राशि की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर की जाती है।

2.5 मूल्यह्रास और बंधक रखना :

परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 14 के तहत निर्दिष्ट विधि द्वारा हुए बट्टे खाते डालने की विधि (डब्ल्यूडीवी) पर प्रदान किया जाता है।

वर्ष, अवधि के दौरान जोड़ी / निपटान की गई अचल परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास जोड़ने / निपटान की तिथि के संदर्भ में यथानुपात आधार पर किया जाता है। व्यक्तिगत परिसंपत्तियों का मूल्य 5000 रु. तक क्रय के वर्ष में पूर्ण रूप से मूल्यह्रास माना जाता है।

2.6 अस्पष्ट परिसंपत्तियां :

अस्पष्ट परिसंपत्तियों का अधिग्रहण अलग से लागत पर मापा जाता है। अस्पष्ट परिसंपत्तियां लागत से संचित बंधक राशि और संचित क्षति हानि हटा कर ली जाती है, यदि कोई हो। आंतरिक तौर पर उत्पन्न होने वाली अस्पष्ट परिसंपत्तियों का पूंजीकरण नहीं किया जाता है और इन्हें उस वर्ष में आय तथा व्यय के विवरण में खर्च के तौर पर दिखाया जाता है जिसमें व्यय किया गया है।

अस्पष्ट परिसंपत्तियों को कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 14 के तहत निर्दिष्ट बट्टे खाते डालने की विधि (डब्ल्यूडीवी) पर बंधक रखा जाता है।

2.7 विदेशी मुद्रा लेन देन / रूपांतरण :

विदेशी मुद्रा लेन देने और संतुलन : विदेशी मुद्रा अंतरण सरकार के अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। विदेशी इकाइयों से प्राप्त किसी योगदान के लिए विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के तहत अनिवार्य अनुमोदन प्राप्त किए जाते हैं।

(i) आरंभिक मान्यता : विदेशी मुद्रा लेन देन को रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच लेन देन की तिथि पर विनिमय दर लागू करते हुए दर्ज किया जाता है।

(ii) रूपांतरण : विदेशी मुद्रा के मौद्रिक मद रिपोर्टिंग तिथि पर प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करते हुए पुनः रूपांतरित किए जाते हैं।

(iii) विनियमन अंतर : दीर्घ अवधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों से उत्पन्न होने वाली विनियम दरें अचल परिसंपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित होती है, जिनका पूंजीकरण किया जाता है और परिसंपत्ति के बचे हुए उपयोगी जीवन में मूल्यह्रास लगया जाता है। अन्य विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतर को ''विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद रूपांतरण अंतरखाता'' में रखा जाता है और संबंधित मौद्रिक मद के शेष जीवन में बंधक रखा जाता है।

अन्य सभी विनिमय अंतरों को उस अवधि में आय या व्यय के रूप में लिया जाता है, जिसमें वे उत्पन्न हुए।

2.7 कर्मचारी लाभ :

क) कंपनी के सभी कर्मचारी संविदा आधार पर लिए जाते हैं। नियोक्ताओं के अंशदान के प्रावधान कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के प्रावधान के अनुसार निर्मित है।

ख) सभी कर्मचारियों को देय होने पर उपदान की गणना की जाएगी।

2.8. प्रावधान और आकस्मिक देयताएं :

क) स्वीकृत निधियों और रिपोर्टिंग अवधि तक जारी करने के लिए शेष राशि पड़ाव के समय के अंतर के कारण देयता के रूप में नहीं ली गई है, इन्हें भुगतान के वास्तविक रूप से जारी करने पर व्यय के रूप में गिना गया है।

ख) एक प्रावधान को तब मान्यता दी जाती है जब पिछली घटना के परिणामस्वरूप कंपनी के बाद वर्तमान बाध्यता होती है, यह संभवतः आर्थिक लाभों को निहित करने वाले संसाधनों का बाहरी प्रवाह है जो बाध्यताओं के निपटान के लिए आवश्यक होगा और बाध्यता की राशि से विश्वसनीय आकलन किए जा सकेंगे। प्रावधानों पर उनके वर्तमान मूल्य में रियायत नहीं दी गई है और इनका निर्धारण रिपोर्टिंग तिथि पर बाध्यता के निपटान हेतु आवश्यक सर्वोत्तम आकलन के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर इन आकलनों की समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम आकलन दर्शाने के लिए समायोजन किया जाता है।

2.9. प्रति शेयर अर्जन

कंपनी एक धारा 25 ''लाभ–के लिए–नहीं कंपनी'' है। यह अपने क्रियाकलापों से कोई आय/राजस्व अर्जित नहीं करती है। यह अपने शेयरधारकों को कोई लाभांश वितरित नहीं करती है। हालांकि, एएस–20के अनुपालन के लिए कंपनी ने निम्नानुसार ईपीएस परिकलित की है।

क) अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा इक्विटी शेयरधारकों के अवधि आरोप्य के लिए निवल आय या हानि लाभांश द्वारा मूल अर्जन प्रति शेयर की गणना।

ख) प्रति शेयर डिलूटड अर्जन गणना के उद्देश्य के लिए, अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और इक्विटी शेयरधारकों के अवधि आरोप्य के लिए निवल लाभ या हानि को सभी डिलूटिंग संभावना इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए सामंजस्य किया गया है।

संपर्क एण्ड एसोसिएट्स के लिए
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

हस्ता/–
सी.ए. पंकज शर्मा
(भागीदार)
सदस्यता सं. 093446

हस्ता/–
कविता अनंदानी
(कंपनी सचिव)

हस्ता/–
रेनू स्वरूप
(प्रबंधक निदेशक)
DIN No.01264943

हस्ता/–
के. विजयराघवन
(अध्यक्ष)
DIN No.02721859

15. 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लेखाओं पर टिप्पणियां

15.1 बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल अपने संचालन के लिए बायोटेक्नोलॉजी विभाग (डीबीटी), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार से सहायता अनुदान के रूप में निधि प्राप्त करती है। वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान बाइरैक निधि तथा आई एंड एम सेक्टर निधियों के तहत क्रमश रु. 15 करोड़ एवं रु. 62.86 करोड़ की राशि सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त हुई।

15.2 वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान बाइरैक निधि तथा आई एंड एम सेक्टर निधियों के तहत क्रमश रु. 6.44 करोड़ एवं रु. 63. 24 करोड़ की राशि सहायता अनुदान के रूप में निम्न विवरण के अनुसार प्राप्त हुई:

(राशि रुपये में)

बाइरैक निधि	**अनुदान**	**ऋण**	**कुल राशि**
अनुबंध अनुसंधान योजना (सीआरएस)	1,20,55,000	0	1,20,55,000
बायोटेक इग्निशन अनुदान योजना (बीआईजी)	5,23,57,832	0	5,23,57,832
कुल	**6,44,12,832**	0	**6,44,12,832**
आईएंडएम सेक्टर निधि	**अनुदान**	**ऋण**	**कुल राशि**
बायो–इन्क्यूबेटर्स सहायता योजना (बीआईएसएस)	19,25,64,000	0	19,25,64,000
जैवप्रौद्योगिकी उद्योग साझेदार कार्यक्रम (बीआईपीपी)	9,06,74,900	24,44,69,500	33,51,44,400
लघु व्यवसाय नवीनीकरण अनुसंधान प्रयास (एसबीआईआरआई)	4,42,23,361	6,04,82,000	10,47,05,361
कुल	**32,74,62,261**	**30,49,51,500**	**63,24,13,761**
कुल योग	**39,18,75,093**	**30,49,51,500**	**69,68,26,593**

15.3 बाइरैक ने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा बौद्धिक सम्पदा सुविधाओं पर क्रमश रु. 1.63 करोड़ एवं रु. 1.11 करोड़ की राशि भी व्यय की है। यह व्यय परियोजनाओं के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार श्रृंखलाओं में किए गए थे।

15.4 जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार आईएंडएम क्षेत्र के तहत बीआईपीपी एवं एसबीआईआरआई जैसी विनिर्दिष्ट योजनाओं के लिए बायोटेक कॉन्सोर्टियम इंडिया लिमिटेड द्वारा 31.03.2014 तक एक ऋण संविभाग (210 खातों से युक्त) संघठित है। विवरण निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	**31.03.2014 को विवरण**	**राशि रु. में**
1	मूल राशि बकाया	2,37,10,83,763
2	वास्तविक ब्याज बकाया	13,14,90,382
3	विलंबित भुगतान पर वास्तविक अतिरिक्त ब्याज	3,43,58,461
4	बीसीआईएल द्वारा बाइरैक को भेजी गई वसूली राशि	2,23,54,203
5	बकाया राशि	20,22,48,977
6	विलंबित ऋण बकाया	72,35,59,400

दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम, सुरक्षित, विचाराधीन वस्तु की वर्तमान परिपक्वता राशि रु. 51,46,64,024/– असुरक्षित विचाराधीन वस्तु शून्य, संदिग्ध शून्य, ''अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियों'' के तहत बताया गया है (देखें सूची 6 एवं 8)

समयानुसार बकाया स्थिति

बकाया स्थिति	**बकाया राशि**	**ऋण बकाया**
	राशि (रु.)	राशि (रु.)
एक वर्ष तक बकाया	3,33,77,415	21,29,32,000
एक वर्ष से अधिक बकाया	16,88,77,562	51,06,27,400
कुल बकाया	20,22,54,977	72,35,59,400

रु. 72.36 करोड़ के विलंबित ऋण बकाया में से रु. 51.06 करोड़ उस श्रेणी से संबंधित है, जहां आवश्यक प्रतिकारक कार्यवाई की जानी है।

15.5 वसूली

ऋण एवं ब्याज पुनर्भुगतान/रॉयल्टी आय के तौर पर संविभाग में अर्जित 31.03.2014 तक वसूली गई रु. 3.38 करोड़ की राशि को आरक्षित निधि एवं अधिशेष के तहत आरक्षित प्राप्त के तौर पर दर्शाया गया है और 31.03.2014 तक बाइरैक के आय संविभाग के तौर पर विचार नहीं किया गया है।

15.6 वाद दाखिल खाता

15.6.1 कंपनी द्वारा दाखिल वाद : शून्य

15.6.2 कंपनी के खिलाफ दाखिल वाद : शून्य

15.7 कार्यक्रम प्रबंधन इकाई–डीबीटी तथा बीएमजीएफ

जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) और बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (बीएमजीएफ) ने अनुसंधान के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। बाइरैक ने ''तकनीकी प्रबंधन इकाई'' बनने की जिम्मेदारी सुपुर्द कर दी है। इस संबंध में, बाइरैक ने स्वास्थ्य सेवा एवं कृषि के क्षेत्र में वहनीय उत्पाद विकास के सहायता कार्यक्रमों के लिए कार्यक्रम प्रबंधन इकाई स्थापित की है। वर्तमान वर्ष के दौरान कार्यक्रम प्रबंधन इकाई स्थापित करने के लिए बाइरैक को बीएमजीएफ से रु. 2.97 की निधि प्राप्त हुई है। वर्ष के दौरान व्यय की गई रु. 1.86 करोड़ की व्यय को डीबीटी एवं बीएमजीएफ के बीच बराबर मात्रा में समायोजित किया गया है। इस पर अर्जित ब्याज को बाइरैक के आय के तौर पर विचार नहीं किया गया है।

15.8 डीबीटी–वेलकम ट्रस्ट कार्यक्रम

पिछले वित्त वर्ष के दौरान डीबीटी–वेलकम ट्रस्ट कार्यक्रम के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग से प्राप्त रु. 10.25 करोड़ की राशि को ब्याज के साथ पृथक बैंक खाते में रखा गया है। बोर्ड ने ''ट्रांसलेशनल मेडिसिन्स'' पर संयुक्त कॉल का अनुमोदन कर दिया है। वेलकम ट्रस्ट के साथ एमओयू हस्ताक्षर किया गया है। राशि के उपयोग के लिए डीबीटी से अनुमति की प्रतीक्षा की जा रही है।

15.9 पूर्व अवधि सामंजस्य

डीबीटी–बीएमजीएफ–पीएमयू के लिए कुल रु. 31,87,314/– व्यय किया गया था लेकिन बाइरैक के व्यय में लिखा गया था। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान इसमें सुधार करते हुए लेखा मानक 5 के अनुसार इसे पूर्व अवधि मदों में जमा कर दिया गया।

15.10 संबंधित पार्टी प्रकटन

लेखा मानक–18 के प्रावधान लागू नहीं होंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग एंटरप्राईज तथा इसके संबंधित पक्षों के बीच कोई लेन–देन नहीं हुआ है।

15.11 कर हेतु प्रावधान :

वर्तमान वर्ष में आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, क्योंकि भारत आयकर 1961 की धारा 12क के तहत पंजीकरण प्राप्त नहीं हुआ है।

15.12 विदेशी विनिमय लेन–देन :

वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान निम्नलिखित आय/व्यय को ग्रहण किया गया है:

क. आय : शून्य

ख. व्यय :

(i) विदेश यात्रा

(क) निदेशक : शून्य

(ख) अन्य कर्मचारी : US$2300

(ii) पुस्तकें, पत्रिकाएं एवं डाटाबेस सदस्यता : US$73688 & GBP 7548

(iii) जीबीपी उद्मिता विकासः 16918

वर्तमान वित्त वर्ष के लिए आयात की सीआईएफ लागत शून्य है।

बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल
अतिरिक्त तुलन पत्र सूची

15.13 योजना तुलन पर अतिरिक्त सूची

31.03.2014 को

बाइरैक निधि (आई एंड एम) क्षेत्रराशि (रु.)				
बाइरैक निधि (आई एंड एम) क्षेत्र राशि (रु.)				14,89,68,800
जोड़ें:	डीबीटी से प्राप्त निधि		62,85,56,000	
	बैंक–बीसीआईएल से अर्जित ब्याज		1,80,16,062	64,65,72,062
				79,55,40,862
घटाएं:	विभिन्न योजनाओं में दी गई राशि			
	बाइरैक	बीआईएसएस	19,25,64,000	
		बीसीआईएलबीआईपीपी / एसबीआईआरआई–ऋण	30,49,51,500	
		बीआईपीपी / एसबीआईआरआई–अनुदान	13,48,98,261	63,24,13,761
				16,31,27,101
घटाएं:	पिछले वर्ष में बीसीआईएल द्वारा ऋण			
	प्राप्ति से विपरीत, वसूली योग्य ऋण			
	संविभाग के हिस्से के तौर पर अधिक			7,00,000
				16,24,27,101
घटाएं:	बीसीआईएल द्वारा ग्रहित व्यय (बीआईपीपी / एसबीआईआरआई)			
	प्रबंधन शुल्क		98,84,305	
	परियोजना शुल्क		4,17,33,267	5,16,17,572
		शेष अग्रसित राशि		**11,08,09,529**
बाइरैक निधि				
	प्रारम्भिक जमा			10,50,17,220
जोड़ें:	मानव बल निधि की प्रारम्भिक जमा		46,55,009	
	गैर आवर्त्ती निधि की प्रारम्भिक जमा		56,62,034	1,03,17,043
				11,53,34,263
जोड़ें:	बीएमजीएफ–पीएमयू से वसली गई (पूर्व अवधि)			34,56,952
	डीबीटी से प्राप्त			15,00,00,000
				26,87,91,215

घटाएं:	विभिन्न योजनाओं में दी गई राशि (अनुदान)			
	अनुबंध अनुसंधान योजना		1,20,55,000	
	बायोटैक इग्निशन अनुदान		5,23,57,832	
	बायोटैक इग्निशन अनुदान– प्रबंधन शुल्क		27,08,839	
	बौद्धिक सम्पदा		1,11,17,912	
	क्षेत्रीय केन्द्र		50,38,110	
	अन्य क्रियाकलाप		2,01,94,739	
	प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एवं उपार्जन		1,63,40,776	11,98,13,208
				14,89,78,007
घटाएं:	निम्न की ओर उपयोग:			
	मानव बल व्यय		2,20,69,034	
	अचल परिसम्पत्तियां		46,27,832	
	आवर्त्ती व्यय		9,67,05,006	12,34,01,872
	शेष अग्रसित राशि			**2,55,76,135**
बीएमजीएफ पीएमयू				
	प्रारम्भिक जमा			-
जोड़ें:	बीएमजीएफ से प्राप्त		2,97,17,388	
	डीबीटी से प्राप्त		-	2,97,17,388
जोड़ें:	बैंक ब्याज			2,38,085
				2,99,55,473
घटाएं: व्यय				
	मानव बल व्यय		3,75,933	
	बैठक व्यय		15,91,835	
	स्थान हेतु व्यय		1,20,72,271	
	प्रशासनिक व्यय		40,44,957	
	प्रबंधन शुल्क		5,73,217	1,86,58,213
	अप्रयुक्त अग्रसित राशि			1,12,97,260
	शेष जमा			
	बीएमजीएफ		2,05,07,324	
	डीबीटी (वसूलनीय)			(92,10,064)
				1,12,97,260
वेलकम ट्रस्ट				
	प्रारम्भिक जमा			10,32,97,534
जोड़ें:	बैंक ब्याज		30,65,404	
	एफडीआर ब्याज		31,80,133	
	उपार्जित ब्याज		3,90,421	66,35,958
	अप्रयुक्त अग्रसित राशि			**10,99,33,492**

15.14 बीसीआईएल को भुगतान किए गए निधि का उपयोग

प्रारम्भिक जमा				**11,14,90,000.00**
जोड़ें:	आईएंडएम क्षेत्र के तहत बाइरैक से प्राप्त राशि		37,00,00,000.00	
	प्रारम्भिक जमा का अंतर		221.00	
	अर्जित बैंक ब्याज		1,80,16,062.00	38,80,16,283.00
				49,95,06,283.00
घटाएं:	योजना के तहत दिया गया अनुदान		13,48,98,261.00	
	प्रबंधन शुल्क		56,98,391.00	14,05,96,652.00
घटाएं: योजनाओं के तहत दी गई ऋण				30,49,51,500.00
घटाएं: ग्रहित व्यय				4,17,33,267.00
बीसीआईएल यूसी के अनुसार अंतिम शेष				1,22,24,864.00

कर्जदारों से वसूली गई राशि के अनुरूपता के साथ बीसीआईएल से रु. 1,14,66,000/– की राशि भी प्राप्त हुई है।

15.15 वर्ष 2013–14 के लिए महत्वपूर्ण लेखा नीतियों में किए गए संशोधन प्रकृति में व्याख्यात्मक और स्पष्टीकरणीय हैं। वर्ष 2013–14 के लिए महत्वपूर्ण लेखा नीतियों में किए गए संशोधनों का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।

15.16 आंकड़ों को तुलनीय बनाने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार पुनर्समूहित एवं पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

संपर्क एण्ड एसोसिएट्स के लिए
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

हस्ता/–
सी.ए. पंकज शर्मा
(भागीदार)
सदस्यता सं. 093446

हस्ता/–
कविता अनंदानी
(कंपनी सचिव)

हस्ता/–
रेनू स्वरूप
(प्रबंधक निदेशक)
DIN No.01264943

हस्ता/–
के. विजयराघवन
(अध्यक्ष)
DIN No.02721859

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) की टिप्पणियां कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के तहत 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल (बाइरैक) के लेखा पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) की टिप्पणियां

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए **बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री असिस्टेंस आउंसिल (बाइरैक)** के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निर्दिष्ट वित्तीय रिपोर्टिंग रुपरेखा के अनुसार बनाना कंपनी प्रबंधन का दायित्व है। कंपनी अधिनियम,, 1956 की धारा 919 (2) के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) द्वारा नियुक्त संविधिक लेखा परीक्षक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया के व्यावासायिक निकाय द्वारा निर्दिष्ट लेखा परीक्षण और आश्वासन मानकों के आधार पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के तहत इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदारी हैं। इसे दिनांक 12.08.2014 की उनकी लेखा परीक्षण रिपोर्ट द्वारा बतया गया है।

मैं, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए **बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री असिस्टेंस आउंसिल (बाइरैक)** के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (3) (बी) के तहत पूरक लेखा परीक्षण किया है। यह पूरक लेखा परीघण सांविधिक लेखा परीक्षणों के कार्य दस्तावेजों के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है और यह प्राथमिक रूप से संविधिक लेखा परीक्षकों तथा कार्मियो तथा कंपनी कार्मियों एवं लेखा अभिलेखों में से कुछ की चंयनित जांच तक सीमित हैं। मेरे पूरक लेखा परीक्षण के आधार पर मेरी जानकारी में कोई उल्लेखनीय तथ्य नहीं हैं जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के तहत सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या पूरक दे सके।

भारतीय नियंत्रण एवं
महालेखा परीक्षक के लिए और उनकी ओर से

हस्ता/–
(अत्रेयी) दास
वाणिज्यिक लेखा परीक्षा महानिदेशक व
पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड–IV

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 03.09.14

नोट्स

नोट्स

पंजी. कार्यालय: प्रथम तल, एमटीएनएल भवन, 9, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
वेबसाइट: www.birac.nic.in, ई–मेल: birac.dbt@nic.in, दूरभाष: +91–11–24389600
सीआईएन: U73100DL2012NPL233152

उपस्थिति पर्ची

सदस्य/प्रतिनिधि का नाम (बड़े अक्षरों में) :	
सदस्य/प्रतिनिधि का पता :	
फोलियो नं. :	
धारित शेयरों की संख्या :	

मैं प्रमाणित करता हूं कि मैं कंपनी की सदस्य/सदस्य का प्रतिनिधि हूं।

मैं एतत्द्वारा एमटीएनएल भवन, प्रथम तल, 9 सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003 में मंगलवार, 30सितम्बर 2014 को प्रातः 11.30 बजे आयोजित कंपनी के दूसरे वार्षिक आम सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता हूं।

.....

सदस्य/प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

पंजी. कार्यालय: प्रथम तल, एमटीएनएल भवन, 9, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
वेबसाइट: www.birac.nic.in, ई–मेल: birac.dbt@nic.in, दूरभाष: +91–11–24389600
सीआईएन: U73100DL2012NPL233152

प्रतिनिधि प्रपत्र

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासनिक) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुपालन में)

सदस्य(यों) का नाम	ई–मेल आईडी :	
आवासीय पता	फोलियो सं. :	

मैं/हम, उपरोक्त नामित कंपनी के ..... शेयरों की सदस्य(यों) रहते हुए, एतत्द्वारा नियुक्त करते हैं:

(1) नाम: .....
पता: .....
ई–मेल आईडी: .....
हस्ताक्षर: ..... या उनके न होने पर;

(2) नाम: .....
पता: .....
ई–मेल आईडी: .....
हस्ताक्षर: .....

जैसा कि मेरे/हमारे प्रतिनिधि मेरे/हमारे लिए तथा मेरी/हमारी ओर से एमटीएनएल भवन, प्रथम तल, 9 सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003 में मंगलवार, 30सितम्बर 2014 को प्रातः 11.30 बजे आयोजित कंपनी के दूसरे वार्षिक आम सभा में उपस्थित एवं मतदान (मतदान होने पर) कर रहे हैं और ऐसे प्रस्तावों के संबंध में किसी स्थगन को नीचे दर्शाया गया है:

क्र.सं.	प्रस्ताव	के लिए	के सामने
1.	साधारण व्यवसाय निदेशकों एवं लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ ही 31 मार्च, 2014 को कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण को प्राप्त, विचार तथा स्वीकार करने, इसके अलावा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) व (7) के संदर्भ में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के टिप्पणियां		
2.	कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 142 के साथ धारा 139(5) के प्रावधानों के संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए वैधानिक लेखापरीक्षक की पारिश्रमिक तय करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को अधिकृत करना और सामान्य प्रस्ताव के तौर पर निम्नलिखित प्रस्ताव को संशोधन(नों) के साथ या बिना पारित करना:		

हस्ताक्षरित ..... दिन ..... 2014. शेयरधारक का हस्ताक्षर

प्रथम प्रतिनिधि धारक का हस्ताक्षर द्वितीय प्रतिनिधि धारक का हस्ताक्षर

इलैक्ट्रॉनिक रूप में निवेशक धारित शेयरों के लिए लागू।

रेवेन्यू स्टाम्प चिपकाएं

टिप्पणियां:

1. **उपस्थित एवं मतदान का अधिकार रखने वाले सदस्य अपने स्थान पर उपस्थित होने एवं मतदान करने के लिए एक या अधिक प्रतिनिधि नियुक्त कर सकते हैं। प्रतिनिधि मान्य होना चाहिए और उससे संबंधित जानकारी कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के पास बैठक के तय समय से कम से कम अड़तालीस घंटे पूर्व प्राप्त हो जानी चाहिए।**
2. केवल कंपनी के वास्तविक सदस्य, जिनका नाम सही तरीके से भरी हुई एवं हस्ताक्षर की हुई मान्य उपस्थिति पर्ची के धारण में सदस्यों के पंजिका में शामिल हैं, को बैठक में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी। कंपनी को यह अधिकार है कि वह बैठक में गैर–सदस्यों को उपस्थित होने से रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए।
3. सूचना में उल्लेखित सभी दस्तावेज निरीक्षण के लिए वार्षिक आम सभा की बैठक की तिथि तक सभी कार्यदिवसों में प्रातः 10.00 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक और बैठक में भी खुली रहेगी।
4. कंपनी के लेखा एवं संचालन से संबंधित किसी भी तरह के पूछताछ को प्रोत्साहित किया जाएगा, अगर कोई हो, और उसे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में बैठक से 10 दिन पूर्व भेजना होगा, ताकि उससे संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जा सके।
5. सदस्यों से अनुरोध है कि वे पते में परिवर्तन की जानकारी, अगर हो, कंपनी को दें।

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद

(भारत सरकार का उपक्रम)

Designed & Printed by : delhi@spancom.in